पंचम माला, खंड 59, अंक 15, सोमवार, 29 मार्च, 1976/9 चैत्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LIX, No. 15, Monday, March 29, 1976/ Chaitra 9, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये
Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, सोमवार 29, मार्च, 1976/9 चैत्र, 1898 (शक)

No. 15, Monday, March 29, 1976/Chaitra 9, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281,284 285,292 और 294 से 297	*Starred Questions Nos. 281, 284, 285, 292 and 294 to 297	2—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 282,283, 286 से 291, 293 और 298 से 300	Starred Questions Nos. 282, 283, 286 to 291, 293 and 298 to 300	20—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 से 1449,1451 से 1453, 1456 से 1458, 1460 से 1483, 1485 से 1498, 1500 से 1525 और 1527 से 1540	Unstarred Questions Nos. 1443 to 1449, 1451 to 1453, 1456 to 1458, 1460 to 1483, 1485 to 1498, 1500 to 1525 and 1527 to 1540 .	28—82
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	82—83
न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक	Contempt of Courts (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	84—85
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder .	84
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua .	84—85
खण्ड 2 और 1 :	Clauses 2 and 1 :	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua .	85

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	85—90
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin . . .	85-86, 90
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta . . .	86
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . . .	86
श्री हरि किशोर	Shri Hari Kishore Singh . .	86—88
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda	88—89
खण्ड 2, 3 और 1 :	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass . . .	91
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H Mohsin . . .	91
केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) संशोधन विधेयक—	Kerala Legislative Assembly (Extension of Duration) Amendment Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	91—96
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	91—92
श्री ए० के० गोपालन	Shri A.K. Gopalan	92—93
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan . . .	93—94
खण्ड 2 और 1 :	Clauses 2 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री ए० के० गोपालन	Shri A.K. Gopalan . . .	96
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua . . .	97
विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक—	Foreign Contribution (Regulation) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव,—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin . . .	97-98, 112-14
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	98—108
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerji . .	101—102
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	102—104
श्री धरणी धर दास	Shri Dharnidhar Das . .	104

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	104-105
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . .	105-106
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	106-107
श्री राम सिह भाई	Shri Ram Singh Bhai . .	107
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . .	107-108
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . . .	108-109
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . . .	109
श्री चपलेन्दु भटटाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	109
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	110
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	110-11
श्री के० एम० मधुकर	Shri K.M. Madhukar . . .	111
खण्ड 2 से 32 और 1—	Clauses 2 to 32 and 1—	115-20
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	120

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 29 मार्च, 1976/9 चैत्र, 1898 (शक)

Monday, March 29, 1976/Chaitra 9, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी, श्री कालिका सिंह के निधन की सूचना देनी है जिनका देहान्त 16 मार्च, 1976 को आजमगढ़ में 65 वर्ष की अवस्था में हुआ।

श्री कालिका सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से वर्ष 1957–62 के दौरान दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वर्ष 1952–56 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह ख्यातिप्राप्त वकील तथा पत्रकार थे तथा उन्होंने कई हिन्दी पत्रिकाओं का सम्पादन किया था। छात्रावस्था में वह प्रसिद्ध नेता थे तथा वर्ष 1942 में उन्होंने स्वतन्त्रता के लिए उत्तर प्रदेश छात्र आन्दोलन का नेतृत्व किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने राज्य के दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

हम अपने इस सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोकसंतप्त परिवार को संवेदना-संदेश भेजने में सदन मेरे साथ शरीक होगा।

अब सदन दुःख व्यक्त करने के लिए कुछ देर मौन खड़ा रहे।

इसके बाद सदस्यगण दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़े रहे।

The members then stood in a silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Water supply to Bihar for Irrigation

***281. Shri Shankar Dyal Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) names of areas to which water is made avilable for irrigation from D.V.C. ;

(b) area of land irrigated thereby in Bengal and Bihar ;

(c) whether any action is being taken to ensure adequate water supply to Bihar for irrigation ; and

(d) if so, particulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Water is made available for irrigation from the D.V.C. system to Burdwan, Hooghly, Bankura and Howarah district of West Benal.

(b) Irrigation benefits are being provided at present to an area of about 388 lakh hectares in West Bengal. There is no irrigation at present from the D.V.C. projects in Bihar.

(c) & (d) Bihar Government have proposed to use waters of the Tilaiya Reservoir of D.V.C. to provide kharif irrigation to about 48,000 hactares in Gaya District and to use the waters of the Konar Reservoir of D.V.C. to provide irrigation to about 69,000 hactares in Hazaribah District.

The agreement on various issues concerning the States of Bihar and West Bengal, which, *inter alia*, includes utilisation of waters of the Tilaiya and Konar reservoirs for irrigation in Bihar, is at present under discussion between the officers of the two States.

Shri Shankar Dayal Singh : I have gone through the statement carefully. For the last 4 or 5 years, I have been getting stock reply.

I read out some extracts from the statement laid on the Table of the House. The agreement, which includes utilisation of waters of Talaiya and Konar reservoirs for irrigation in Bihar, is at present under discussion between the officers of the two States. For the last 4 or 5 years we have been getting the same reply, that the matter is under consideration. Such a huge amount has been spent on T.A., D.A. of the officers of State Governments that it could have been sufficient for completing a plan. It is heartening to note that the term of Lok Sabha has been extended by one year otherwise it would have been difficult for me to show my face to the people of my constituency. This matter relates to my constituency. Therefore, through you, I would like to know since when the matter of utilisation of waters of the Tilaiya and Konar reservoirs through D.V.C. system is under consideration and the time by which it will be finalised ? I would also like to know whether a meeting was held between Chief Ministers of Bihar and West Bengal in the presence of the Prime Minister and Union Agriculure Minister to discuss the matter; if so, which points were finalised ?

Shri Kedar Nath Singh : D.V.C. projects were made for irrigation generation of power and checking floods. So far as the question of irrigation in Bihar is concerned, it is a fact that Bihar is not covered under D.V.C. system. Few days back Bihar Government while expressing its unwillingness, said that they do not need water for irrigation.

Shri Shankar Dayal Singh : Can the hon. Minister prove that the Bihar Government have expressed their unwillingness ? Can any State Government say that they do not need water ?

Shri Kedar Nath Singh : It is on record and it is a fact. In 1973 it was stated that Bihar needs water for irrigation. A meeting was held between represenatives of both the Governments and it was decided that officers of both the Governments should finalise thee matter. The matter was on the verge of decision when D.V.C. came in between and the matter was held up for some time.

Shri Shankar Dayal Singh : I did not get any definite reply. I seek your protection. My question was specific. I had asked when the matter will be finalised and whether it is a fact that meeting was held between the Chief Ministers of both the States and if so ; what was decided in that meeting ?

Shri Kedar Nath Singh : I have stated that a meeting was held between the Chief Ministers in the first week of March. So far as the question of presence of the Prime Minister and the Minister of Agriculture and Irrigation is concerned, we have got no information in this regard. But it is a fact that meeting was held between both the Chief Ministers and the matter is on the verge of decision. It is a matter of few days when it will be finalised.

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know whether basic outlines have been drawn about Konar and Tilaiya, if so, the total amount to be spent on both the projects. How much will be shared by Central Government and State Government?

Shri Kedar Nath Singh : Both the schemes are almost ready. Central Government will give them clearance after these have got the clearance from both the State Governments. So far as funds are concerned, as the irrigation schemes came under the jurisdiction of State Governments, therefore, Rs. 14·76 Crores will be spent on Tilaiya and Rs. 11 Crores on Konar and Rs. 1 Crore has been sanctioned on both the schemes for 1976-77.

Shri Nawal Kishore Singh : Bihar and majority of the people of Bihar made a great sacrifice in the Construction of D.V.C. At the time of formation of D.V.C. it was considered that no irrigation scheme can be chalked out for Bihar, therefore, the electricity produced will be given to Bihar. But along with the irrigation project the electricity also went to Bengal. Recently two irrigation schemes were chalked out from Mayurakashi Dam (Canada Dam)—one for Bankura (Bardwan) district in Bengal and other for Santhal Pargana in Bihar. So far as the scheme for Bihar is concerned, the Canal was constructed at such a high place that no irrigation could be done during the last 10 years. Now, the Government of Bihar have formulated two schemes after 1973. The disputes regarding the river valley project between the two States have been since resolved at the initiative of the Prime Minister during the last 2 years. May I know whether Government has fixed any time limit under the new circumstances by way of which a proper division of the water of D.V.C. will be made between Bengal and Bihar and permission will be granted to Bihar Government for the implementation of schemes formulated by the Government in respect of Tilaiya and Konar ?

Mr. Speaker : Kindly answer the first question.

Shri Kedar Nath Singh : Negotiations are taking place regarding Mayurakashi between the two Governments. By this agreement, he will also get hi share. So far as the time limit is concerned, it will be better if hon. Members press their own Governments.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वस्तुत: इस बात के लिए किसी के दिल में मनमुटाव नहीं है कि दामोदर घाटी निगम परियोजना का पानी बिहार में सिंचाई कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाए और हम सबको यह आशा है कि शीघ्र ही सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाएगा मैं मंत्री महोदय का ध्यान विवरण के अन्तिम पैराग्राफ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है "बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर समझौते पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिहार में सिंचाई के लिए तिलैया एवं कोनार जलाशयों के पानी का समुपयोजन करना शामिल है, इस समय दोनों राज्यों के अधिकारियो के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है ।" यह बात स्पष्ट नहीं हुई । क्या इसका अर्थ यह है कि ऐसे कई मामले इस समय विचाराधीन हैं और सिंचाई उद्देश्यों के लिए पानी का विशिष्ट प्रश्न किसी एकमुश्त समझौते या एकमुश्त करार का एक अंग है; और यदि हां, तो वे अन्य मामले कौन-कौन से हैं और क्या इस विशिष्ट प्रश्न का निपटान अलग से किया जाएगा या इसे एकमुश्त करार का अंग समझा जाएगा । यह बात स्पष्ट नहीं हुई है ।

श्री केदार नाथ सिंह : बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच अन्य कई मामले भी विचाराधीन हैं । तिलैया और कोनार जलाशय के अतिरिक्त अजय नदी परियोजना जैसे अन्य मामल भी इन

दोनों राज्यों के बीच विचाराधीन है । बिहार की स्वर्ण रेखा नदी विकास परियोजना तथा मयूराक्षी नदी परियोजना का मामला भी है। अन्य कई परियोजनाएं हैं जिनके लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है । ये सब मामले दोनों परियोजनाओं के बीच विचाराधीन हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई एकमुश्त कार्यक्रम है ?

श्री केदार नाथ सिंह : हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं ।

1976–77 में क्वार्टरों का निर्माण

*284. **श्री राम सहाय पान्डे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने सरकारी कर्मचारियों के लिये 1976–77 में टाइप I और II के और अधिक क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क), जी हां ।

(ख) 1976–77 के दौरान टाइप I के 696 और टाइप II के 1130 क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

श्री रामसहाय पांडे : बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री एस० आर० दामाणी : बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महानगरों में क्वार्टरों का बहुत अभाव है । जिन कर्मचारियों को इन शहरों में स्थानान्तरित किया जाता है, उन्हें आवास की समस्या पड़ती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन शहरो में अधिक क्वार्टर बनाने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री एच० के० एल० भगत : विभिन्न शहरों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के कई कार्यक्रम हैं और कुछ क्वार्टर बनाए गए हैं । इन सभी शहरों के बारे में मेरे पास मांग और पूर्ति की प्रतिशतता भी उपलब्ध है । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं ।

Shri Achal Singh : In view of thousands of pending applications will the hon. Minister state as to when very Government servant will be able to get accommodation.

श्री एच० के० एल० भगत : यह तो मैं नहीं बता सकता कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को कब तक क्वार्टर मिल जाएगा । मैं केवल इतना बता सकता हूं कि इस समय विभिन्न वर्गों में मांग और पूर्ति की प्रतिशतता क्या है और क्या सुधार होने की संभावना है । मेरे पास हर शहर के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी दे सकता हूं ।

Shri Shashi Bhushan : Thousands of applications are pending with the Government. Those Government servants who have formed Cooperative Societies and have retired 10 to 15 years ago, have not been allotted land. Delhi Development Authority has got a monopoly over lands. Why a part of D.D.A. land is not distributed among Cooperative Societies ?

श्री एच० के० एल० भगत : प्रश्न सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के बारे में है । माननीय सदस्य सहकारी समितियों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं.....

Shri Shashi Bhushan : Applicants have not been allotted quarters. When Government is not in a position to Construct quarters, then why not they release land to Cccpertive Societies ? How can these be treated as different questions ?

श्री एच० के० एल० भगत : इस समय मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्यक्रमों के बावजूद भी कर्मचारी क्वार्टरों की बहुत कमी है और कई आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या गत दो वर्षों में इस्पात, सीमेंट आदि की कमी के कारण कर्मचारी क्वार्टर बनाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ? सरकार ने ये अनुदेश जारी किए हैं कि आवश्यक भवन निर्माण सामग्री को ध्यान में रखते हुए निर्माण की गति धीमी करनी पड़ेगी । अब इन चीजों का अभाव नहीं रहा । वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या निर्माण कार्य में कुछ प्रगति होगी और इस योजना काल में क्वार्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : अब ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा । प्रतिबन्ध हटा दिया गया है और वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 में कुछ क्वार्टर बनाए गए हैं और वर्ष 1976–77 के लिए भी योजना बनाई गई है और इसके बारे में ब्यौरा दिया जा सकता है । लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि उपलब्ध राशि से मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है । हमारी योजना है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम 75 प्रतिशत मांग पूरी कर सकें परन्तु धन के अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाएंगे । लेकिन जो भी धन उपलब्ध है, हम उससे काम चला रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether the lists of Type I and Type II quarters, which have been received by him, indicate the number of applicants who have been allotted quarters and the number of applicants which have not been allotted quarters ?

श्री एच० के० एल० भगत : मेरे पास विभिन्न शहरों के बारे में जानकारी है । माननीय सदस्य दिल्ली के बारे में जानकारी चाहते हैं अथवा पूरे देश के बारे में ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : केवल दिल्ली के बारे में ।

श्री एच० के० एल० भगत : दिल्ली के मामले में मांग और पूर्ति की प्रतिशतता इस प्रकार है । टाइप I के क्वार्टरों की उपलब्धता 42.4% है । 27,583 क्वार्टरों की मांग है, 13,202 क्वार्टर उपलब्ध हैं; 14,381 क्वार्टरों की कमी है; 447 क्वार्टर निर्माणाधीन है । इस प्रकार 13 934 क्वार्टरों की कमी है । मांग-पूर्ति की प्रतिशतता.......

अध्यक्ष महोदय : सारे आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय गृह-निर्माण ऋणों का उपयोग

*285. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में गृह निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य को कितनी आर्थिक सहायता और ऋण दिया गया तथा उनका उपयोग किस प्रकार किया गया; और

(ख) गन्दी बस्तियां हटाने तथा मध्यम वर्गों के लिये मकानहेतु प्रति वर्ष उसमें से कितनी राशि उपयोग की गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। 1 अप्रैल, 1969 से सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिये जिसमें आवास शामिल है केन्द्रीय वित्तीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष के विकास शीघ्र से संबद्ध नहीं है। राज्य सरकारें, विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं जिसमें आवास शामिल है, के लिये निधियां, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। इस स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि उन के लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि 1974-75 और 1975-76 वर्षों के दौरान उन्होंने आवास के लिये, भारत सरकार से कितना ऋण और सहायता प्राप्त की है और न ही उनके लिए यह बताना सम्भव है कि राज्य क्षेत्र में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये कितनी समेकित केन्द्रीय सहायता प्रयोग में लाई गई है ।

केन्द्रीय समेकित सहायता के अतिरिक्त निर्माण और आवास मंत्रालय ने वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिये विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित जीवन बीमा निगम ऋणों का नियतन किया :--

	राशि (लाख पयों में)
1974-75	99.00
1975-76	86.68

श्री शंकर राव सावंत : मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं है कि ऋणों और अनुदानों के रूप में मिली राशि में से कितना रुपया आवास कार्य में लगाया गया लेकिन कम से कम उन्हें यह अवश्य पता होना चाहिये कि इन दो वर्षों के दौरान ऋणों और अनुदानों के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ।

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि स्पष्ट किया गया है, पहली अप्रैल, 1969 से आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्त सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा 'समेकित' ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं है । राज्य सरकारें, विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं, जिस में आवास शामिल है, के लिये निधियां, उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। इस स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि उनके लिए यह बताना संभव नहीं है कि उन्हें आवास के लिए भारत सरकार से कितना ऋण और सहायता प्राप्त हुई है । समेकित अनुदान के रूप में कुल योजना सहायता दी जाती है और आवास

के लिए राशि निर्धारित करने में वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। हमने उनसे पूछा है और टेलेक्स पर भी बात की है परन्तु उन्होंने बताया कि आवास के लिए अलग से आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

जहां तक महाराष्ट्र की कुल समेकित ऋणों या सहायता के रूप में दी गई कुल राशि का प्रश्न है, इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि सदस्य महोदय चाहते ही हैं तो मैं उन्हें बाद में जानकारी दे दूंगा।

श्री वसन्त साठे : आवास कार्यों के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी गई कुल राशि के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अतः आप कुल राशि बताएं।

श्री एच० के० एल भगत : मेरे मित्र भूल रहे हैं कि प्रश्न आवास से सम्बन्धित है। यह इस प्रकार नहीं पूछा गया।

श्री वसन्त साठे : यदि आवास कार्य के लिए समेकित अनुदान दिया गया तो हमें वह राशि तो बता सकते हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं अपने माननीय सहयोगी का उत्तर पूरा कर दूं। सभा पटल पर रखे गये विवरण से स्पष्ट है कि आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए समेकित अनुदान के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है। जब हमने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार कितना धन आवास कार्यों के लिए रख रही है तो उन्होंने बताया कि पृथक आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

श्री वसन्त साठे : कृपया यह बतायें कि महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी सहायता दी गई।

श्री के० रघुरमैया : आप कुल सहायता जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग प्रश्न की सूचना अपेक्षित है।

श्री शंकर राव सावन्त : विवरण के पैरा 2 में उन्होंने जीवन बीमा निगम के बारे में कुछ बताया है और निगम ऋणों के आंकड़े दिये हैं। इनमें से कितनी राशि गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये खर्च की गई ?

श्री एच० के० एल० भगत : जीवन बीमा निगम के ऋण गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए नहीं होते। ये कुछ खास ढंग के आवास बनाने के लिए दिये जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार को दी गई राशि के आंकड़े मैंने दे दिये हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : समेकित ऋण और समेकित अनुदान पद्धति चौथी योजना के दौरान लागू की गई थी। क्या सरकार को जानकारी है कि इस पद्धति के लागू किये जाने से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि पिछड़ी जातियों के लिए स्वीकृत राशियों का प्रयोग अन्य योजनाओं के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बा प्रश्न है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जीवन बीमा निगम ने बम्बई में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए कोई ऋण नहीं दिया है। बम्बई तो गन्दी बस्तियों का घर है। क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहमति से विश्व बैंक से ऋण के लिए आवेदन किया है और विश्व बैंक ने बम्बई में गन्दी बस्तियां हटाने के लिए ऋण मंजूर कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : गन्दी बस्तियां हटाने के लिए विश्व बैंक की सहायता आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आती ।

श्री के० लकप्पा : श्री सावंत ने विशेष रूप से महाराष्ट्र के बारे में प्रश्न किया था लेकिन मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सारे देश से सम्बन्धित है । अतः मुझे भी अन्य राज्यों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कर्नाटक या किसी अन्य राज्य के बारे में न पूछें । मेरा विचार है कि महाराष्ट्र के बारे में आपके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं ।

श्री के० लकप्पा : मैं किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं पूछ रहा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सामान्य प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास बनाने हेतु हुडको ने महाराष्ट्र सरकार तथा उनके आवास बोर्ड को कितना ऋण दिया है ?

श्री राम सहाय पाँडेय : महोदय, गन्दी बस्तियां हटाने के बारे में प्रश्न के भाग (ख) में पूछा ही गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां । आपने इस ओर ध्यान दिला कर अच्छा ही किया । मंत्री जी आप विश्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र को गन्दी बस्तियां हटाने और निम्न आय वर्ग के लिए आवास बनाने हेतु मिले ऋण सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दीजिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : हुडको के बारे में इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । (**व्यवधान**......)

अध्यक्ष महोदय : आप महाराष्ट्र को इन कार्यों के लिए मिली कुल राशि के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : वर्ष 1972–73 और 1973–74, इन दो वर्षों के आंकड़े महाराष्ट्र सरकार ने हमें दिये हैं । उन्होंने अन्य एजेंसियों को मिली राशि की जानकारी नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पूरे चार वर्षों के आंकड़े एकत्र करके उन्हें सभा पटल पर रख दीजिए ।

सोयाबीन की नई किस्म

*292. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की उपयोगिता जिसे वैज्ञानिकों ने शताब्दी की अद्भुत फसल बताया है, इस देश में अभी सिद्ध होनी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रतेश में पिछले वर्ष में हुई काफी फसल अभी किसानों के पास पड़ी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में अथवा विदेशों में इसके लिये बाजार का पता लगाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोगों को इसकी प्रोटीन प्रचुरता आदि से अवगत कराने हेतु अभियान चलाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क) वनस्पति तेलों की कमी के कारण वर्ष 1971–72 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत देश में सोयाबीन की वाणिज्यिक खेती प्रारम्भ की गई थी और तब से सोयाबीन की खेती के अन्तर्गत के क्षेत्र में वृद्धि होती रही, जैसा कि निम्नलिखित वर्षवार उपलब्धि के आंकड़ों से मालूम होता है :—

वर्ष	लक्ष्य (हैक्टार)	उपलब्धि (हैक्टार)
1971–72	45,000	32,318
1972–73	59,000	33,696
1973–74	102,000	47,370
1974–75	107,000	66,629
1975–76	185,250	92,868

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश से सोयाबीन के गत वर्ष के स्टाक के शेष रहने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। देश में सोयाबीन के विकास एवं इसकी खेती करने, विशेषकर इसके विपणन के सम्बन्ध में जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उन पर 23 जनवरी, 1976 को नई दिल्ली में कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। दिनांक 23–1–1976 को हुई उपर्युक्त बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में किसानों के पास सोयाबीन के जमा स्टाक को निपटाने की समस्या हल करने के लिये राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सहकारी समितियों के जरिये देश के विभिन्न भागों से वाणिज्यिक रूप से सोयाबीन की सक्षम मात्रा कुछ सुविधाजनक केन्द्रों में एकत्र करें। सहकारी समितियों को चाहिए कि वे ऐसे संग्रह केन्द्रों तथा इकट्ठा किए गए सोयाबीन का पूर्ण ब्योरा उद्योग को प्रस्तुत करें, ताकि उद्योग सारे उत्पाद को समय पर उठाने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर सके। वर्तमान नीति के अनुसार देश से सोयाबीन का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है ?

(घ) आहार एवं पोषण की चलायमान विस्तार सेवा के माध्यम से सरकार अधिक प्रोटीन वाले इस आहार को लोकप्रिय बना रही है, जिनमें कि सोया का आटा मिलाया जाता है। माडर्न बेकरीज द्वारा बनाई गई रोटियां में भी सोया का आटा होता है। इस समय देश में आहार एवं पोषण की चलायमान विस्तार सेवाओं की 21 यूनिटें कार्य कर रही हैं, जो अधिक प्रोटीन वाले आहारों को लोकप्रिय बना रही हैं।

Shri Rajdeo Singh : Part (a) of the question has not been dealt with by in the Statment made by him. However I want to know why the Food Corporation of India, which has its centres in each State and even in scatered places has not been entrusted with the task of purchasing soyabean ? Why Cooperative Organisations and not the F.C.I. have been en trusted with the job ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पहले 1970-71 में खाद्य निगम से बाजार में पदार्पण करने के लिए कहा गया था। लेकिन उस समय उत्पादन इतना कम था कि एक अखिल भारतीय संगठन को यह कार्य सौंपना वांछनीय नहीं समझा गया। अतः हमने सोचा कि राज्य सहकारी संगठन इस समस्या से निपटने में सक्षम हो सकते हैं।

Shri Rajdeo Singh : It has been stated in the statement that 21 units of the Mobile Food and Nutrition Extension Services as functioning in the Country to popularise. May I know in which these units are functioning and what is their area of operation in terms of kilometres ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कुछ थोड़े से सीमावर्ती क्षेत्र को छोड़कर आहार एवं पोषण की चलायमान विस्तार सेवा देश के सभी राज्यों में चालू है। उनके पास वाहन कितने हैं, ये संख्या तो मेरे पास नहीं है लेकिन मूल रूप से ये सेवा सोयाबीन सामान्य पोषण समस्या और पोषण तत्वों को विस्तार कार्य से सम्बद्ध है।

Shri Nathuram Ahirwar : Whenever this question is asked, it is replied that farmers are being encouraged to produce soyabean more & more. But when the farmer produces more, he does not find buyers. May I know the quantum of soyabean purchased by the F.C.I. during the last 3 years ?

Mr. Speaker : F.C.I. do not purchase.

Shri Nathuram Ahirwar : If they do not purchase, how can incentives be given to farmers ?

Mr. Speaker : He has said that Cooperative Societies make purchases.

श्री हरि किशोर सिंह : देश में सोयाबीन की खेती के विकास में मुख्य बाधा सोयाबीन उत्पादों का निर्माण करने वाले एककों की कमी है। मंत्री जी कृपया बताएं क्या कोई ऐसी योजना है जिससे प्रत्येक राज्य में सोयाबीन उत्पादों के निर्माण हेतु एकक स्थापित किये जायें ताकि किसानों को सोयाबीन की खेती के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह ठीक है कि सोयाबीन के विपणन सम्बन्धी कई समस्याएं हैं। हाल ही में मेरे मंत्रालय ने सभी परिशोधन एककों, विभिन्न विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। शुरु-शुरु में परिशोधन क्षमता कम थी लेकिन अब पर्याप्त क्षमता हो गई है। वर्ष 1973–74 में कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं लेकिन अब कम हो गयी हैं। अतः अब किसानों को अपने उत्पाद बेचना लाभदायक नहीं लगता। कुछ थोड़ा-सा माल बाजार में बेचना बाकी है। लेकिन अब परिशोधन की समस्या नहीं रहा।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : अब देश में सोयाबीन की खेती में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है 1971–72 में 32,318 हेक्टेयर मैं खेती होती थी और 1975–76 में **यह** बढ़ कर 92,868 हैक्टैयर में हो गई। अब कृषक सोयाबीन की फसल बहुत अधिक पैदा कर रहे हैं। देश में वनस्पति तेलों की कीमतें कम करने के लिए सरकार के कथन को किसान जब भी गम्भीरता से लेता है तो उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस गम्भीर संकट को देखते हुए क्या सरकार का प्रस्ताव है कि प्रत्येक ऐसे राज्य में जहां सोयाबीन उगायी जाती है, सोयाबीन की उसी प्रकार खरीद की जाये जैसे कि धान तथा अन्य अनाज की खरीद की जाती है। इससे किसानों की दिक्कतें दूर होंगी।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सदस्य महोदय का कहना ठीक है । क्योंकि जब हम सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाते हैं तो विपणन सम्बन्धी प्रबन्धों को भी कसना पड़ेगा । मैंने अभी जिस बैठक के आयोजन की बात कही थी उसमें इस विषय पर चर्चा हुई थी । हम विपणन संगठनों को प्रोत्साहन देने की बात पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : I had also sown soyabean in one acre but it was spoiled by water so may I know whether any programme has been chalked out to educate the farmer as to what is the time for sowing the soyabean seeds so that the farmer is not put to loss ? I am particularly asking about Gandak area in Bihar.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सोयाबीन के मामले में यह बात ठीक है । अभी हम ऐसे बीजों का पता लगा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल हों । जहां तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, हम एक नई किस्म का पता लगा सके हैं । गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में वैज्ञानिको का कहना है कि वहां के लिए उपयुक्त किस्म का पता लगाना अभी संभव नहीं । अब हम बिहार और हिमाचल प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं । किसानों को वहां इस की कृषि सम्बन्धी उपयुक्त जानकारी देनी है । सदस्य महोदय ने जो बात कही है उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती ।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये विवरण में बताया गया है कि वर्तमान नीति के अनुसार देश से सोयाबीन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि फालतू स्टाक की मात्रा कितनी है । परन्तु आमतौर पर यह स्वीकार किया गया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है और गत वर्ष का स्टाक भी पड़ा है । मेरे विचार में किसान तब तक अपने वर्तमान स्टाक को नहीं बेचता जब तक उसका पिछला स्टाक नहीं बिकता । हमारा अनुमान है कि किसानों के पास पिछला काफी स्टाक पड़ा हुआ है । इससे बढ़कर और कोई हतोत्साहन नहीं हो सकता । अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रोटीन की कमी वाले देश में सोयाबीन अत्यावश्यक है, आप निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में ढील क्यों नहीं देते जबकि आप बासमती चावल, आदि कृषि उत्पादों के बारे में ढील दी है ? इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा । यदि इससे देश में किसानों को लाभ मिलता है तो आप इसके निर्यात की अनुमति क्यों नहीं देते ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हमें मध्य प्रदेश और यू० पी० से सूचना प्राप्त हो चुकी है । मध्य प्रदेश में लगभग 51,850 टन सोयाबीन का उत्पादन होता है जबकि मध्य प्रदेश ने हमें सूचित किया है कि गत वर्ष का केवल 155 टन बकाया है । उत्तर प्रदेश ने 20,000 टन उत्पादित किया और गत वर्ष का बकाया 325 टन था । फालतू सोयाबीन की मात्रा इतनी अधिक नहीं है ।

जहां तक निर्यात के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे देश में प्रोटीन की कमी है । सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है और यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम सोयाबीन उत्पादों का उपयोग करेंगे । हमने अपने बेकरी उत्पादों में सोयाबीन का प्रयोग शुरु कर दिया है । इससे हमारे पोषण कार्यक्रम को सहायता मिलेगी ।

विज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी

***294. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विज्ञान विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से कमी हुई है जो संभवतः देश को निरन्तर आर्थिक प्रगति में अधिक सहायक नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है और उक्त असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

डिग्री स्तर पर दाखिले में थोड़ी सी कमी ध्यान में आई है । इस कमी पर सरकार को चिन्ता है । वे इस बात से सहमत हैं कि देश की प्रगति के लिए विज्ञान की शिक्षा आम जनता को दी जानी चाहिए और सभी स्तरों पर विज्ञान के अध्ययन को सुदृढ़ करना चाहिए । वैज्ञानिक नीति संकल्प (1958) और बाद में शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प में सरकार ने इस मूल दृष्टिकोण को दोहराया है ।

1958 में घोषित, भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति संकल्प में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान का, उसके सभी पहलुओं, विशुद्ध और प्रयुक्त, में प्रवर्धन और विकास करने तथा इसका प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है । इसमें पर्याप्त रूप से उच्च कोटि के अनुसंधान-वैज्ञानिक मुहैया करने तथा उनके कार्य की राष्ट्र की शक्ति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मान्यता देने की भी परिकल्पना की गई है । इसमें, राष्ट्र की आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में पूरा करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरु करने और प्रोत्साहित करने की भी व्यवस्था है ।

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति संकल्प में निम्नलिखित व्यवस्था है :

> "राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । स्कूल स्तर की समाप्ति तक विज्ञान और गणित, सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए ।"

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राष्ट्रीय नीति संकल्प को ध्यान में रखते हुए 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या तैयार की है । इस पाठ्यचर्या में सभी कक्षाओं में अनिवार्य रूप से विज्ञान और गणित पढ़ाने की परिकल्पना है । इसमें विज्ञान और गणित पढ़ाने को ऊंचा उठाने और पाठ्यचर्या का लगातार नवीनीकरण करने की भी व्यवस्था है ताकि बच्चों को आधुनिक ज्ञान प्रदान किया जा सके । विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य खोज की वैज्ञानिक पद्धति को लोकप्रिय बनाना तथा परिवर्तनशील समाज में बच्चों को सक्षम रूप से भाग लेने के लिए तैयार करना तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण का विकास करना होगा । इस परिचर्या में यह भी परिकल्पना है कि कार्य अनुभव स्कूलों शिक्षा का एक प्रमुख लक्षण बन जाएगा । कार्य अनुभव का विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि और उद्योग की उत्पादक प्रक्रियाओं में लागू करने के अनुकूल होने की संभावना है ।

यूनिसेफ द्वारा दी गयी सहायता से स्कूली स्तर पर विज्ञान के अध्यापन कार्यक्रमों को और मजबूत बनाया जा रहा है । इस योजना में कक्षा 1–10 के लिए नई पाठ्यचर्या तथा अनुदेशात्मक सामग्रियों के विकास की परिकल्पना की गयी है । योजना में विज्ञान शिक्षकों तथा अध्यापकों को

प्रशिक्षण प्रदान करने की भी परिकल्पना की गयी है। प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किटों से सुसज्जित किया जाता है ।

राष्ट्रीय नीति संकल्प में + 2 स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की परिकल्पना की गयी है। इस स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण मोटे तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्था और रोजगार अवसरों की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा। आशा है कि इस प्रकार से कृषि; जन-स्वास्थ्य गृह प्रबन्ध, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, जन सेवा आदि जैसे क्षेत्र शामिल किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और कालेजों में विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान की कोटि में सुधार करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने बहुत से विशेष कार्यक्रमों का पता लगा लिया है। बेहतर विज्ञान शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और वर्कशापों जैसी सुविधाओं में सुधार के लिए उपलब्ध सामान्य विकासात्मक सहायता के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वैज्ञानिक उपकरणों, पुस्तकालय पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद के लिए अपने 50 प्रतिशत के मूल भाग को बढ़ा कर 75 प्रतिशत और विज्ञान वर्कशापों को स्थापित करने के मामले में शत प्रतिशत कर दिया है। पांचवीं योजना अवधि के दौरान, कालेज अपने संकाय सुधार और विज्ञान शिक्षा में नये-नये कार्यक्रमों के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कोटि सुधार कार्यक्रमों में अवर-स्नातक स्तर पर कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम शामिल हैं तथा अनुसंधान सहित स्नातकोत्तर स्तर पर, चुने हुए विभागों और उच्च अध्ययन के केन्द्रों में विशेष सहायता के कार्यक्रम शामिल हैं। कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य पाठ्यचर्या विकास, अध्यापक व्यवस्था तथा छात्र-अध्यापक सहभागिता के माध्यम से अवर स्नातक छात्रों की अभिभावी योग्यता को सुदृढ़ करना है। विज्ञान अध्यापन को सुदृढ़ करने के लिये पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं।

चुने हुए विभागों तथा उच्च अध्ययन के केन्द्रों को, अध्यापन और अनुसंधान के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने तथा उनकी विशिष्टिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास करने हेतु विशेष सहायता दी जाती है ।

विज्ञान शिक्षा को सुधारने के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें अल्पकालिक पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, सेमिनारों, सम्मेलनों में भाग लेना और देश की विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण करने तथा वहां कार्य करने के अवसर प्रदान करना शामिल है। अनुसंधान कार्य करने के लिए शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं। संगठित ढंग से विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुसंधान परियोजनाएं मूलभूत स्वरूप की तथा विकास उन्मुख कार्यक्रमों से सम्बन्धित होंगी। विश्वविद्यालयों में तथा अन्तर-विश्वविद्यालय आधार पर उच्च विशिष्टता तथा बढ़िया किस्म के उपकरण, संगणक आदि उपलब्ध करने के लिए केन्द्रित सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जहां तक समूचे देश में स्नातकोत्तर विज्ञान छात्रों के लिये रोजगार के अवसरों का सम्बन्ध है, उनके रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन पाठ्यचर्या को विशाल बनाने में आपने और क्या कार्यवाही की है ताकि इन छात्रों को उनके पाठ्यचर्या को विशाल बनाकर विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं में रोजगार के अवसर मिल सकें ? देश में विज्ञान शिक्षा को विशाल बनाने के लिए आपने क्या किया है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन: माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न हमारे विचाराधीन है। संसद् के निर्णयानुसार हमने विज्ञान को 1 से 10 तक की कक्षाओं में विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया है जिसके फलस्वरूप विज्ञान स्नातकों के रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को सुझाव दिया है कि वे विज्ञान पाठ्यचर्याओं का विविधीकरण करें। उदाहरण के तौर पर जीवविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, वनशास्त्र और कृषि के विभिन्न अन्य पहलू जैसे पाठ्यचर्या हैं जिनका विज्ञान के शिक्षण से सीधा सम्बन्ध है। वे इन कोर्सों के सम्बन्ध में पाठ्यचर्याओं का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जिस तरीके से 10+2+3 पद्धति की परिकल्पना की गई है, क्या आपके विचार में इससे विज्ञान छात्रों को सहायता मिलेगी क्योंकि इन कोर्सों से छात्र लोग व्यवसाय के लिये बाहर जा सकते हैं और शेष रोजगार अवसर के लिये इतने उपयुक्त नहीं रहते।

प्रो० एस० नूरुल हसन : आशय यह है कि प्लस-टू-स्टेज को कम से कम 50 प्रतिशत तक व्यावसायिक बनाया जायेगा। हम ऐसा रातों रात नहीं कर सकते। हम समूचे कोर्स का ढांचा इस तरह से बना रहे हैं कि छठी योजना के अन्त तक व्यावसायिक लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच है कि दिन प्रति दिन हम शैक्षणिक पद्धति में गड़बड़ कर के अपनी युवा पीढ़ी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं ? यह पद्धति केन्द्र के नियंत्रण में नहीं है परन्तु राज्यों के क्षेत्राधिकार में आती है। उदाहरणतः महाराष्ट्र में 10+2+3 पद्धति को स्कूल जाने वाले और कालेज जाने वाले छात्रों में अलग-अलग बांटा गया है। इस हालत में आप छात्रों की स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। ऐसी हालत में क्या आपने राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त देने की बात सोची है ताकि वे इनका पालन करें और छात्रों का जीवन बर्बाद न हो ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हमने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं परन्तु ऐसा केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है। ऐसा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया है जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्री, इस सदन के प्रतिनिधि और प्रसिद्ध शिक्षाविद् होते हैं। यह बात स्पष्ट की गई है कि यह स्टेज सिंगल स्टेज होनी चाहिये और इसका बंटवारा नहीं किया जाना चाहिये। सिफारिश यह है कि इसे यथासम्भव स्कूलों तक सीमित रखा जाये। इसे कालेजों में तभी शुरू किया जाये जब यह बात स्पष्ट रूप से पता हो कि यह कालेज का भाग न होकर स्कूल का भाग हो।

श्री वसन्त साठे : ऐसा हुआ है। मेरा यह प्रश्न है। आप इस पर निगरानी रखने के लिये इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह केन्द्रीय सूची में नहीं है। अतः मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री पी० आर० शिनाय : डिगरी कोर्सो—विज्ञान कोर्सो में दाखिलों की कुल संख्या में कमी हो रही है । कामर्स कोर्स में दाखिलों पर काफी जोर है । ऐसा इस कारण है कि कामर्स कोर्स लेकर छात्रों के लिए रोजगार के अवसर अधिक हैं । क्या मंत्री जी ने इस प्रवृत्ति को बदलने और यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं कि विज्ञान कोर्सों में अधिक छात्र प्रवेश लें ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैंने अपने विवरण में इस बात का विस्तृत ब्यौरा दिया है कि देश में विज्ञान शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये हमारा क्या कदम उठाने का विचार है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अकाउंटेंसी में विश्वविद्यालयों से निकले स्नातकों के स्तर में कुछ सुधार सुनिश्चित करें जब कि विज्ञान स्नातक भी क्लर्क बन रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि यदि वह विज्ञान स्नातकों के स्तर में सुधार कर रहे हैं तो वह इस दिशा में राज्यों पर किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे । जब ऐसा नहीं किया जाता तब तक रोजगार क्षमता के बारे में बात करना व्यर्थ होगा । अतः इस प्रश्न के बारे में उनका स्पष्ट उत्तर क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : अवार स्नातक स्तर पर विज्ञान शिक्षा की किस्म में सुधार करने के लिये उठाये गये कदम माननीय सदस्य ने नोट कर लिये होंगे । हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कालेजों को पर्याप्त सुविधायें देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम में सुधार हो सके । हमारे पास कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम है । इसके अलावा हमारे पास संकाय सुधार कार्यक्रम भी है जिसके द्वारा सुस्थापित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य करने और आगे अध्ययन करने के लिये अध्यापक लोग जा सकेंगे । उन्हें वेतन उनके संस्थान ारा दिया जाता रहेगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने एवजियों को, जो अपने निवास स्थानों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों में अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये जाते हैं, स्वयं से वेतन के अलावा 250 पये अतिरिक्त देगा ।

विशेषज्ञों के पैनल गठित किये गये हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालयों में विज्ञान के शिक्षण के लिये निर्धारित विभिन्न पाठ्यचर्याओं पर विचार कर रहे हैं कि स्तरों को अद्यतन बनाया जाये और उन्हें ऊंचा उठाया जाये ।

विश्वविद्यालयों में विज्ञान अनुसंधान के सम्वर्धन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक योजना है जो विश्वविद्यालयों और कालेजों में विज्ञान अध्यापकों का स्तर बढ़ाया जा सकेगा ।

विद्यार्थी स्वयंसेवी कोर योजना

***295. सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विद्यार्थी स्वयं सेवी कोर योजना आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इसके सामाजिक एवं आर्थिक पहलू क्या हैं जिनका कार्य उक्त कोर को सौंपा जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Shri Mohinder Singh Gill : Will the Minister be pleased to state by what time the scheme, which is under consideration, will be completed ?

Shri D. P. Yadav : There cannot be fixed any time limit. I can only say that our efforts are going on.

Shri Mohinder Singh Gill : The Government of Punjab have passed a Bill barring giving and taking of dowry and propose to form a society to implement the 20-point programme of the Prime Minister. I want to know whether these things will be covered under this scheme ?

Shri D. P. Yadav : I preach in my speeches that taking and giving of dowry is improper.

Shri Shiv Kumar Shastri : I would like to know why Government feel the necessity of this scheme and what speciality the studens will achieve thereby ? What are the shortcomings proposed to be removed by the implementation of this scheme ?

Shri D. P. Yadav : Our objective is that students take interest in work and they have the tendency to stand on their feet.

Shri Shashi Bhushan : Several experiments have been made on student in the country. Sometime 4-H club has been formed for them and somtime peace corps has been brought. It has been asked that what is social and economic aspect of this scheme ? I want to know what steps Government are taking to make students capable for social and economic freedom ? Government are thinking over it whereas the world has gone much ahead. Every students is having his eyes towards Government for giving him a programme. I want to know by what time Government propose to start this scheme ? In case the cannot indicate any specific day, at least they should take the initial steps. After all what is its direction ?

Shri D. P. Yadav : Our basic approach in the National Service Scheme is that there should be an integrated approach for our children for total development.

"खुला विश्वविद्यालय" पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता

*296. **श्री हरी सिंह** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'खुला विश्वविद्यालय' पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए किन्हीं विदेशी विशेषज्ञों की सहायता मांगी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी विशेषज्ञों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन देशों के हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) 'खुला विश्वविद्यालय' स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है और इसलिये ऐसे विश्वविद्यालय के लिये पाठ्य विवरण तैयार करने हेतु विदेशी विशेषज्ञता चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Hari Singh : It was stated in reply to my written question in the last session also that the matter is under consideration. He has given the same reply now. May I know the time by which the decision to establish an open university will be taken and whether experts are available with the Government for preparation of syllabus, and if so, whether session of the open university will commence from July ?

Prof. S. Nurul Hasan: There is no such possibility because in the first instance this House will have to pass the Bill and action can be initiated only after that.

Shri R. S. Pandey: In the whole world most intelligent students in a certain subject are given admission to the universities. But in our country the students securing even third class marks are admitted to. So we must formulate a policy which should ensure admission to the university only of the intelligent students after they have passed higher secondary examination. (*interruption....*). The hon'ble Minister has stated that he is going to arrange foreign experts for preparation of syllabus for the open university.

Mr. Speaker: He has said that the question of seeking foreign expertise does not arise.

Shri R. S. Pandey : May I know the criterion fixed for admission to the open university?

Mr. Speaker : This question is premature yet.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या मंत्री महोदय ग्राम ग्रादमी के लिये बतायेंगे कि खुला विश्वविद्यालय क्या होता है ? क्योंकि हमारे लिये तो यह एक रहस्य ही है । यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से किस रूप में भिन्न होगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : विश्व के विभिन्न भागों में कई प्रकार के खुले विश्वविद्यालय चल रहे हैं । अपनी जरूरतें पूरी करने हेतु हम अपना अलग ढंग से विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार कर रहे हैं । लेकिन जब सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती मैं विस्तृत विवरण नहीं दे सकता । अभी पता नहीं क्या निर्णय लिया जाये ? ।

श्री वसंत साठे : क्या सरकार इस बारे में खुले मस्तिष्क से सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

मछुओं को सहायता देने की योजना

*297. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुओं को मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नौकाओं की खरीद हेतु कृषि पुनर्वित निगम के माध्यम से ऋण देने की कोई योजना थी और यदि हां, तो योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी और किस प्रकार की नौकायें उपलब्ध की गई ; और

(ख) क्या योजना की अत्याधिक सफलता को देखते हुए इसे पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) सक्षम मात्स्यकी विकास परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये संस्थागत वित्त का अधिक प्रयोग किया जा रहा है । इस प्रकार संस्थागत वित्त का अधिकांश भाग कृषि पुनर्वित विकास निगम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । कृषि पुनर्वित विकास निगम ने फरवरी 1976 तक 111 मात्स्यकी योजनाये (109 समुद्रीय और 2 अन्तर्देशस्थ योजनायें) स्वीकृत की हैं । इन योजनाओं के लिये कुल 13 करोड़ रुपये देने का वचन दिया गया है, जिस में से

वित्तीय सहायता करने वाली संस्थाओं ने 6 करोड़ रुपये ले लिये हैं, इन योजनाओं में अन्य मदों के साथ साथ 25 फीट से 48 फीट तक की 1863 यंत्रीकृत नौकाओं की खरीद है करना शामिल है। इस के अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत 10 फाइबर ग्लास रिइनफोर्सड प्लासटिक (एफ० आर० पी०) नौकाओं की खरीद करना भी शामिल है। फरवरी 1976 तक उपर्युक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई यंत्रीकृत नौकाओं का राज्यवार वितरण निम्नलिखित है :–

क्रम सं०	राज्य	निम्नलिखित बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता की जाने वाली यंत्रीकृत मात्स्यकी नौकाओं की संख्या		
		राज्य सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक	योग
1.	गोआ . . .	10	53	63
2.	गुजरात	120	14	134
3.	महाराष्ट्र .	90	20	110
4.	कर्नाटक . . .	340	230	570
5.	केरल	144	97	241
6.	आन्ध्र प्रदेश . . .	45	—	45
7.	तमिलनाड . . .	200	350	550
8.	उड़ीसा	50	50	100
9.	पांडिचेरी . . .	50	—	50
		1049	814	1863

(ख) कृषि पुनर्वित निगम की सहायता से वाणिज्यिक योजनाओं का क्रियान्वियन क्रमबद ढ़ंग से जारी है। कृषि पुनर्वित विकास निगम ने सूचित किया है कि इस समय कृषि पुनर्वित विकास निगम 63 मात्यस्य की योजनाओं जिनकों 11.83 करोड रुप सहायता दी जानी है, पर विचार कर रहा है।

श्री पी० आर० शिनाय : विवरण के अनुसार अब तक 1863 यंत्रीकृत नौकाओं के लये मंजूरी दी गई है। क्या आप बतायेंग कि वर्ष 1974–75 और 1975–76 में कितनी नौकाओं के लिये मंजूरी दी गई थी? यह भी बतायें कि क्या इस समय कोई योजना लागू है, यदि हां तो कर्नाटक राज्य के लिय कौन सी योजना लागू की गई है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यदि सदस्य महोदय विवरण को देखे तो उस से पता चल जायेगा कि कितनी नौकाओं के लिये मंजूरी दी गई थी।

श्री पी० आर० शिनाय : केवल इतने ही आंकडे हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : योजना के अन्तर्गत इस में फरवरी, 1976 तक नौकाओं के लिये दी गई मंजूरी के आंकडे दिये गये है। कुल आंकडे यही है। वर्ष वार का ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1974–75 और 1975–76 में कितनी यंत्रीकृत नौकाओं की अनुमति दी गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे सूचना चाहिये ।

श्री पी० आर० शिनाय : विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1974–75 और 1975–76 राज्यों में अलग अलग कितनी यंत्रीकृत नौकाये वितरित की गई ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रत्येक वर्ष देश में यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या बढ रही है। कर्नाटक को काफी अधिक नौकायें दी जा रही हैं। वर्ष वार ठीक-ठीक संख्या के आंकडे मेरे पास नहीं है। विवरण में मैंने राज्यवार आंकडे दिये है।

श्री पी० आर० शिनाय : यह कहा गया है कि कृषि पुर्नवित निगम 63 मात्स्यकी योजनाओं पर जिनको 11.83 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जानी है। विचार कर रहा है। क्या इनमें से कोई योजना कर्नाटक के लिए भी है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कर्नाटक के लिए बहुत सी योजनाऐं हैं। मुझें प्रसन्नता है कि मात्स्यकी के मामले में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडू की स्थिति इस समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। कर्नाटक से इसका एक बड़ा भाग प्राप्त होता है।

श्री के० लकप्पा : इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और इस बात को देखते हुए कि कर्नाटक का तटवर्ती क्षेत्र लम्बा है, क्या मैं जान सकता हुं कि कर्नाटक राज्य ने कितनी यंत्रीकृत नौकाओं की मांग की थी और मंत्रालय द्वारा कितनी नौकाओं की मंजूरी दी गयी है और कितनी नौकाओं के लिए मंजूरी नहीं दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : उनके पास इस समय जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी थी वह विवरण में दे दी गई है।

श्री के० लकप्पा : राज्य की आवश्यकता कितनी नौकाओं की है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पांचवीं योजना में हमने आंकड़े तैयार किये हैं। उनके अनुसार 4000–5000 नौकाएं उपलब्ध रहेंगी। मेरा अनुमान है कि कर्नाटक के लिए 800–1000 तक नौकाओं की जरूरत होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त। यह हैरानी की बात है कि यहां दी गई 9 राज्यों की सूची में पश्चिमी बंगाल का नाम नहीं है जबकि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। क्या पश्चिमी बंगाल ने ऐसी कोई

योजना तैयार नहीं की जिसके लिए वित्त व्यवस्था की जा सकती थी? यही कारण है या कोई और कारण है जिसकी वजह से पश्चिमी बंगाल को कृषि पुर्नवित्त निगम की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि पश्चिमी बंगाल को नहीं छोड़ा जायेगा। दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल में न केवल मात्स्य की बल्कि अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए संस्थागत ढ़ांचा बहुत कमजोर है। यद्यपि हम विधि मंजूर करते हैं तथापि पश्चिमी बंगाल के लिए कृषि पुर्नवित्त निगम निधि की मंजरी देता है पर चूंकि संस्थागत ढ़ांचा कमजोर है अतः वास्तविक उपलब्धि बहुत कम होती है। अभी पिछले वर्ष वहां यंत्रीकृत नौकाएं पहली बार चलायी गई हैं। मेरा विचार है कि पश्चिमी बंगाल को इस विषय की ओर अधिक ध्यान देना होगा। हालांकि राशि उपलब्ध है तथापि कमजोर संस्थागत ढ़ांचे के कारण पूरा लाभ नहीं उठाया जाता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

महानगरों के आसपास उप-नगर बनाना

*282. **श्री रानेन सेन :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों और बड़े नगरों के निकट आसपास उप-नगर बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) महानगरों तथा बड़ बड़े शहरों में आबादी को कम करने और व्यवसायिक गतिविधियों को अलग अलग स्थानो में फैलाने की युक्ति के एक अंग के रूप में ऐसे शहरों के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम आरम्भ किए गये हैं जिनमें उप-नगरों को बसाना शामिल है।

(ख) नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता देने के बावजूद ऐसे शहरों के एकीकृत नगर विकास कार्यक्रमो के लिए जिनमें उप-नगरो का विकास कार्य शामिल है, केन्द्रीय सरकार भी पांचवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना

*283. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना की प्रगति का समय समय पर पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आधार वाली कर्णधार समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो उस कर्णधार समिति के सदस्यों के क्या नाम है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) और (ख). महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कार्यक्रमों और उपायों का पुनर्विलोकन करने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति को गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ब्यौरे की जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा तथा परीक्षाओं का माध्यम

*286. **श्री वरके जार्ज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मद्रास में आयोजित उपकुलपतियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्चतम स्तर पर शिक्षा तथा परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भारतीय भाषायें अपनाई जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) और (ख). मद्रास में अक्तूबर, 1975 में आयोजित दक्षिण स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन की कार्यवाही का रिकार्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार उक्त सम्मेलन में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा तथा परीक्षाओं के माध्यम के प्रश्न पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ था। तथापि सम्मेलन में भाग लेने वाले इस बात से सहमत थे कि क्षेत्रीय भाषाओं में सन्दर्भ कृत्तियों का निर्माण करना एक तात्कालिक आवश्यकता है जिससे विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर इन भाषाओं में विभिन्न पाठ्यचर्याएं शुरू की जा सकें और उन्होंने यह भी मान लिया था कि राज्य-पाठ्यपुस्तक एजेंसियों के संसाधनों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रकाशन सहायता की दो योजनाओं का उपयोग भी विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये करना चाहिये।

चिल्का पक्षी विहार

287. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चिल्का पक्षी विहार के लिए पांचवीं योजना के दौरान 20 लाख रुपये परिव्यय की एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार से प्रबन्ध योजना, अलग- अलग निर्माण कार्यों के लिए अनुमान, आश्रय-स्थल की स्थिति बताने वाला मानचित्र प्रस्तुत करने और इस बात के बारे में कि क्या चिल्का में मात्स्य की विकास के लिए विश्व बैंक परियोजना का कोई प्रस्ताव है, कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। विश्व बैंक परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत अनुमान और सूचना की प्रतिक्षा है। केन्द्रीय सहायता के लिए अपेक्षित सूचना मिलने पर इस योजना पर तत्काल कार्यवाही की आएगी।

Mulla Committee Report

***288. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government constituted Mulla Committee in 1968-69 to recommend amendments in the then Land Acquisition Acts;

(b) whether this Committee visited various States and made a thorough study of this problem;

(c) whether this Committee submitted its report to the Government long ago; and

(d) if so, salient features and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c). Yes, Sir.

(d) A statement has been laid on the table of the Sabha.

Statement

The main recommendations and conclusion of the committee are as follows:—

(1) **Principles which should govern the acquisition of land.**

(a) *Acquisition for public purpose at the cost of Government.*

The committee came to the conclusion that it is not possible to lay down any hard and fast definition of the term "public purpose" which is a condition precedent to compulsory acquisition as permitted under the Constitution. The committee has, theerefore, proposed an inclusive" definition of the term "public purpose", the effect of which will be making its scope wider than its existing definition. The committee has further recommended that public purpose should be made justiciable; a mere declaration of a public purpose by the Government need not be final and non-justiciable as is the position under the existing Act.

(b) *Acquisition for a purpose akin to public purpose at the cost of company.*

The committee has recommended that it will not be wise to impose a total ban on acquisition of land for companies which are engaged or taking steps for engaging themselves in any industry for work which serves a public purpose. But the special procedure laid down in part VII of the Land Acquisition Act, which imposes salutary restrictions, should be complied with in all cases of acquisition of land for a company other than a Government company or corporation or body corporate. If the land is not utilised by any company within the specified or extended time for the purpose for which it was acquired. Such acquisition of the land not utilised so far should be declared null and void and it should be restored to the original owner.

(c) *Speedy acquisition of land in cases of urgency/emergency.*

According to the committee, the urgency provision of section 17 of the Land Acquisition Act which arms the Government with drastic powers, has been grossly abused all over the country. It has recommended that the urgency clause under section 17 in the draft bill of the Law Commission may apply only in cases of emergency specified in the draft bill subject to the modification suggested by the committee.

(2) **Principles for determining compensation**

(a) *Quantum of compensation*

The committee has recommended that as far as possible everyone who is deprived of this property by compulsory acquisition should be enable by the compensation awarded to him to place himself in substantially the same position in which he was before the acquisition of his land. The community which benefits from the acquisition must also bear the burden of justly compensating the owner. Compensation should, therefore, be payable on all acquired lands (including property) only on the basis of market value including its protential value as has been the guiding principle up till now. As for the imperative need for minimising the concentration for wealth in a few hands and the necessity for removing social disabilities for achieving the objectives of a Welfare State envisaged in the Constitution, there are other measures which can always be adopted by the State for removal of social inequalities.

The committee has also suggested raising the amount of solatium from 15 per cent of the compensation to 30 per cent.

(b) *Forum for determination for compensation*

The committee has recommended that determination of compensation should be left only to the courts which alone are in a position to inspire confidence in the general public. It has further recommended that compensation may be fixed by an agreement between the parties, and a reference to the court may be made only if no agreement is reached. The committee has also recommended that the right to appeal should be restricted. In cases involving petty amounts and certain other specified conditions, no appeal should lie unless a point of law or question of title to land is also inolved in them.

(3) **Remedial measures for administrative delays**

Noting that there has been inordinate delay in land acquisition proceedings, the committee has suggested that acquisition proceedings up to the date of reference to the court should be completed within a period of 12 months. This time-limit may be extended by another 3 months in cases of normal acquisition and 6 months in cases of acquisition for big projects provided there are good reasons (to be recording in writing) for doing so.

(4) **Measures for rehabilitation of evicted families**

The committee has observed that the increase in the amount of solatium from 15 per cent to 30 per cent of the compensation amount would go a long way in meeting the cost of rehabilitation of the landowners and other persons interested in the land. In respect of persons who do not come in the category of 'persons interested, but suffer from consequences of acquisition, the government should accept a social and moral responsibility for rehabilitating them. Noting that it may not be possible to provide in the statute for measures of rehabilitation for such uprooted persons, the committee has nonetheless recommended certain measures for their resettlement.

(5) **Feasibility of enacting a uniform law on land acquisition**

The committee has recommended that the law on land acquisition should be made applicable to the whole of India.

The recommendations of the committee have all been studied in details under the auspices of the Ministry of Agriculture and Irrigation and in consultation with the State Governments. The Twenty-fifth Amendment of the Constitution and the recommendation of the Housing Ministers' Conferences of 1973 and 1974 have necessitated fresh examination for some of the issues dealt with in the report. While most of them have been done, the remaining ones are being examined.

भिक्षा-वृत्ति समाप्त करने के लिए कानून

*289. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत भर में भिक्षा-वृत्ति समाप्त करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में समाज कल्याण बोर्ड ने भिखारियों को रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की है और यदि हां, तो इस दिशा में पहल करने वाले अग्रगन्य राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) भारत सरकार संघ शासित क्षेत्रों के लिए आवारगी के विषय पर, जिसमें भिक्षावृत्ति भी शामिल है, समान कानून करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव जब संसद द्वारा

अनुमोदित कर दिया जाएगा तो राज्यों के लिए एक नमूना बन जाएगा। निम्नलिखित राज्य सरकारों ने अपने-अपने भिक्षा-रोधी कानून बना रखे हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) (1) राज्य समाज कल्याण बोर्ड एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं, जिससे निराश्रित स्त्रियों को रोजगार की सुविधाएं मिलती है। यह भिक्षावृत्ति के विरुद्ध निवारक उपाय के रूप में है। 1975—76 में निम्नलिखित राज्य बोर्डों ने अच्छा काम किया है :—

राज्य बोर्ड का नाम	स्थापित किए गए सामाजिक-आर्थिक एककों की संख्या
आंध्र प्रदेश	21
असम	31
गुजरात	22
केरल	30
महाराष्ट्र	21
तामिल नाडु	21
उत्तर प्रदेश	20
पश्चिम बंगाल	24

(2) इसके अतिरिक्त राज्य समाज कल्याण बोर्ड प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों और व्यवसायिक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जिससे ऐसी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।

कृषि विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य निधि

*290. **श्री सी० के० चन्द्रप्पनः** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य निधि जुलाई 1976 से आरम्भ हो जायेगी ; और

(ख) क्या इस निधि में से भारत सरकार को कोई सहायता मिलेगी और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) रोम में 27 जनवरी, से 6 फरवरी, 1976 तक हुई एक बैठक में इच्छुक देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के करार के मसौदे को पूर्णाधिकार-प्राप्त सम्मेलन द्वारा विधिवत् स्वीकृति दिए जाने के लिए

अंतिम रूप दिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को यह अधिकार दिए गए कि वे पूर्णाधिकार प्राप्त सम्मेलन उसी समय बुलायें जब वे यह सुनिश्चित कर लें कि 1 अरब एस० डी० आर० तक की धनराशि मिलने के उन्हें वचन मिल गये हैं। बैठक में यह फैसला किया गया कि अंशदान करने वाले उन सभी देशों को यथाशीघ्र आमंत्रित किया जाए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि में शामिल होने की अभी आकांक्षा व्यक्त नहीं की है या इसमें अंशदान करने का वचन नहीं दिया है ताकि पूर्णाधिकार-प्राप्त सम्मेलन यथासम्भव मई, 1976 के महीने में बुलाया जा सके।

यह करार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा अपेक्षित न्यूनतम सदस्य देशों से अनुमोदन, स्वीकृति, मंजूरी या सहमति मिल जाने पर लागू होगा जिनका शुरू में कुल अंशदान कम से कम 75 करोड़ अमरीकी डालर होगा।

अतः इस निधि के जुलाई, 1976 से शुरू होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) प्रस्तावित चार्टर के अनुसार इस निधि से धन का नियतन करने में नीचे लिखी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

(1) खाद्य उत्पादन बढ़ाने तथा सर्वाधिक खाद्य की कमी वाले देशों में सबसे गरीब आबादी के पोषाहार सम्बन्धी स्तर में सुधार करने की आवश्यकता ; और

(2) अन्य विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना। इन देशों में सबसे गरीब जनसंख्या के पोषाहार सम्बन्धी स्तर और उनकी जनता की स्थिति में सुधार करने पर जोर दिया जाएगा।

उपर्युक्त संदर्भ में भारत इस निधि से पर्याप्त सहायता पाने की आशा कर सकता है, हालांकि अभी इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई जा सकती है।

सिंचाई योजनायें

*291. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश के पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषकर आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों में किन्हीं सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) व (ख): जहां तक बड़ी तथा माध्यम सिंचाई योजनाओं का संबंध है, विभिन्न राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों, जिनमें पिछड़े क्षेत्र आदि शामिल हैं, के लिए आपात स्थिति के बाद 528.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ऐसी 30 योजनाएं मंजूर की गई हैं।

इन योजनाओं में उठाऊ सिंचाई, बांध, जलाशय, तालाब, नदी परियोजनायें आदि शामिल हैं।

राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें पिछड़े क्षेत्र आदि शामिल हैं, कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा आमतौर पर संभाव्य लघु सिंचाई योजनायें मंजूर की जाती हैं। 1975-76 के

दौरान लघु सिंचाई के लिए राज्य योजनाओं में से लगभग 124.24 करोड़ रुपये का कुल धनराशि और संस्थागत संसाधनों में से 210.96 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाए जाने की आशा की जाती है।

केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1975–76 में पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां अधिकतर जनजाति तथा हरिजन जन संख्या है, में लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए 18.26 करोड़ रुपये की धनराशि अलग से बंटित की है।

कार्यान्वियन के अन्तर्गत योजनाओं में संग्रह-टंकी तथा जलाशय, तोड़ तथा उठाऊ सिंचाई योजनायें, बड़े व्यास के कुएं तथा अन्य जल-संचय ढांचे शामिल हैं।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद से राज्य सरकारों तथा विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के परियोजना प्राधिकारियों को लघु सिंचाई सहित उत्पादन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु अधिक प्रयत्न करने के लिए अनुदेश भी दिए गए हैं।

हिन्दी ग्रंथ अकादमियों में पड़ी हुई हिन्दी पाठ्य पुस्तकें

*293. **श्री सरजू पाँडे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 करोड़ रुपये के मूल्य की हिंन्दी पाठ्य पुस्तकें हिन्दी ग्रंथ अकादमियों में पड़ी धूल फांक रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी नहीं। हिन्दी ग्रंथ अकादमियों द्वारा अभी तक प्रकाशित पुस्तकों का कुल मूल्य लगभग 226 लाख रुपये है जिनमें से लगभग 42 लाख रुपये कीमत की पुस्तकें बिक चुकी हैं। अकादमियों ने अपने प्रयत्न तेज कर दिए हैं ताकि उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें छात्रों तक पहुंच सकें। आशा है कि इन पुस्तकों के उपयोग में आगे और सुधार होगा।

गन्ने की उपज के लिए नई प्रौद्योगिकी

*298. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की बेहतर उपज लेने के लिए सहयोगी सस्य उगाने में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने नई व्यापक प्रौद्योगिकी का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) से (ग) भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित गन्ना सुधार प्रायोजना अन्तर्गत ऐसी सह फसलों के बारे में पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य चल रहे हैं जिनसे प्रति इकाई जमीन

से प्राप्त गन्ने की उपज के साथ शुद्ध आय बढने की सभावना है। गेहूं, आलू, मूंग, मूंगफली और प्याज को गन्ने की सह फसलों के रूप में उगाया गया। पतझड़ में रोपी गयी गन्ने की फसल के साथ गेहूं, आलू, मसूर और सरसों उगाना लाभकारी पाया गया, जबकि बसन्त में रोपी गयी गन्ने की फसल के साथ, मूंगफली, रागो और मूंग बोने से लाभ हुआ। यह देखा गया कि सह-फसलों से अधिकतम लाभ लेने के लिए गन्ने और इन सह-फसलों दोनों किस्मों का चयन, सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

सह-सफल कार्यक्रमों में देखा गया कि आलू को छोड़ कर सभी प्रयोगों में गन्ने की उपज में कमी आई। पर गन्ने की उपज से हुई कमी, सह-फसल के अतिरिक्त उपज से पूरी हो गयी। इन परिणामों का परीक्षण और पुष्टि किसानों के खेतों में अभी होनी है। इसके बाद ही इन्हें अपनाने की सिफारिश की जाएगी।

ग्रामीण परिवारों को निर्माण स्थलों का आवंटन

*299. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिन ग्रामीण परिवारों के पास अभी तक गृह निर्माण स्थल नहीं हैं, उनके लिए गृह निर्माण स्थल आवटन योजना की क्रियान्विति का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) देश में आवास-स्थल की जरूरत वाले लगभग 110 लाख भूमिहीन मजदूरों में से करीब 60 लाख मजदूरों को आवास-स्थल दे दिए गये है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना न्यूतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अंग है। अब इसे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। इस योजना पर मुख्य मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में विचार किया गया था और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे इस योजना के कार्यान्वयन को अत्याधिक प्राथमिकता दें।

अतिरिक्त चावल वाले राज्यों से सुरक्षित भंडार के लिए चावल

*300. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल में सुरक्षित भंडार बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त चावल वाले राज्यों से चावल देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने कितना-कितना चावल दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अधिशेष राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय पूल को चावल दें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और बफर स्टाक भी तैयार किया जा सके।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1975-76 मौसम के दौरान, 25-3-1976 तक प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय पल को सप्लाई किए गए चावल की मात्रा

हजार मीटरी टन में

राज्य	1975-76 केन्द्रीय पूल को सप्लाई की गई मात्रा
आंध्र प्रदेश	160.5(क)
असम	5.8
हरियाणा	444.3
मध्य प्रदेश	27.1
उड़ीसा	0.6
पंजाब	1155.1
उत्तर प्रदेश	549.7
कुल जोड़ . . .	2343.1

(क) इसमें 1974-75 फसल की 57 हजार मीटरी टन बाकी मात्रा शामिल है ।

बिना बिके उर्वरक

1443. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा 1976 में जनवरी के अन्त तक कितना उर्वरक आयात किया गया; और

(ख) जनवरी, 1976 के अन्त तक कितना स्वदेशी तथा अयातित उर्वरक अनबिका पड़ा था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) 1976 के दौरान 11.02 लाख मीटरी टन एन०; 4.30 लाख मीटरी टन पी० और 2.90 लाख मीटरी टन के० उर्वरकों का आयात किया गया था। जनवरी, 1976 के महीने में 0.59 लाख मीटरी टन एन०; 0.13 लाख मीटरी टन पी० और 0.11 लाख मीटरी टन के० का आयात किया गया था।

(ख) जनवरी, 1976 के अन्त में बिना बिके पड़े उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :—

	(लाख मीटरी टन)		
	एन०	पी०	के०
देशी	0.98	0.62	0.17
आयतित	3.41	2.18	1.57

उर्वरक-व्यापार में थोक व्यापारी

1444. श्री अनन्त प्रसाद घुसिया : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का व्यापार करने वाले थोक व्यापारी भारी लाभ कमा रहे हैं और यदि हां, तो इस व्यापार में बिचौलियों को अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या थोक व्यापारियों के लाभ के कारण उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि उर्वरकों के थोक व्यापारी उर्वरकों के व्यापार में बहुत लाभ कमा रहे हैं। कुछ प्रमुख आयातित उर्वरकों और देश में उत्पादित उर्वरकों के खुदरा मूल्यों और वितरण के लिये उन्हें मिलने वाले लाभ का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। लोगों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये खुदरा मूल्य, जिस पर आयातित उर्वरक बेचे जाते हैं, सरकार ने निर्धारित किये हैं। प्रमुख नाइट्रोजनों, उर्वरकों अर्थात् यूरिया, एमोनियम सल्फेट और कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट जो देश में उत्पादित उर्वरकों का लगभग 60 प्रतिशत है, के मूल्य कानूनी रूप से निर्धारित किए गए हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के मूल्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए फार्मूले के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित किए गए हैं और भारतीय उर्वरक एसोसियेशन इसे लागू करता है। पोटाश पूर्णत: आयात किया जाता है और सरकार द्वारा इसके खुदरा मूल्य और वितण के लिये लाभ निर्धारत किया जाता है। अन्य देशी उर्वरकों के संबंध में यद्यपि कानूनी रूप से कोई मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में आयात किए जाने वाल उर्वरकों के मूल्यों का देशी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।

विवरण

(प्रति मीटरी टन रुपए में)

क्रम सं०	उर्वरक का नाम	खुदरा मूल्य	विवरण संबंधी लाभ
आयातित उर्वरक			
1.	यूरिया (46 प्रतिशत एन)	1750	115
2.	एमोनियम सल्फेट (21 प्रतिशत एन) 50 किलोग्राम का पैकिंग	935	75
3.	कैल्सिम एमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत एन)	1060	75
4.	डाई-एमोनियम फास्फेट (18–46–0)	2600	140
5.	यूरेब आफ पोटाश (60 प्रतिशत के 2 ओ) 50 किलोग्राम का पेकेज	910	80
6.	एमोनियम नाइट्रो-फास्फेट (20–20–0)	1660	110
7.	इमोनियम नाईट्रो-फास्फेट (24–24–0)	2295	140
8.	एन० पी० के० (15–15–15)	1645	105
देशी उर्वरक			
1.	यूरिया	1750	115
2.	एमोनियम सल्फेट	935	75
3.	एन० पी० (28–28–0) (कोरो मंडल)	2600	160
4.	एन० पी० के० (15–15–15) उर्वरक निगम लि०	1570	115
5.	एन० पी० (20–20–0) एफ० ए० सी० टी०	2150	160
6.	एन० पी० (24–24–0) मद्रास उर्वरक लि०	2330	150

मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में आयाकट योजना के लिए मंजूर की गई धनराशि

1445. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में आरम्भ की गई आयाकट योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि मंजूर की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : केन्द्रीय क्षेत्र के कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने जवनरी, 1973 में चम्बल कमांड, मध्य प्रदेश में

सड़कों और मंडियों के निर्माण/सुधार के लिए 1.44 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना मंजूर की थी। इसमें से राज्य सरकार को अभी तक कुल 94.91 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

मध्य प्रदेश के चम्बल कमांड में कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मृदा सर्वेक्षणों, स्थलाकृति संबंधी सर्वेक्षणों, फार्म योजनाओं तथा फार्म पर विकास कार्य की निगरानी की लागत के प्रति भारत सरकार का अंशदान पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 28.51 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई हैं।

दिल्ली में भिक्षा-उन्मूलन

1446. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को भिखारियों से मुक्त शहर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये आरम्भ की जाने वाली योजना का क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस योजना को कब लागू किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). बम्बई भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम, 1959 दिल्ली में लागू है, जिसके अधीन भिक्षा मांगना अपराध है। दिल्ली से भिखारियों को हटाने के लिए दिल्ली प्रशासन उक्त अधिनियम के अधीन उपाय कर रहा है।

Soyabean Cultivation

1447. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether his Ministry had recently made a review or conducted a survey in regard to cultivation of Soyabean;

(b) if so, whether Soyabean growers are not getting any incentive in the absence of suitable markets for Soyabean and thus they have suffered heavy losses;

(c) whether there is no proper arrangement for its export; and

(d) whether there is great discontentment among farmers (Soyabean growers) in Uttar Pradesh on this account; if so, steps taken by the Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Soyabean development in the country and the problems being faced in its cultivation, particularly relating to its marketing, were considered at a meeting convened by the Ministry of Agriculture at New Delhi on 23-1-1976.

(b) Consequent upon the anticipated harvest of a bumper crop of oilseeds in the country during 1975-76, prices of vegetable oilseeds and oils have come down rather sharply. The prices of soyabean and its oils have also accordingly shown a downward trend.

(c) Export of Soyabean from the country is banned.

(d) In order to solve the problem of disposal of accumulated stocks of soyabean with the farmers, particularly in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on the recommendation of the said meeting held here on 23-1-1976, the State Governments have been advised that they should involve their cooperatives in collecting soyabean from scattered places to certain convenient centres in commercially viable quantities. The cooperatives should furnish full details of such collection centres (and details of soyabean so collected) to the industry so that the latter could make necessary arrangements for lifting the entire produce in time. The representative of the

Solvent Extractors' Association present in the meeting had indicated that the Association, through its members, would arrange to purchase the entire quantity of soyabean from such centres at a price to be mutually decided between the extractors and the cooperatives in the States.

The recommendation relating to the fixation of a support price for soyabean as also other recommendations made at the said meeting are being examined.

डेरा पठार में शरणार्थियों की समस्या

1448. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें डेरा पठार जिला नौगांव, आसाम में शरणार्थियों की समस्याओं के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सभी तरह के ऋण तथा सहायता बन्द कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डेरा पठार के परिवारों की कुछ कठिनाइयों के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था और उस पत्र का उत्तर भी दे दिया गया था।

(ख) इस क्षेत्र में बसाए गए कृषक तथा गैर-कृषक परिवारों को निर्धारित दर के अनुसार ऋण तथा अनुदान पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके अलावा, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 लघु प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने तथा भूमि सुधार की लागत आदि के लिए सहायता भी दी गई है।

किसी भी ऋण तथा सहायता को बन्द नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी के कारखाने

1449. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी कारखाने द्वारा क्रमशः गैर-सरकारी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में उत्पादित चीनी की मात्रा, गन्ने का प्रति टन मूल्य और किसानों को भुगतान की गई कुल राशि, अर्जित लाभ और आयकर के भुगतान के अद्यतन राज्यवार उपलब्ध आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या इन आंकड़ों से तीनों क्षेत्रों के चीनी कारखानों द्वारा, भुगतान किये गए आयकर में भारी असमानता का पता लगता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). 15-3-76 तक गन्ने का उत्पादन, 1975-76 के दौरान गन्ने के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दिए गए मूल्य का रेंज और 15-2-1976 तक दिए गए गन्ने के मूल्य की कुल राशि के बारे में राज्यवार स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—10564/76]

1973-74 के दौरान, गैर-सरकारी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियों को हुए मुनाफे/हुई हानियों के बारे में राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण भी संलग्न है (परिशिष्ट–2) [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—10564/76]

वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान पूरे किए गए आयकर निर्धारण के उपलब्ध अद्यतन आंकड़े को बताने वाला विवरण भी संलग्न है (परिशिष्ट–3) [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—10564/76]

गैर-सरकारी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दिए गए आयकर के ब्यौरे को आयकर विभाग संकलित नहीं करता है। चीनी उद्योग के बारे में संकलित आंकड़े, अखिल भारतीय आयकर सांख्यिकी में प्रकाशित किये जाते हैं जिसमें आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारित कुल आय और उस पर कम्पनी तथा गैर-कम्पनी निर्धारितियों द्वारा देय कर सम्बन्धी आंकड़े होते हैं। कम्पनियों के लिए दर का ढांचा, सरकारी समितियों, फर्मों, अविभाजित हिन्दू परिवारों, व्यक्तिगतों, आदि से भिन्न होता है। उसके अलावा, देय कर, निर्धारिती की कराधेय आय के आकार पर निर्भर करता है। एक कम्पनी के देय औसत कर और गैर-कम्पनी के कर-निर्धारण में अन्तर मुख्यतः उपर्युक्त दो कारणों अर्थात् दर के ढांचे में अन्तर और मुनाफे की राशि से होता है।

क्षेत्रीय भाषाओं में पाठय-पुस्तकें

1451. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लिए सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं, और गत तीन वर्षों में इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने सम्बन्धी प्रयासों के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए यह मन्त्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। इस योजना में भाग लेने वाले पन्द्रह राज्यों के सरकारी अथवा स्वायत्त राज्य पुस्तक निर्माण बोर्ड स्थापित किए हैं। कुछ स्थितियों में, पुस्तकों का निर्माण विश्वविद्यालयों द्वारा सीधे भी हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, उपरोक्त राज्य स्तर मशीनरी के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए, यह मन्त्रालय राज्य सरकारों को अनुदान देता है। गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदानों के राज्यवार ब्यौरे तथा अद्यतन निर्माण की गई पुस्तकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राज्यों को दिए गए अनुदान 1972-73	1973-74 (रुपये लाखों में)	1974-75	अद्यतन प्रकाशित पुस्तकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	23.00	--	1.00	360
2.	असम	15.00	16.00	5.00	300
3.	बिहार	12.00	5.00	9.00	150
4.	गुजरात	15.00	18.00	5.00	482
5.	हरियाणा	5.00	2.00	3.50	60
6.	कर्नाटक	15.00	10.00	2.00	292
7.	केरल	15.00	18.00	10.00	415
8.	मध्य प्रदेश	15.00	8.00	6.00	200
9.	महाराष्ट्र	5.00	9.00	5.00	72
10.	उड़ीसा	10.00	4.00	3.50	150
11.	पंजाब	15.00	2.00	5.00	55
12.	राजस्थान	5.00	4.00	6.00	161
13.	तमिलनाडु	20.00	18.00	6.00	516
14.	उत्तर प्रदेश	10.00	8.00	12.00	159
15.	पश्चिम बंगाल	5.00	2.00	1.00	29
		185.00	124.00	80.00	3401

गेहूं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले-जाने पर रोक

1452. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गेहूं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर लगी रोक में ढील दी जाएगी;

(ख) क्या राज्यों से इस सम्बन्ध में सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) और (ग). हालांकि राज्य सरकारों से इस प्रकार का औपचारिक रूप से कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, फिर भी इस मामले पर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के मुख्य मन्त्रियों/खाद्य मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया गया था और अधिकाधिक वसूली करने के हित में, गेहूं के अन्तर्राज्यीय संचालन पर लगे प्रतिबन्धों को जारी रखने का निर्णय किया गया है।

काजू उत्पादन में कमी

1453. **श्री वयालार रवि:** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अपरिष्कृत काजू के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इन तीन वर्षों के दौरान काजू का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) काजू के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई सरकारी अनुमान जारी नहीं किये जाते। तथापि उत्पादन के तदर्थ अनुमानों से यह पता नहीं चलता कि कच्ची गिरी का उत्पादन कम हो गया है।

(ख) तदर्थ अनुमानों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू के उत्पादन में उतार चढ़ाव निम्नलिखित प्रकार रहा है :—

वर्ष	उत्पादन (मीटरी टन)
1972-73	158626
1973-74	157305
1974-75	185021

सूखा पीड़ित बिहार के लिए मास्टर प्लान

1456. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० एम० मधुकर :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त परियोजना स्वीकृति समिति ने बिहार के लिए 16 करोड़ रुपये का पंचवर्षीय मास्टर प्लान मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न क्षेत्रों पर बल देते हुए समन्वित क्षेत्र विकास करना है;

भूमि तथा नमी संरक्षण, कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, वनरोपण और चरागाह विकास तथा ऋण सहायता।

Drought Prove Areas Programme

1457. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Drought Prone Areas Programme has been initiated in the country during the last three years, if so, amount spent in each State since then separately and works carried out; and

(b) whether this programme is still under execution as also works being carried out in Rajasthan under this programme along with the names of places where they are being carried out?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan). (a) The Drought Prone Areas Programme was originally initiated in 1970-71 as a Rural Works Programme mainly to provide employment. In the Fifth Plan, it has been reoriented as an area development programme. In its new concept, it is in operation since 1974-75. A statement on expenditure incurred in each state from 1973-74 is appended. The sectors taken for development are soil and moisture conservation, afforestation and pasture development, minor irrigation, livestock development and dryland farming.

(b) Yes, Sir. In Rajasthan the programme extends over ten main districts, *vis*, Banswara, Barmer, Bikaner, Churu Dungarpur, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur, Nagaur and Pali. In addition, six more tehsils are covered in Ajmer, Jhunjhunu and Udaipur districts. Main concentration of activity in Rajasthan is in the sectors of cattle and dairy development, pasture and sheep development, groundwater development, miner irrigation and power.

'Statement'

Statement showing statewise and yearwise expenditure under D. P. A.P. during the 4th Plan and the last three years

(Rs. in lakhs)

S. No.	State	4th Plan expenditure	Expenditure incurred during		
			1973-74	1974-75*	1975-76*
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	858·11	66·75	95·05	96·29
2.	Bihar	267·72	93·88	142·17	61·44
3.	Gujarat	1072·94	333·43	839·14	320·07
4.	Haryana	344·00	—	52·72	1·03
5.	Jammu and Kashmir	96·95	25·86	35·50	8·12
6.	Karnataka	1013·40	170·93	280·63	200·96

*Subject to reconciliation with the State Acctt. Generals.
**Up to January, 1976

1	2	3	4	5	6
7.	Madhya Pradesh	743·48	335·99	310·49	157·92
8.	Maharashtra	1143·23	182·46	250·00	82·06
9.	Orissa	340·99	103·45	96·26	62·23
10.	Rajasthan	1442·76	321·32	292·60	215·93
11.	Tamil Nadu	384·13	88·64	142·02	152·33
12.	Uttar Pradesh.	1173·09	587·00	311·30	82·28
13.	West Bengal	242·58	86·58	78·40	52·67
	TOTAL	9123·38	2396·29	2926·28	1493·33

NOTE:—Figures are as reported by the State Govt.

उड़ीसा में धामड़ा मत्स्य पालन पत्तन

1458. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धामड़ा मत्स्य पत्तन योजना में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है; और

(ख) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में परियोजना का कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सरकार ने 56.13 लाख रुपये की लागत से एक मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह को बनाने की स्वीकृति दी है, जिसमें तलकर्षण खुदाई का कार्य, घाट-अवतरण, पत्थर लगाना; जल अवतरण, भूमी समतलन और नीलामी हाल के निर्माण सम्बन्धी समुचित लागत भी आती है।

(ख) आशा है कि यह योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाएगी और इसी अवधि में पूरी की जाएगी।

ग्रामीण ऋण

1460. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राज्य-वार कितना ग्रामीण ऋण दिये जाने का अनुमान है और इस कुल राशि में से छोटे एवं सीमान्त किसानों और ग्रामीण श्रमिकों का कितना-कितना भाग होगा;

(ख) इस समय ग्रामीण ऋण सम्बन्धी राज्य-वार आवश्यकताएं क्या हैं; और

(ग) कुल दिये जाने वाले ग्रामीण ऋणों में राष्ट्रीयकृत बैंकों सहकारिताओं तथा अन्य अभिकरणों का कितना-कितना भाग होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) वर्ष 1974-75 लिए ग्रामीण ऋण के बोझ का मूल्यांकन करने के लिए कोई राज्यवार सर्वेक्षण नहीं किया गहैश वे तथापि, 30-6-71 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए अखिल भारतीय ऋण तथा या के

सर्वेक्षण के आधार पर सभी ग्रामीण परिवारों के बारे में राज्य-वार कुल देयताएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10565/76] सभी ग्रामीण परिवारों की कुल देयताओं में से, भूमिहीनों तथा जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है, को देयताओं का अंश 48.72 प्रतिशत आंका गया था।

(ख) पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए उत्पादन ऋण अपेक्षाएं 3,000 करोड़ रुपये आंकी गई थीं। पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋणों का लक्ष्य 1318.67 करोड़ रुपये है और पांचवीं योजना के लिए मध्यकालीन तथा दीर्घ कालीन ऋणों के लिए संचित लक्ष्य क्रमश: 329.58 करोड़ रुपये तथा 1496.37 करोड़ रुपये है। राज्यवार आंकड़े विवरण 2 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10565/76] में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान प्राथमिक सहकारी ऋण सोसायटियों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों (अल्प कालीन, मध्य कालीन, तथा दीर्घ कालीन) की अनुमानित धनराशि 1033.89 करोड़ रुपये थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में, जून 1975 के अन्त में कृषि को सीधे दिए गए अग्रिम (बकाया) 511.64 करोड़ रुपये थे। अन्य एजेंसियों द्वारा ऋण की सप्लाई की मात्रा से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

तमिलनाडु में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों का क्रियान्वित किया जाना

1461. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान क्रियान्वित करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु में सहायता प्राप्त कालेजों के अध्यापकों को सेवा-सुरक्षा प्रदान करने वाला अध्यादेश जारी किये जाने के बाद कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) (क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, मामला विचाराधीन है।

(ख) एवं (ग) तमिलनाडु सरकार ने यह सूचना दी है कि तमिलनाडु निजी कालेज (विनियम) अध्यादेश 1975 के अन्तर्गत ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिनमें सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षकों की सेवा-स्थिति की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी।

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कृषि कार्यक्रम

1462. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कृषि कार्यक्रम की क्रियान्विति की जांच करने के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की है

(ख) क्या सरकार को राज्यों से इस सम्बन्ध में नियमित रूप से रिपोर्ट मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और कृषि कार्यक्रम की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) उपबन्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने कृषि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समितियां गठित की हैं । इनमें से कुछ राज्यों में अन्य स्तरों पर भी ऐसी समितियां स्थापित की हैं । इनके अलावा कई राज्य ऐसे भी हैं जहां भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपायों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समुचित समितियां स्थापित की गई हैं ।

(ख) और (ग) राज्यों से समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती हैं । यह स्वाभाविक है कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी उपायों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य के विभिन्न भागों से एकत्र किए गए आंकड़ों को समेकित करने में समय की जरूरत होती है । अतः संदर्भविधि और वास्तविक रूप से रिपोर्ट प्राप्त होने की अवधि के बीच कुछ समयान्तर होता है ।

अद्यतन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार देश भर में 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि फालतू घोषित की गई है । राज्यों ने 4,08,000 एकड़ से अधिक भूमि वास्तविक रूप से अपने कब्जे में ले ली है । इसमें से 1,20,000 एकड़ भूमि 88,000 लाभानुभोगियों में वितरित की गई है ।

Auction of Damaged Seeds

1463. **Kumari Maniben Vallabhbhai Patel:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) quality, quantity and value of the damanged seeds auctioned by the National Seeds Corporation during the last three years, yearwise, and loss suffered by it each year as a result thereof;

(b) reasons for which these seeds were damaged; and

(c) effective measures proposed to be taken to avoid the recurrence thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) to (c) Seeds got damaged on account of ageing and deterioration in transit and storage. Damaged seeds, seeds which have become obsolescent and surplus if any are condemned and auctioned by the sub-units, farms and regional offices of the National Seeds Corporation from time to time. Information regarding the quantities and values of seeds auctioned and the consequent losses suffered by the sub-units, farms and regional offices of the Corporation during the last 3 years is being collected and consolidated by the headquarter office of the National Seeds Corporation. The information will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

It may not be possible to completely avoid condemnation of seeds as seeds may lose their germination due to factors beyond human control. However to reduce condemnation the following steps are being teken by the Corporation.

(1) The production programme is taken up after careful assessment of the marketability.

(2) Storage facilities are being improved.

(3) Seed movement is being organised on scientific lines in order to reduce transit period.

(4) Marketing network is being strengthened.

कृषि नीति की उपलब्धि

1464. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति से यह प्रकट हो गया है कि कृषि अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में हमारे अभावग्रस्त और आयात पर आश्रित रहने वाले प्रबन्धक फालतू उत्पादन की समस्या को हल करने में असमर्थ हैं; और

(ख) मूल्य समर्थन, भण्डारण और वितरण के मुकाबले में अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने तथा मजबूत करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जहां आवश्यक होगा वहां वसूली मूल्यों पर समर्थन देने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये गए हैं । भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और अन्य वसूली एजेंसियों में भण्डारण की बढ़ी हुई जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त गोदाम किराये पर लेने और ढके हुए और गोदाम तथा प्लिथ तैयार कराने के लिये पग उठाए हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की नियमित सप्लाई करने के लिए पहले से पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं ।

पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावों का निपटान

1465. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थियों के सभी दावों का निपटान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानियों द्वारा भारत में छोड़ी गई आस्तियों से शरणार्थियों को मुआवजा देने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के लगभग 5 लाख मामलों में से, कुछ मामलों को छोड़ कर, लगभग सभी मामले निपटाए जा चुके हैं । शेष मामलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 तथा उसके अधीन नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी के लिए निष्क्रान्त सम्पत्तियां का पहले ही अधिग्रहण तथा प्रयोग किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बूढ़े और अपंग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

1466. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में बूढ़े और अपंग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) दिल्ली प्रशासन पहले से ही "दिल्ली सामाजिक और शारीरिक रूप से बाध्य व्यक्तियों को वित्तीय सहायता नियम, 1968" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(ख) इस योजना में ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी हो और जो वृद्धावस्था, साधारण अशक्तता, आंशिक या पूर्ण दृष्टिहीनता अथवा शारीरिक बाधा के कारण स्थायी रूप से कोई काम करने के अयोग्य हो जाते हैं तथा जो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक निवासी होते हैं । अत्यन्त सुपात्र मामले में गम्भीर रूप से बाध्या/अशक्त ऐसे व्यक्ति, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो, जो अपनी बाध्यता/अशक्त के कारण अपनी जीविका कमाने के लिए कोई भी काम करने के अयोग्य हो जाते हैं, यह सहायता 25 रुपए प्रति मास की दर से केवल एक वर्ष के लिए दी जाती है।

सिंचाई परियोजनाओं में प्रगति

1467. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए प्रस्तावित निरीक्षक संगठन स्थापित कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) प्रबोधन संगठनों को परियोजना, राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है । ऐसे संगठन आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और अन्य राज्यों में इनकी स्थापना में तीव्रता लाई जा रही है ।

केन्द्र में एक प्रबोधम निदेशालय स्थापित किया गया है और उच्चस्तरों पर अतिरिक्त स्टाफ को तैनात किया जा रहा है ।

केन्द्रीय संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेड

1468. **श्री नारायण चन्द पराशर :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित ग्रेड सभी केन्द्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों में लाग कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भाषा संस्थान, (सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ लैंगुएजिज) मैसूर के शिक्षकों को भी जिसे उच्च अनुसंधान केन्द्र के रूप में 22 विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त है, मैं भी ये ग्रेड दिये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये ग्रेड किस तिथि को दिये गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान इस मंत्रालय द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त निम्नलिखित केन्द्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालय समझे जाने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में मंजूर कर दिये गये हैं :—

1. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।
2. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल सांइसिस, बम्बई ।
3. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।
4. पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।
5. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।
6. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई ।
7. आयोजन और वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली ।
8. मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद ।
9. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ।
10. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर ।
11. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता ।
12. भारतीय खनन स्कूल, धनबाद ।
13. केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ।

14. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ।

15. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा चलाये जाने वाले दो विद्यापीठ ।

16. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ।

(ग). जी नहीं।

(घ). प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के पास टुकड़ा चावल

1469. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में "मिलरों" के पास भारी मात्रा में टुकड़ा चावल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उसको राज्य से बाहर भेजने के लिये केन्द्र से अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग). आन्ध्रप्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह बताया जाता है कि अगस्त, 1975 में आन्ध्र प्रदेश के मिल-मालिकों के पास लगभग 36,000 मीटरी टन टोटा चावल पड़ा था। आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, तमिलनाडु महाराष्ट्र और केरल की सरकारों को टोटा चावल की पेशकश की गई थी और इन राज्यों द्वारा बताई गई जरूरतों के आधार पर, इन राज्यों को कुल 18,500 मीटरी टन मात्रा का आवंटन किया गया था ।

कृषि विश्वविद्यालय

1470. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का देश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है जिससे देश के सभी जिले उनके अन्तर्गत आ जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों को अपने-अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि-विस्तार कार्य करने का काम भी दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क). कृषि विश्व विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। देश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सामान्यतया अधिकांश कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के अन्तर्गत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा का कार्य है।

(ख). इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कृषि विश्वविद्यालयों को सम्पूर्ण राज्य में कृषि विस्तार कार्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय। यह कार्य राज्य के कृषि विभाग के सुपुर्द किया गया है, जो कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। कृषि विस्तार में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, अपने परिसर के आस-पास के क्षेत्रों में ही, प्रयोगशालाओं के रूप में सीमित विस्तार कार्य करते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों का मुख्य उत्तरदायित्व प्रशिक्षकों कोयानी कृषि और पशु पालन विभाग के विभिन्न श्रेणियों के विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करना है, ताकि उन्हें नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त होती रहे और वे कृषिकों को पर्याप्त रूप से इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकें।

फालतू भूमि पर सहकारी खेती

1471. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति के फलस्वरूप भूमिहीन किसानों तथा हरिजनों को उपलब्ध कराई जा रही फालतू भूमि पर सहकारी खेती कराने का कोई प्रयास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पांडिचेरी में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों और नियमों में अन्यों के साथ सहकारी खेतों करने वाली समितियों को भी फालतू भूमि का आवंटन करने की व्यवस्था है।

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने सहकारी खेती करने वाली समितियों को उनके सामने दी गई सीमित तक फालतू भूमि आवंटित की है :—

गुजरात—1368 एकड़

मध्य प्रदेश—1-1-1973 तक 238 सहकारी खेतों करने वाली समितियों को 13249 एक ।

महाराष्ट्र—5,066 एकड़।

पश्चिम बंगाल—370 एकड़ ।

Irrigation Schemes for Bihar

+

1472. Shri Sukhdeo Prasad Verma: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have received for approval Tilaiya Diversion Scheme and Mohane Reservoir and Upper Sakri Reservoir Schemes from Bihar Government;

(b) if so, reason for delay in according sanction to these schemes;

(c) whether these three projects are the only means of irrigation in the drought stricken re gion; and

(d) if so, when the work on these projects will commence and the time by which they are likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a). Reports on Tilaiya Diversion and Mohane Reservoir Schemes have been received from the Government of Bihar. The report on the Upper Sakri Reservoir has not so far been received.

(b). The Tilaiya Diversion Scheme involves inter-State aspects. The project could be considered for clearance after an agreement is reached between Bihar and West Bengal for which discussions between the States are in progress.

Report for the Mohane Reservoir was received in the Central Water Commission in November, 1975 and is under technical examination in the Commission, Department of Agriculture and the Ministry of Finance.

(c). The Government of Bihar have indicated that there are no other means to provide irrigation facilities to these areas.

(d). Implementation of these schemes would depend on these schemes being found technically feasible and economically viable and on the availability of funds with the State Government in their Annual Plans.

विश्व भारती में सुधार

1473. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व भारतीय में कुछ सुधार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विश्व-भारती का विकास करने के लिए रूपरेखाएं निर्धारित करने तथा विश्वभारतीय अधिनियम का संशोधन करने के लिए, मार्गदर्शी रेखाओं की सिफारिशें करने हेतु, केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यायमूर्ति एस० ए० मसूद की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी थी। उक्त समिति ने जुलाई, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

दक्षिणी राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता

1474. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में बहुत अच्छी फसल होने तथा वसूली के लिए जोरदार अभियान की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम भण्डारण के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद कर सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दक्षिणी राज्यों में भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो भण्डारण सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और क्या खाद्यान्न जमा करने के कारण भारतीय खाद्यान्न निगम को खाद्यान्न की हानि उठानी पड़ी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों ने आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिल नाडु, कर्नाटक तथा पांडिचेरी के दक्षिणी राज्यों में मार्च, 1976 के मध्य तक 16.29 लाख मीटरी टन चावल और धान (चावल के हिसाब से) की वसूली की है।

(ग) और (घ). बहुत ही अच्छी वसूली होने से उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर कुछ दबाव पड़ा है। विभिन्न स्रोतों से गोदाम किराये पर लेकर और कैप स्टोरेज का आपातिक निर्माण करने समेत गोदाम का निर्माण शुरू कर मौजूदा क्षमता बढ़ाने के लिए पग उठाए गए हैं। इस कारण से खाद्यान्नों की कोई बर्बादी नहीं हुई है।

Koilwar Buxar Dam, Uttar Pradesh

+

1475. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) places falling in the construction area of Koilwar-Buxar Dam in Uttar Pradesh; and

(b) impact thereof on the villages there?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) and (b). The State Government of Uttar Pradesh have reported that the land of the tolas Umarpur Diara such as Ghumrai Kepura, Vishake dera, Tilakrai ke dera etc. is likely to fall in the construction area of the proposed alignment of the Buxar Koilwar embankment on the Ganga. The adverse effect of these embankments will be confined to the areas between the embankments and the river which are affected even now, but with a slight increase in the depth of inundation during very high floods. An exact assessment of the number of villages whose lands fall within the embankments in Uttar Pradesh is yet to be made but ruoghly it may be about 23 villages.

उर्दू विकास बोर्ड में जम्मू तथा काश्मीर को प्रतिनिधित्व

1476. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने उर्दू भाषा के विकास से सम्बन्धित बोर्डों में प्रतिनिधित्व के लिए उनसे अनुरोध किया था, और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने काश्मीर विश्वविद्यालय को विज्ञान इंजीनियरिंग वाणिज्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चुनी हुई रचनाओं का उर्दू भाषा में अनुवाद करने का कार्य सौंपने के लिए भी उनसे अनुरोध किया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क). 1973 में जम्मू व काश्मीर के मुख्य मंत्री महोदय ने एक पत्र लिखकर यह बताया था कि राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि तरक्की-उर्दू बोर्ड की कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया

था। राज्य सरकार के एक मनोनीत व्यक्ति को तदनुसार बोर्ड का सदस्य बनाया गया है और यह व्यवस्था अभी भी जारी है।

(ख) उर्दू पुस्तकें लिखने के मामले में काश्मीर विश्वविद्यालय में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने की वांछनीयता का उल्लेख भी उपरोक्त पत्र में किया गया था। काश्मीर विश्वविद्यालय तथा जम्मू विश्वविद्यालय के उर्दू विभागों के प्रमुखों को बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है।

अगली फसल के लिए गेहूं के वसूली मूल्य

1477. श्री एन० आर० वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगली फसल के लिए गेहूं के वसूली मूल्य को पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिए जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने अगली फसल के लिए गेहूं के वसूली मूल्य की समीक्षा कर ली है और सभी किस्मों के लिए उसे 105 रुपए प्रति क्विंटल पर बनाए रखने का निश्चय किया है।

मैसर्स शक्ति शुगर्स, कोयम्बतूर पर गन्ने की बकाया राशि

1478. श्री एस० राधाकृष्णन् : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गन्ना उत्पादकों की ओर से तमिलनाडु में कोयम्बतूर स्थित मैसर्स शक्ति शुगर्स के विरुद्ध कई वर्षों से बकाया राशि की अदायगी न करने की शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या अदायगी न करने के कारण एकत्रित हुई भारी धन राशि का इस कारखाने के दो प्रमुख निदेशकों द्वारा अन्य जाली व्यापार कार्यों के लिए दुर्विनियोग तथा दुरुपयोग किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सिकायतें प्राप्त हुई है कि मैसर्स शक्ति शुगर, कोयम्बतूर के प्रबन्ध ने —

(1) अन्य कम्पनियों में धन लगाने के लिए गन्ने की सप्लाई के कारण गन्ना उत्पादकों को देय धनराशि से अनधिकृत कटौती की ;

(2) गन्ना उत्पादकों को 1.50 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है ; और

(3) दुर्विनियोजन किया है और कम्पनी की निधि का दुरुपयोग किया है।

एक गन्ना उत्पादक ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

रायागडा, उड़ीसा स्थित जे० के० पेपर मिल फैक्टरी से छोड़े गये जल का प्रभाव

1479. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायागडा (उड़ीसा) स्थित जे० के० पेपर मिल फैक्टरी से नागवाली नदी के बहते हुए पानी में छोड़े जाने वाले गन्दे तथा रसायन मिश्रित जल से हजारों व्यक्तियों के स्वास्थ्य और जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नदी के बहते हुए पानी में प्रति दिन कितना प्रतिशत हानिकारक-तत्व छोड़ा जाता है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) कारखाने से प्रतिदिन 75 लाख गैलन व्यापार अपशिष्ट और 20,000 गैलन मल अपशिष्ट नदी में डाला जाता है।

(ग) उड़ीसा नदी प्रदूषण निवारण अधिनियम के अधीन लाइसेंस देते समय, उड़ीसा नदी बोर्ड ने यह विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मल निस्राव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। बोर्ड द्वारा कारखाने से समय-समय पर मल-निस्राव के नमूने लिये जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। कारखाने को समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं कि उड़ीसा नदी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के स्तर पर मल-निस्राव को लाएं।

तथापि जब उड़ीसा नदी बोर्ड के दल ने कारखाने का दौरा किया और मल-निस्राव की समस्या का स्थान पर अध्ययन किया तो यह देखा गया कि मिल अाधिकारियों द्वारा सभी एहतियाती उपाय करने के बावजूद भी अपशिष्ट जनता को कष्टकर सिद्ध हो रहा है। अतः बोर्ड ने कारखाने के अधिकारियों को निर्देश किया है कि वे 3.50 लाख रुपये की लागत से नागबलि नदी के साथ के 25 गांवों में एक एक खुला कुंआ बनवाएं। कारखाने के अधिकारियों ने उपर्युक्त निर्देशनों का अनुपालन करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

कम राशि के मुकदमे तथा छोटे आपराधिक मामले

1480. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों को शीघ्रता से तथा सस्ता न्याय उपलब्ध कराने और देश के ग्राम न्यायालयों पर काम के बोझ को घटाने के उद्देश्य से कम राशि के सभी मुकदमों तथा सभी छोटे आपराधिक मामलों को निपटारे के लिये ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। पंचायती राज राज्य का विषय है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों का आयात और निर्यात

1481. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का आयात उनकी मांग न होने के कारण पूर्णतः बन्द कर दिया गया है; और

(ख) क्या भारत विदेशों को उर्वरकों का निर्यात करने की स्थिति में है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय भारत देश की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं कर रहा है, अतः विदेशों को उर्वरकों का निर्यात करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोबर गैस संयंत्र और ग्रामीण लोग

1482. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किस सीमा तक गोबर गैस संयंत्र चालू किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान कुल 20,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का विचार था। इनमें से 1974-75 में 10,710 संयंत्र स्थापित किए गए थे। आशा है कि वर्ष 1975-76 के दौरान लगभग 20,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 1974-75 और 1975-76 के दौरान उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिये लक्ष्यों और वित्तीय आवंटनों में वृद्धि की गई है।

सूखा और भूकम्प से प्रभावित राज्यों को राहत

1483. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में सूखा और भूकम्प से प्रभावित राज्यों को राहत के रूप में, राज्यवार, कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : सरकार ने 1975-76 के दौरान सुखे तथा भूचाल आदि संबंधी व्यय को पूरा करने के लिये निम्न राज्यों को योजना के लिए अग्रिम सहायता की स्वीकृति दी है :—

राज्य	आपदा	आवंटन
		(करोड़ रुपयों में)
1 बिहार	बाढ़	9.75
2. गुजरात	बाढ़ तथा चक्रवात	9.15
3 उड़ीसा	बाढ़	7.55
4 राजस्थान	बाढ़	2.50
5 सिक्किम	सूखा	0.73
6 उत्तर प्रदेश	बाढ़	6.20

उपर्युक्त योजना के लिए इस अग्रिम सहायता में से अब तक (24–3–1976 तक) निम्नलिखित धनराशियां दी गई हैं :—

राज्य	आपदा	दी गई सहायता
		(करोड़ रुपयों में)
1 बिहार	बाढ़	6.50
2 गुजरात	बाढ़ तथा चक्रवात	5.00
3 उड़ीसा	बाढ़	7.55
4 राजस्थान	बाढ़	2.50
5 सिक्किम	सूखा	0.73
6 उत्तर प्रदेश	बाढ़	2.00

और सहायता राज्य सरकारों द्वारा बताई गई व्यय की प्रगति के आधार पर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश को भूचाल के लिए सहायता देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास लक्ष्य

1485. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकानों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) कितने प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकान बनाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) इण्डिया—ए रैफ्रेंस ऐनुअल 1975 के अनुसार, देश में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार बताई गई है :—

(क) घरेलू उद्योग . . .	63,51,714
(ख) घरेलू उद्योग के अलावा .	1,07,805

भारत सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एक एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना आरम्भ की है जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह सूचित किया गया है कि इस योजना के अधीन 1,83,663 मकानों का निर्माण किया गया है। एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन अनुमेय लाभों के लिये सभी औद्योगिक कर्मचारी पात्र नहीं हो सकते। इस के अलावा, हो सकता है कि अन्य आवास कार्यक्रमों के अधीन कुछ को मालिकों, राज्य सरकारों आदि द्वारा वास उपलब्ध किया गया हो और कुछ अन्य कर्मचारियों के पास अपने मकान भी हो सकते हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कुल औद्योगिक कर्मचारियों के विपरीत लाभान्वित औद्योगिक कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है।

साक्षरता अभियान के लिए उड़ीसा को धन दिया जाना

1486. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में साक्षरता अभियान के लिए उड़ीसा सरकार अथवा किसी अन्य संस्था को धन दिया गया है; यदि हां, तो वह कितना और किन-किन संगठनों को दिया गया है; और

(ख) वर्ष 1971 से वर्ष 1975 के अन्त तक, वर्ष-वार उड़ीसा में साक्षरता की क्या प्रगति रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा में राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं :

कार्यक्रम/योजना	जिसको अनुदान दिया गया है	राशि
		रु०
किसान कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	राज्य सरकार	1,82,250.00
महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता योजना (समाज कल्याण विभाग कोष से)	राज्य सरकार	61,900.00

कार्यक्रम/योजना	जिसको अनुदान दिया गया है	राशि
15-25 आयु वर्ग के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम	राज्य सरकार	1,00,000.00
नव-साक्षरों के लिए साहित्य का निर्माण	राज्य सरकार	30,000.00
प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता		56,408.00

इसके अतिरिक्त, राज्य में स्थित 5 नेहरू युवक केन्द्रों को, केन्द्रों द्वारा सीधे ही आयोजित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 25,000 रु० की राशि संस्वीकृत की गई है।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में साक्षरता के आंकड़ों की प्रतिशतता इस प्रकार है :--

	पुरुष	महिला	कुल
15--25 . . .	59.2%	26.5%	42.8%
15--35	53.9%	20.2%	36.7%
15--	46.7%	13.5%	30.2%

वर्ष 1975 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि साक्षरता आंकड़े केवल प्रत्येक दस वार्षिक जनगणना के समय ही एकत्रित किए जाते हैं।

वन्य प्राणि संरक्षण बोर्ड

1487. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड की बैठक जनवरी, 1976 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य हैं तथा वन सम्पदा सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। भारतीय वन्य प्राणी मंडल की बैठक 31 जनवरी, 1976 को हुई थी।

(ख) भारतीय वन्य प्राणी मंडल ने प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और अधिक जनसंख्या, शहरीकरण, वनों की कटाई तथा औद्योगीकरण सहित अनेक दिशाओं से प्राकृतिक निवास को होने वाले खतरे के प्रति चेतावनी दी। मंडल ने इस क्षेत्र के अनुपम प्राणी और वनस्पति जातियों को सुरक्षित रखने के लिए अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्क बनाने की सिफ़ारिश की है। जिन जातियों के समाप्त होने का खतरा है, उनके संरक्षण के लिए सिफारिशें की गई थीं और इनमें से कुछ जातियों को बचाने के लिए पहले ही की गई कार्रवाई की प्रशंसा की गई।

यह भी सिफ़ारिश की गई थी कि प्रकृति संरक्षण को चेतना पैदा करने के लिए विश्व वन्य प्राणि निधि से उपयुक्त साहित्य के लिए अनुरोध किया जाए। स्कूलो में प्रकृति अध्ययन, जीव-विज्ञान तथा प्राणि-विज्ञान के पाठ्यक्रमों में वन्य प्राणि को शामिल करने की भी सिफ़ारिश की गई। वन्य प्राणि तथा इसके उत्पादों की वर्ष 1976–77 के लिये निर्यात-नीति की भी चर्चा की गई और इन मदों के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले कोटे की सिफ़ारिश की गई।

युवा संसद

1488. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थाओ में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई "युवा संसद्" आयोजित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के समारोह आयोजित करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां ऐसे समारोह आयोजित किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). युवा संसद प्रतियोगिताओ का आयोजन संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रति वर्ष किया जाता है। इनका प्रबन्ध वैयक्तिक विद्यालयों द्वारा किया जाता है और प्रतियोगिताएं इस विभाग के तत्वावधान में की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 52 बाल और बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों ने युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लिया था। इन स्कूलों में युवा संसद का प्रबन्ध करने के लिए इस विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी थी। उन शिक्षा संस्थाओं के नामों की एक सूची जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस समारोह का आयोजन किया गया था इसके साथ लगी है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 10566/76]

विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठन/संस्थाएं

1489. **श्री नरायण चन्द पराशर** :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विकलांग हेतु स्वयंसेवी संगठनों के बारे में 8 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख). अनुदान अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दिये जाते हैं, जिनकी समाज कल्याण विभाग द्वारा विधिवत् वसंवीक्ष की जाती है। स्वयंसेवी संगठनों के काम का पर्यवेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिनसे अनुदान मांगने वाले संगठनों का निरीक्षण करने हेतु अपने अधिकारियों को भेजने का अनुरोध किया जाता है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जब कभी दौरे पर जाते हैं तो अनुदान पाने वाले संगठनों का निरीक्षण भी करते हैं। प्रत्येक अनुदान आवेदन पत्र के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार से विशिष्ट सिफारिशें मांगी जाती हैं।

अनुदान देने की प्रक्रिया के अनुसार अनुदान तीन किश्तों में दिए जाते हैं। पहली किश्त परियोजन की मंजूरी के साथ ही दे दी जाती है। दूसरी और तीसरी किश्तें पहली अनुदान किश्तो के बारे में उपभोग–प्रमाण––पत्र (वार्ड लेखाकारों द्वारा दिया गया) प्रस्तुत करने पर ही दी जाती हैं। स्वयंसेवी संगठन अपने लेखों के लेखापरीक्षित विवरण-पत्र भी प्रस्तुत करते हैं।

भवनों के निर्माण के लिए अनुदानों के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण-पत्र लिया जाता है कि भवन को अनुमोदित योजना और आकलन के अनुसार पूरा किया गया है।

खुले विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम

1490. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में निर्णय किये गये खुले विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो खुले विश्वविद्यालय के लिये यह पाठ्यक्रम कब तक घोषित किया जायगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) तथा (ख). खुले विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा विश्वविद्यालय की स्थापन के संबंध में निर्णय लेने के बाद ही पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रश्न उठेगा।

Central Grant to Gujarat for Construction of Houses

1491. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Amount of grants sought by Government of Gujarat from Central Government for the construction of houses in Adivasi and Harijan areas in Gujarat after the proclamation of emergency; and

(b) Amount of grants sanctioned by Central Government to Government of Gujarat?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) No such proposal seeking grants has been received.

(b) Does not arise.

सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गतिविधियां

1492. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973 तथा 1974 के वर्षों के दौरान विदेशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गतिविधियों के लिए चुने गए भारतीय व्यक्तियो तथा सांस्कृतिक दलो का क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10567/76]

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना

1493. **श्री समर गुह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद भारतीय खाद्य निगम के किन्हीं कर्मचारियों को बर्खास्त या सेवानिवृत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे कर्मचारियों का ज़ोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

ज़ोन का नाम	बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें जबरन रिटायर किया गया
उत्तरी ज़ोन .	4	1
दक्षिणी ज़ोन . .	9	1
पूर्वी ज़ोन . .	—	—
पश्चिमी ज़ोन	2	—
जोड़ . .	15	2

काजू में आत्मनिर्भरता की योजना

1494. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू विकास निदेशालय ने काजू में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां, विभिन्न राज्यों में विभागीय बागानों में 60,000 हेक्टार क्षेत्र और गैर विभागीय बागानों में 85,000 हेक्टार क्षेत्र में काजू के साहायता प्राप्त बागान की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित योजना में विभागीय बागान में 500 रु० प्रति हेक्टार और गैर विभागीय बागान में 300 रु० प्रति हेक्टार की दर से सहायता प्रदान करके काजू के संवर्धन का विचार है। छह वर्ष की अवधि में नए बागान क्रमानुसार तैयार हो जाएंगे। यह प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

वसूल किये गये अनाज को स्टोर करने की तदर्थ व्यवस्था

1495. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसूल किये गये अनाज को स्टोर करने के लिये मन्दिरों, स्कूलों, आदि में तदर्थ व्यवस्था करनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार कितनी मात्रा में अनाज का स्टोर किया गया ;

(ग) ऐसे असंगठित स्थानों पर स्टोर करने से होने वाली हानियों को रोकने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह स्टाक नियमित भाण्डागारों में कब रखा जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) बहुत ही अच्छी वसूली होने से उपलब्ध भाण्डारण क्षमता पर कुछ दबाव पड़ा है। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए स्कूलों आदि की इमारतों का उपयोग करने की सम्भावना का पता लगाया है और थोड़े समय के लिए केरल में बेसिक ट्रेनिंग स्कूल की इमारत ली गई है। इस स्कूल की इमारत में अब तक खाद्यान्न का स्टाक नहीं भेजा गया है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाया जाना

1496. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनसंख्या के दबाव और रिहायशी मकानों की बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों को अन्य स्थानों में ले जाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार एक पूरक उपाय के रूप में अपने नये कार्यालयों को दिल्ली में स्थापित न करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो भीड़-भाड़ को कम करने के अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है और वे कब क्रियान्वित किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) केवल ऐसे नये सरकारी कार्यालयों को ही दिल्ली में रहने की अनुमति है जो दिल्ली से बाहर सुविधापूर्वक काम नहीं कर सकते।

(ग) सरकार ने, सरकारी कार्यालयों, थोक व्यापारों तथा उद्योगों को दिल्ली से हटा कर राजधानी के इर्द गिर्द उप शहरों में स्थानान्तरण करने सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है।

शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पेय-जल

1497. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। अभी तक 9.25 करोड़ जनसंख्या के 1685 कस्बों में शुद्ध जल पूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। पांचवीं योजनावधि में 80 और कस्बों में व्यवस्था कर देने की आशा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेघर परिवारों को आवास-भूखण्डों का आवंटन

1498. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक बेघर परिवार को आवास भूखण्ड का आवंटन की पद्धति त्रुटिहीन नहीं है ;

(ख) क्या अधिकांश प्रभागों में आवंटित किये गये भूखण्डों का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) सरकार के नोटिस मे कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है। तथापि 4 से 6 अक्तूबर, 1975 को भोपाल में हुए राज्य आवास और नगर विकास मंत्रियों के सम्मेलन तथा नई दिल्ली में हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन मे आवंटित आवासस्थलों के आवंटियों को वास्तविक कब्जा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फसल उत्पादन कार्यक्रम के लिए परिव्यय

1500. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय सैक्टर में फसल उत्पादन कार्यक्रम के लिये कोई परिव्यय मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) योजना आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र में विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1976-77 के केन्द्रीय बजट में नीचे दिए गए प्रावधान किए गए हैं :--

(रुपए लाख में)

1	कृषि संबंधी आदान	
	(क) उन्नत बीज	300
	(ख) उर्वरक तथा खाद	1058
	(ग) पौध संरक्षण	323
	(घ) कृषि संबंधी मशीनरी तथा उपस्कर	235
2	फ़सल उन्मुखी कार्यक्रम	1500
3	कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण	330
4	लघु सिंचाई तथा जल प्रबंध	508
5	कमांड क्षेत्र विकास	1900
6	मृदा संरक्षण	761

उन्नत बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य फ़ार्म निगमों को खाद्यान्नों की फ़सलों, रेशों की फ़सलों बागान फसलों, तिलहनों, सब्जियों और फलों आदि के लिये राज्य फाम निगमों और आधारी बीज-उत्पादन कार्यक्रम के विस्तार के लिये राज्य बीज निगमो में पंजी लगाने के लिये साम्य शेयर पूंजी में भागीदार होने और ऋण की सहायता देने के लिये प्रावधान किया गया है। उर्वरकों और खादों के अन्तर्गत योजनाओं में मुख्य रूप से स्थानीय खाद्य संसाधनों का उत्पादन और कार्बनिक खादों के प्रयोग के लिए विकास कार्यक्रम शामिल हैं। खाद सम्बन्धी यह कार्यक्रम देहाती और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लिए हैं। इसके इलावा खुली इकट्ठी खाद को उतारने, उसकी सम्भाल और बन्दरगाहो में भण्डारण की सुविधाओं और अम्लीय और क्षारीय भूमि को कृषियोग्य बनाने के कार्यक्रम भी शामिल हैं। वनस्पति रक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत महामारी वाले क्षेत्रों में कीटों और रोगों का उन्मूलन और फ़सलों पर हवाई छिड़काव करना शामिल है। कृषि मशीनरी के अन्तर्गत राज्य कृषि उद्योग निगमों में साम्य शेयरों में केन्द्रीय सरकार का भागीदार होना, कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करना और कृषि यन्त्र परीक्षण और प्रशिक्षण केन्द्रों को मजबूत बनाने की योजनायें शामिल हैं। फ़सल उन्मुखी कार्यक्रमों के लिये जो प्रावधान किया गया है वह राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देकर कपास, पटसन, तिलहन, दालों, गन्ना, तम्बाकू आदि के विकास और किसानों को उन्नत पद्धतियों, प्रजनक और आधारी बीजों आदि के वर्धन के लिए प्रेरित करने के लिए है। बारानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित बारानी कृषि विकास की चालू योजनायें जारी रखी जायेंगी। कृषि विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि अनुसन्धान के परिणाम विस्तार सेवाओं के ज़रिए किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी प्रशिक्षण और शिक्षा देकर उन तक पहुंचाये जायेंगे। लघु सिंचाई के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है, उसकी मंशा मुख्यत: केन्द्रीय भूमि जल विकास मण्डल के कार्यों और राज्य को सहायता देकर भूमिगत/सतही जल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाना है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई की सम्भावित क्षमता का पूरा उपयोग किया जायेगा और जल नालियों, खेतों में नालियों, भूमि समतलन, भूमि को आकार देने और खेतों पर अन्य विकास कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जायेगा। भू-क्षरण का सामना करने के लिये मृदा संरक्षण की योजनायें जारी रखी जायेंगी। नदी-घाटी परियोजनाओं की पनधाराओं में भी मृदा संरक्षण उपाय तेज़ किये जायेंगे।

उपर्युक्त के इलावा 1976–77 के बजट में अन्य ऐसी योजनाओं के लिए भी विभिन्न प्रावधान किये गये हैं, जिनका फसल उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के मामले

1501. **श्री वसन्त साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली एवं देश के अन्य नगरों महानगरों में भगवान के नाम पर भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के मामलों में पिछले दिनों वृद्धि हुई है और इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या आपात कालीन स्थिति में सरकार देवताओं के नाम पर सरकारी भूमि पर किये गये अनधिकृत कब्ज़े हटाने का अभियान चलायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।
करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे पटसन का उत्पादन

1502. **श्री रानेन सेन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से कच्चे पटसन के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1976–77 के लिये कच्चे पटसन के उत्पादन के कोई लक्ष्य नियत किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदयाल पटेल) : (क) वर्ष 1973–74 के दौरान पटसन/मेस्ता की 76.76 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था और 1974-75 में यह गिर कर 58.15 लाख गांठें रह गयी। वर्ष 1975-76 के दौरान इसी स्तर पर उत्पादन होने की आशा है।

(ख) आंशिक रूप से बुवाई के समय प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों और आंशिक रूपसे चावल की फसल अधिक लाभदायक होने के कारण उसके अंतर्गत पटसन के क्षेत्र को लिये जाने के कारण उत्पादन में कमी हुई है।

(ग) जी हां, योजना आयोग ने 1976-77 के लिए पटसन/मेस्ता के उत्पादन का 65 लाख गांठों का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कवानी नदी पर बाँध का निर्माण

1503. **श्री वरके जार्ज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कवानी नदी की सहायक नदी पर एक बांध का निर्माण करने की योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) केरल सरकार ने कावेरी बेसिन के काबिनी उप-बेसिन में निम्नलिखित चार सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं :—

(1) वाणासुरसागर

(2) तिरुतेल्ली

(3) करापुझा

(4) भन्डोर

(ख) जबकि सामान्यत: अपनी स्कीमों को प्राथमिकता देना राज्य सरकार का कार्य है, उपर्युक्त स्कीमों की स्वीकृति के लिए कार्यवाही केवल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी जल के प्रयोग एवं विकास के प्रश्न के हल हो जाने के पश्चात ही की जा सकती है।

तमिलनाडु में सूखे की स्थिति

1504. **श्री एस० राधाकृष्णन्** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिकांश जिलों में सूखे की स्थिति का पता है जो तमिलनाडु में वर्तमान कृषि मौसम में काश्त पर बुरा प्रभाव डाल रही है;

(ख) क्या डी० एम० के० सरकार को हटा दिये जाने के पश्चात सूखे की स्थिति के बारे में कोई नया अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार चालू कृषि वर्ष के दौरान तमिलनाडु मे कृषि जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियां सामान्यतः काफी अनुकूल रहीं, जैसा कि खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन से मालूम पड़ता है । परन्तु, तिरुतलवेली, रामनाथपुरम, मदुरै, नार्थ अरकाट, कोयम्बत्तूर, सालम, तिरुचिरापल्ली, धर्मपूरी और पुडुकोटटाई जिलों के कुछ भागों में मौसम की परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं ।

तमिलनाडू में राष्ट्रपति शासन को घोषणा करने के बाद, राज्य सरकार इस स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है । राज्यपाल तथा उनके सलाहकारों ने कुछ प्रभावित जिलों का दौरा किया । दिनांक 27 और 28 फरवरी, 1976 को हुए कलक्टरों के सम्मेलन में इस स्थिति का वस्तिार से मूल्यांकन किया गया । मूल्यांकन करने के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या की सहायता के लिये निम्नलिखित उपाय किए :--

1. भू-राजस्व, स्थानीय शुल्क और अधिभार को माफो ।
2. सरकारी ऋण की वसूली स्थगित करना ।
3. अल्पवधि सहकारी ऋण को मध्यावधि श्रम में बदलना ।
4. जनवरी, 1976 से एक वर्ष के लिये ग्रामीण ऋण के अधिस्थगन काल को बढ़ाना ।
5. पंचायत यूनियनों को समान अनुदान अदा करना, ताकि वे सार्वजनिक पेय जल के कुओं को गहरा करने एवं जल के आय स्रोतों सहित आवश्यक सेवाएं बनाये रखें ।
6. 53 लाख रुपये की लागत पर पेय जल की सप्लाई के लिये नलकूप खोदना ।
7. कमी वाले क्षेत्रों मे पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था के लिये 4.50 करोड़ रुपये की और स्वीकृति देने पर विचार किया जा रहा है ।
8. श्रमोन्मुखी विकास परिव्यय को, जो 1976-77 की योजना का भाग है, अधिकतम सम्भव सीमा तक प्रभावित क्षेत्रों में लगाने के लिये व्यवस्था की जा रही है ।

All India Nagari Script Conference at Wardha

1505. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the **Minister** of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Akhil Bhartiya Nagari Lipi Sammelan (All India Nagari Script Conference) was held in Paunar Ashram near Wardha during the third week of February, 1976;

(b) if so, whether Government's attention has been drawn to the decisions taken at the conference;

(c) if so, salient features of the decisions; and

(d) reaction of Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). Salient features of the important decisions taken at the Conference in brief, were as follows :—

(*i*) It is desirable that speakers of all languages should voluntarily accept the Devanagri script as an additional common script;

(*ii*) One magazine in each language in Devanagri script should be published and Central Government should give suitable grants for this purpose ;

(*iii*) State Governments should encourage publication of books of their regional languages in Devanagri script;

(*iv*) Coercion of no kind is desirable or necessary for the spread of Devanagri script. Work should be carried on with a view to giving suitable encouragement and without creating any resistence.

The Chief Ministers' Conference of 1961, had *inter alia* recommended that "a common script would be a powerful link between the languages of India and, therefore, a great help in bringing about integration. Such a common script in India in the existing circumstances can only be Devanagri. While it will be difficult to adopt a common script in the near future, this object should be kept in mind and worked for."

In compliance with this recommendation, this Ministry has already taken steps for popularisation of Devanagri script. The script has been reformed and amplified by introducing special symbols and diacritical marks for representing peculiar sounds of regional languages. for which no symbols in Devanagri existed.

As envisaged in the recommendations of the Chief Ministers' Conference of 1961, it is already a policy of the Government to encourage the adoption, on a voluntary basis, of Devanagri script as an additional script for all the Indian languages. The desire to use this script as an additional script for regional languages, etc., should emanate from the people themselves who write and speak these languages.

Some literature of regional languages has already been brought out by the Sahitya Akademi and the Central Hindi Directorate in Devanagri script. Under this Ministry's scheme of grants to voluntary Hindi organisations, financial assistance is, *inter alia*, available for bringing out publications in the regional languages written in Devanagri script. Under this scheme, substantial assistance has already been given to some voluntary Hindi organisations for bringing out selected literature of regional languages in the Devanagri script. The Devanagri teleprinter has already been made suitable for use for other Indian languages.

Devanagri script is already being learnt by school students almost in all parts of the country as Hindi is a compulsory language of study in most of the States.

गुजरात में भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय

1506. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम विशेषकर भूमि सुधार संबंधी उपायों का क्रियान्वयन धीमी गति से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय मार्गदर्शी-सिद्धांतों के आधार पर भूमि सुधार संबंधी उपायों को लागू करने हेतु कोई प्रयास नहीं किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार गुजरात के कृषि संबंधी भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानून के क्रियान्वयन में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा-व्यादेश के कारण रुकावट पैदा हो गई थी। हाल में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार अब यह निषेधाज्ञा हटा ली गई है और राज्य सरकार इस वर्ष 1 अप्रैल से इस कानून को क्रियान्वित करने के लिये प्रारंभिक कदम उठा रही है।

फुटबाल

1507. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल-कूद परिषद् फुटबाल के खेल के संबंध में नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या विदेशी प्रशिक्षकों (कोच) को खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिये पर्याप्त कार्य नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) अखिल भारतीय खेल परिषद का कार्य सरकार को देश में फुटबाल सहित खेल-कूदों की प्रोन्नति तथा विकास संबंधी सभी मामलों पर सलाह देना है। इस प्रयोजन के लिए वह सरकार को सलाह देती रहती हैं।

(ग) और (घ). रूस का एक फुटबाल विशेषज्ञ प्रशिक्षक जनवरी-मार्च 1976 के दौरान दो माह की अवधि के लिए भारत आया था। उक्त प्रशिक्षक राष्ट्रीय नेताजी सुभाष खेल-कूद संस्थान, पटियाला से सम्बद्ध कर दिया गया था और भारत में ठहरने की अवधि में उनकी सेवाओं का निम्न-लिखित बातों के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया था (i) भारतीय फुटबाल प्रशिक्षकों के लिए एक क्लिनिक का आयोजन करना (ii) राष्ट्रीय नेताजी सुभाष खेल-कूद संस्थान में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को शिक्षण देना तथा (iii) आगामी एशियाई युवक फुटबाल चैम्पियनशिप, 1976 के लिए भारतीय युवक फुटबाल टीम को शिक्षण देना।

तमिलनाडु में गन्ने की बकाया राशि

1508. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन चीनी कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होने तमिलनाडु में वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के लिए गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य नहीं दिये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 1972–73, 1973–74 और 1974–75 मौसमों के बारे में तमिलनाडु की फैक्ट्रियों द्वारा 29 फरवरी, 1976 तक गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1972–73, 1973–74 और 1974–75 मौसमों के दौरान खरीदे गए गन्ने के लिए तमिलनाडु राज्य की फैक्ट्रियों के बारे में 29 फरवरी, 1976 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की फैक्ट्रीवार स्थिति बताने वाला विवरण।

(आंकड़े लाख रुपयों में)

फैक्ट्री का नाम	बकाया राशि		
	1972–73 मौसम	1973–74 मौसम	1974–75 मौसम
अम्बुर	0.03	0.32	0.26
मदुरान्तकम	—	0.18	0.11
थिरु अरुणन	—	0.04	—
नेलीकुप्पम	0.14	0.57	0.48
लालगुडी	0.09	0.04	0.13
कावेरी	0.18	0.09	0.24
पुगालूर	0.22	0.62	0.59
सेलम	0.02	0.08	0.22
मदुरा	—	0.11	0.14
अमरावती	—	0.03	0.06
सक्ती	—	—	3.59
विलुपुरम	0.15	0.80	0.63
अरुना	—	—	—
आलंगनालूर	—	—	—
कल्लाकुरीचि	—	1.48	1.02
मेलपट्टी	—	—	2.70
धर्मपुरी	—	—	—

सामूहिक आवास समितियों को आवंटित भूमि के मूल्य

1509. श्री राजदेव सिंह :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 160 में से केवल 18 सहकारी सामूहिक आवास समितियों ने भूमि की पूरी लागत का भुगतान किया है और शेष ने अत्यधिक लागत और जमाराशि पर ब्याज न मिलने के कारण भुगतान नहीं किया है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकसित भूमि के लिए विद्यमान शर्तों के अनुसार 54 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की थी और बाद में उस ने यह दर अविकसित भूमि के लिए लेनी आरम्भ कर दी है ;

(ग) क्या सामूहिक आवास प्लाटधारी समितियां को आवंटित भूमि की तुलना में भूमि के किराए में बहुत अंतर है ; और

(घ) क्या सामूहिक आवास समितियों को हतोत्साहित करने के लिए उन के लिए निर्धारित भूमि पश्चिमपुरी में अन्य लोगों को नीलाम कर दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं। केवल 57 सहकारी ग्रुप आवास समितियों ने पश्चिमपुरी में भूमि के आवंटन के लिये लिखा था और इन में से 23 समितियों ने पूर्ण भुगतान तथा 29 ने अंशतः भुगतान किया है।

(ख) ग्रुप आवास समितियों को 45 रुपये प्रति वर्गगज के या 54 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकसित भूमि का आवंटन किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी इस पेशकश से पीछे हटने का और अविकसित भूमि के लिए वही दर चार्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ग्रुप आवास समितियों से भूमि-किराया उसी दर से लिया जाता है जो प्लाट आवास समितियों से लिया जाता है ।

(घ) पश्चिमपुरी में ग्रुप आवास समितियों के लिए निर्धारित की गई किसी भूमि को व्यक्तिगत लोगों को नीलाम नहीं किया गया । उस क्षेत्र में, व्यक्तिगत लोगों को प्लाट आवंटन करने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक पृथक योजना है ।

मध्य स्तरीय नगरों का विकास

1510. श्री राजदेव सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य नगर नियोजन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह भारतीय गांवों को बचाने के लिए मध्य-स्तर के नगरों का विकास करें ;

(ख) क्या उसके अनुसार भारत के गांवों में इस शताब्दि के अन्त तक 67.30 करोड़ की जनसंख्या हो जायेगी ;

(ग) क्या उस के अनुसार कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केवल 50 करोड़ लोगों का भरण-पोषण हो सकता है और शेष 17.30 करोड़ लोग उपलब्ध कृषि भूमि पर भार मात्र होंगे ;

(घ) क्या उसने यह सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के लोगों को उनके लिए उपयुक्त विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ङ). अनुमान है कि यह संदर्भ भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के मुख्य आयोजक द्वारा अपनी सरकारी हैसियत से या किसी मंच पर अपनी व्यावसायिक हैसीयत से व्यक्त किये गये विचारों से संबन्धित है । कदाचित इससे सहमत होंगे कि ये विचार विशेषज्ञों और संगठनों के प्रक्षेपों से सम्बन्धित हैं और सरकार निस्सन्देह अपने विशेषज्ञों और संगठनों तथा अन्यों के द्वारा व्यक्त किये गये सभी ऐसे विचारों पर ध्यान देगी और देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्थिति के अपने मूल्यांकन के आधार पर अपनी नीति बनायेगी। अतः यह सम्भव नहीं है कि सरकार अपने ही एक या अधिक विशेषज्ञों द्वारा कहे गये विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे ।

गेहूं परिषद्

1511. श्री राजदेव सिंह :
श्री हरी सिंह :
श्री वसंत साठे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के उन सर्वोच्च विशेषज्ञों ने, जिन्होंने दो-दिवसीय गोष्ठी में भाग लिया था, सरकार को एक ऐसी "गेहूं परिषद्" का गठन करने की सलाह दी है जो गेहूं के अनुसंधान और विकास के लिए उत्तरदायी हो ;

(ख) क्या उन्होंने इस दृष्टि से गेहूं की किस्म में सुधार करने की अपेक्षा उसके उत्पादन में तत्काल वृद्धि करने की भी सलाह दी है कि इसकी किस्म के पहलू को आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने और बनाये रखने के पश्चात् लिया जा सकता है ; और

(ग) उक्त गोष्ठी में क्या अन्य सुझाव दिये गये और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 27 और 28 फरवरी, 1976 को बदलते हुए सामाजिक परिवेश में गेहूं का महत्व" पर एक दो-दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी का आयोजन निम्नलिखित संगठनों सहित कुछ संगठनों द्वारा किया गया था :

(1) व्हीट एसोसिएटस आफ इंडिया
(2) भारतीय खाद्य निगम
(3) भारतीय आटा मिल संघ

गोष्ठी की सिफारिशों में से एक सिफारिश गेहूं पर अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों के लिए गेहूं और गेहूं उत्पाद विकास परिषद्' को फिर से चालू किया जाना है।

(ख) गोष्ठी की सिफारिशों में यह बताया गया है कि गेहूं की क्वालिटी की तुलना में उसकी मात्रा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और जब गेहूं के मामले में आत्म-निर्भर हो जायें, तब आटा मिलों और डबल रोटी तथा बेकरी उद्योग द्वारा अपेक्षित क्वालिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) गोष्ठी में की गयी सिफारिशों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) गेहूं के तत्काल खाने योग्य उत्पाद तैयार करने के लिए साधारण तकनीकों को शीघ्र विकसित करने की जरूरत है।

(2) आवश्यक निवेशों की व्यवस्था करके सार्वजनिक एजेंसियों ने भंडारण में सुधार किया है। फार्म-स्तर पर अधिक मात्रा में अनाज भंडारित किया जाता है और भंडारण में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। वांछित निवेशो के तत्काल सुलभ न होने से भी प्रगति रुक जाती है। गोष्ठी ने यह सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर उत्पादन का कुछ भाग उपलब्ध करने के लिए कीटनाशी रसायन निर्माताओं को आवश्यकता हो तो कानून द्वारा बाध्य किया जाय।

(3) भंडारण क्षमता में विस्तार करते समय सार्वजनिक एजेंसियों को ऐसे स्थान चुनने चाहिएं जो मांग क्षेत्र के नजदीक हों और ये क्षेत्र ऐसी जगह हों जहां आटा मिलें और उचित दर की दुकानें अधिक संख्या में हों। इस प्रकार गेहूं के परिवहन, उसको उतारने तथा रखने और वितरण में जो संभावित हानि होती है उसे बचाया जा सकेगा।

(4) पुरानी आटा मिलों को आधुनिक बनाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत हो उन्हें आयात करने की छूट दी जा सकती है। देश से आटा तैयार करने वाली अच्छी किस्म की मिलें बनाने के लिए हर तरह का प्रोत्साहन देना चाहिए।

(5) उद्योग की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए एक तदर्थ समिति, जिसमें केन्द्रीय खाद्य विभाग, भारतीय खाद्य निगम और आटा मिलें शामिल हों, की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(6) विपणन इतनी कुशलता के साथ होना चाहिए, जिससे आयोजित बाजारों में बेचते समय खाद्यान्न साफ, सूखा और खाने योग्य बना रहे। खाद्यान्नों का क्वालिटी के अनुसार वर्गीकरण करना भी बाजारों का ही काम है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में बाजारों को क्रियाशील बनाने से उपभोक्ता और उत्पादक को संतुष्ट करने तथा बड़े पैमाने पर मिलावट को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

(7) एक ऐसा समाकलित कार्यक्रम तैयार करना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ताओं को गेहूं और गेहूं उत्पादों का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिले। इसके लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रैस से मदद लेनी चाहिए।

(8) धान, मक्का, जवार और मोटे अनाज आदि की निर्धारित कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही गेहूं की कीमत होनी चाहिए।

यथा समय सरकार इन पर विचार करेगी।

शीतागारों की क्षमता

512. **श्री सरजू पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय शीतागारों की अधिकांश क्षमता तीन राज्यों, अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्यमान हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इसके बावजूद आलू की अबाधित सप्लाई हेतु कम लागत वाले शीतागारों के लिए इन तीन राज्यों में मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय ग्राम विकास विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1975 के अंत में शीतागारों की स्थापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	शीतागारों की संख्या	मीटरी टनों में क्षमता
1. आन्ध्र प्रदेश	30	4,720
2. असम	4	3,077
3. बिहार .	188	2,56,931
4. गुजरात .	70	44,827
5. हरियाणा .	73	73,410
6. हिमाचल प्रदेश .	2	1,309
7. जम्मू तथा काश्मीर	12	3,805
8. केरल .	103	3,069
9. मध्य प्रदेश . .	62	40,699
10. महाराष्ट्र	101	54,193
11. कर्नाटक .	47	4,676
12. उड़ीसा . .	25	18,462
13. पंजाब .	128	1,21,065
14. राजस्थान . .	20	21,738
15. तमिलनाडु . . .	71	6,556
16. त्रिपुरा	1	719
17. उत्तर प्रदेश . . .	449	8,88,636
18. पश्चिम बंगाल	133	3,31,948
19. अंडमान तथा निकोबार . .	1	8
20. चंडीगढ़	13	9,967
21. दिल्ली	65	77,230
22. गोआ, दमन तथा दीव . .	6	810
23. लक्षदीव	1	9
24. पांडिचेरी	3	94
कुल योग	1,6088	19,67,958

यह देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों ने देश में शीतागारों की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 75 प्रतिशत प्राप्त किया ।

(ग) जी हां, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में ।

(घ) सरकार शीतागार सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में सतर्क है । राज्य सरकारें राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने, प्राथमिक आधार पर बिजली सप्लाई करने आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दे रही हैं । भारत सरकार ने हाल ही में देश में और अधिक शीतागारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के विचार से वर्ष 1976–77 के बजट प्रस्तावों में शीतागारों मशीनरी पर उत्पादन शुल्क के बारे में रियायती दरें घोषित की हैं ।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की संख्या में वृद्धि

1513. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में भाषण देते हुए हाल ही में कहा है कि असमान स्टेण्डर्ड और चयनात्मकता के अभाव के साथ विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की संख्या में वृद्धि से अब हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस सम्बन्ध में शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने यह कहा: "मेरे विचार से हमारी प्रमुख कमजोरियां विश्वविद्यालयों और कालेजों की बिना योजना की वृद्धि, व्यापक रूप से असमान मानक, मानकों पर पर्याप्त बल न देना और चयनात्मकता का अभाव है ।"

2. आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों की संख्या में नियमित रूप से हो रही वृद्धि की समस्या पर विशेष ध्यान दिया है । आयोग का यह विचार है कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव बनाने से पहले उस राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विद्यमान सुविधाओं और इससे सम्बन्धित आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाने से पहले आयोग को शुरू से ही सर्वेक्षण से सहयोजित होना चाहिए । आयोग ने सभी राज्य सरकारोंको मार्गदर्शी रूपरेखाएं सूचित की हैं और उनसे नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव के साथ-साथ निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना/आंकड़े भेजने के लिए अनुरोध किया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की पात्रता) नियम, 1974 अधिसूचित किया है, जिसकी प्रतिलिपि 20 नवम्बर, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी ।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोग, उच्च शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं में विकास के स्तर का सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन करने के कार्य में भी लगा हुआ है, इसने विगत में आयोग द्वारा विकसित विभिन्न

कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया है और सुदृढ़ीकरण, मानकों को बढ़ाने, उच्च शिक्षा की पद्धति को हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के और अधिक अनुकूल बनाने तथा सामाजिक न्याय का बेहतर वातावरण उत्पन्न करने और समान अवसर प्रदान करने से सम्बन्धित नये कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं।

4. 30 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1975 तक हुए कुलपतियों के सम्मेलन ने, उच्च शिक्षा की योजना और नीति के प्रश्न पर विचार करते समय, यह सिफ़ारिश की कि उन क्षेत्रों और वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है जहां पहले से ये सुविधाएं पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं हैं। इस संदर्भ में सम्मेलन ने सायंकालीन कक्षाएं और पत्राचार-पाठ्यक्रमों की संस्था खोलने और उनको सुदृढ बनाने, प्राइवेट अध्ययन के लिए विनियमों को उदार बनाने, सतत् शिक्षा के लिए सह-डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने तथा गैर-औपचारिक पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नवम्बर, 1975 को हुई अपनी बैठक में सामान्य रूप से सम्मेलन के संकल्पों का समर्थन किया।

5. जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उल्लेख किया गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास से सम्बन्धित नीति में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जबकि उच्च शिक्षा की सामाजिक मांग को, विशेषकर समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में पूरा किया जाना चाहिए लेकिन सुविधाओं का अन्धाधुंध विस्तार करके विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की इस नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिलाओं की शैक्षिक संस्थाओं तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं।

दुग्ध उत्पादों का निर्यात

1512. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुग्ध उत्पादों का निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह परियोजना आरम्भ करने से पूर्व सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध के संबंध में देश की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी की जायें ; और

(ग) गत तीन योजना अवधियों के दौरान के देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही और क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली दूध की डेरियों की आवश्यकताएं पूरी तरह पूरी की जा रही हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) निर्यात संबंधी कोई कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश की दूध संबंधी आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी हो रही हैं।

(ग) गत तीन योजना अवधियों के अन्त में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि इस प्रकार थी :—

1. दूसरी योजना के अंत में (वर्ष 1961 के दौरान)	123 ग्राम
2. तीसरी योजना के अन्त में (वर्ष 1965–66 के दौरान)	113 ग्राम
3. चौथी योजना के अन्त में (वर्ष 1973–74 के दौरान)	110.20 ग्राम

प्रति व्यक्ति उपलब्धि में कुछ कमी इस कारण हुई कि जन संख्या की वृद्धि की दर के अनुरूप दूध का उत्पादन नहीं हुआ है।

मोट तौर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने डेरी संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रही हैं। तथापि, इन डेरी संयंत्रों के द्वारा उत्पादन बढाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

"फ्रीडम एट मिडनाइट"

1515. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फ्रीडम एट मिडनाइट" नामक पुस्तक में, जिसके बारे में लेखक ने दावा किया है कि यह ऐतिहासिक पुस्तक है, अनेक अर्द्ध सत्य हैं ;

(ख) क्या इस पुस्तक को लिखने के लिये लेखक को कोई सरकारी सहायता दी गई थी; और

(ग) क्या ऐसे सभी मामलों में जहां सरकार लेखकों को सहायता देती है, लेखक से यह स्पष्ट किया जाता है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये और क्या उक्त पुस्तक के लेखक ने ऐसा कोई वचन दिया था अथवा उनसे वचन लिया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) बहुत से व्यक्तियों ने, जो 1947 में जिम्मेदार पदों पर थे, पुस्तक के लेखकों द्वारा दिए गए अनेक विवरणों की सत्यता को चुनौती दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तुलु भाषा को मान्यता देना

1516. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकणी भाषा को देश की एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या पांच द्रविड भाषाओं में से एक भाषा, तुलु को ऐसी ही मान्यता दिये जाने के लिये मांग की जा रही है; और

(ग) तुलु को अब तक ऐसी मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 26-2-1975 को हुई अपनी बैठक में साहित्य अकादमी की महापरिषद् ने कोंकणी को भारत की एक स्वतंत्र आधुनिक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग). अध्यक्ष तुलुकूटा, मंगलौर ने साहित्य अकादमी से तुलु को ऐसी ही मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है। अकादमी ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

जमरानी बांध परियोजनाएं

1517. **श्री के० एम० मधुकर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नैनीताल जिले में गौला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां । योजना आयोग ने मई, 1975 में जमरानी परियोजना को कार्यान्वियन के लिए स्वीकृति दी थी ।

(ख) और (ग). 'सिंचाई' राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था स्वयं राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । राज्य योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों एवं अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह विकास अथवा स्कीम के किसी विशिष्ट सैक्टर के साथ जुड़ी नहीं होती है ।

बन्दोबस्त संगठनों में फील्ड इन्सपैक्टरों के वेतमान

1518. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री बन्दोबस्त संगठन में फील्ड इन्सपैक्टरों के वेतनमानों के बारे में 20-12-73 तथा 1-8-74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5698 तथा 1370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दोबस्त संगठन में फील्ड इन्सपैक्टरों के समेकित वेतनमान सम्बन्धी मामले को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) फील्ड इन्सपैक्टरों के पुराने वेतनमानों के तीन ग्रेडों को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973 के अन्तर्गत तदनुरूपी वेतन-मानो में अधिसूचित कर दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है :--

पुराने वेतन-मान रुपए	नए वेतन-मान रुपए
(i) 150--380	380--640
(ii) 168--300	380--560
(iii) 130--300	330--560

वयस्क निरक्षरता के बारे में बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति की सिफारिशें

1519, **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री बी० भगवती की अध्यक्षता में नियुक्त की गई बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने

अपने अंतरिम प्रतिवेदन में, जो फरवरी, 1972 में प्रस्तुत किया गया था, वयस्क निरक्षरता को कम करने के लिए बहुत से उपायों की तत्काल क्रियान्विति हेतु सिफ़ारिश की थी, और

(ख) यदि हां, तो जिन उपायो के बारे में सिफ़ारिश की गई थी उनकी क्रियान्विति के लिए अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). अन्तिम रिपोर्ट जो मई, 1973 में प्रस्तुत की गई थी उससे पहले समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी। उक्त रिपोर्ट में, प्रौढ निरक्षरता को कम करने की आवश्यकता, अनुवर्ती कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से चलाने तथा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक बल दिये जाने पर जोर दिया गया था। इन सिफ़ारिशों की मुख्य बातों का, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल प्रौढ तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों में आभास मिलता है। इसमें ये कार्यक्रम शामिल हैं : (1) 15–25 आयु वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम, (2) किसान, जनजाति, महिला, शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले आदि जैसे विशेष ग्रुपों के लिए कार्यालिय साक्षरता कार्यक्रम, (3) शहरी कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, (4) गैर-क्षात्र युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार, विशेषकर नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, (5) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, (6) ग्रामीण पुस्तकालय और (7) स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा विकास पर किया गया व्यय

1520. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान (1) ग्रेटर बम्बई, (2) ग्रेटर कलकत्ता, (3) दिल्ली, (4) चण्डीगढ (5) मद्रास और (6) भुवनेश्वर के विकास के लिये कुल कितना व्यय किया ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग केन्द्रीय सरकार कार्यालियों के भवनों या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों अथवा केन्द्रीय सरकार के सिविल विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों में हवाई-पट्टियों के निर्माण आदि जैसे केन्द्रीय सरकार के अपने सीधे निर्माण-कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ग्रेटर बम्बई, ग्रेटर कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, चण्डीगढ अथवा भुवनेश्वर जैसे नगरीय क्षेत्रों का विकास इसके कार्यकलापों का अंग नहीं है। अतः ग्रेटर बम्बई, ग्रेटर कलकत्ता, दिल्ली, चण्डीगढ, मद्रास तथा भुवनेश्वर के विकास के लिए केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा किए गए व्यय के बारे में सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तत्कालीन पूर्वी बंगाल से लौटे शरणार्थियों का पुनर्वास

1521. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1948 और 1971 के बीच भूतपूर्व पूर्वी बंगाल से कितने शरणार्थी परिवार भारत लौटे ;

(ख) उनमें से कितने परिवारों का अब तक आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास कर दिया गया है ;

(ग) उक्त परिवारो के किए गये आर्थिक पुनर्वास का स्वरूप क्या है ;

(घ) कितन परिवारों का अभी भी पुनर्वास किया जाना है ; और

(ङ) सरकार की गैर-पुनर्वासित परिवारों के सम्बन्ध में क्या योजनायें हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 52.31 लाख व्यक्ति या 10.40 लाख परिवार। इनमें से 41.17 लाख व्यक्ति पुराने प्रवासियों की श्रेणी में आते हैं और शेष नए प्रसावियों के रूप में जाने जाते हैं।

(ख) 41.17 लाख पुराने प्रवासियों में से (लगभग 8.23 लाख परिवार), 6.67 लाख परिवारों को बसाया जा चुका है। शेष 1.56 लाख परिवारों में से 1.29 लाख परिवारों ने पुनर्वास सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया। लगभग 0.09 लाख परिवार गृहों तथा अपंगालयों में रह रहे थे तथा शेष 0.18 लाख परिवार 31 दिसम्बर, 1960 तक पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहते रहे। गृहो में रह रहे परिवारों की देख भाल सरकार द्वारा की जाती रही। शिविरों में रह रहे परिवारों को दण्डकारण्य जाने की छूट दी गई थी और जिन परिवारों ने वहां जाना मंजूर नहीं किया उन्हें छः महीने का नकद अनुदान देकर शिविरों से निकाल दिया गया।

चूंकि पश्चिम बंगाल और प्रसावियों को खपाने की स्थिति में नहीं था इसलिए सरकार ने 1964 में जब प्रावसियों का नया प्रवाह शुरू हुआ—यह निश्चय किया कि उनमें से राहत और पुनर्वास सहायता केवल उन्हीं को दी जाए जो पश्चिम बंगाल से बाहर खोले गए शिविरों में प्रवेश लेना चाहते हों। इस निर्णय के बावजूद भी 6 लाख नए प्रवासियों से भी अधिक (1.25 लाख परिवार) ने पश्चिम बंगाल में ही रहने की इच्छा व्यक्त की। पश्चिम बंगाल से बाहर शिविरों में प्रविष्ट परिवारों में से 55,272 परिवारों को 31-12-1975 तथा विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में बसाया जा चुका है।

(ग) परिवार कृषि, लघु व्यापार तथा उद्योगों में रोजगार द्वारा बसाये गये थे।

(घ) 15–3–1976 को 17,500 परिवार शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में थे (स्थायी दायित्व के परिवारों को छोड़कर जिसकी संख्या 3,824 है)।

(ङ) 17,500 परिवारों में से अधिकांश को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना की अवधि में और शेष को छठी योजना की अवधि में बसाने का प्रस्ताव है परन्तु यह भूमि तथा लघु व्यापार और व्यवसाय की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

"इन्टरपोर अर्लाटिड अबाउट स्वीडल इन ग्रेन एक्सपोर्ट" (अन्न निर्यात के मामले में हो रही जालसाजी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को सतर्क किया जाना)

1522. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 फरवरी, 1976 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'इन्टरपोल अर्लाटिड अबाउट स्वीडल इन ग्रेन एक्सपोर्ट' (अन्न निर्यात के मामले में हो रही जालसाजी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को सतर्क किया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ने किन्हीं अमरीकी खाद्यान्न निर्यातकों से लाखों रुपये का खाद्यान्न खरीदा है जैसा कि अमरीकी समाचार-पत्रों में जिक्र किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत विभिन्न यू०एस०अनाज कम्पनियों से खाद्यान्नों की खरीदारी कर रहा है। अनाज कम्पनियों द्वारा किए गए कारवारों की जांच अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही है। पता चला है कि जिन अनाज कम्पनियों की गतिविधियों की जांच की जा रही है उनमें से दो के नाम वंगे कार्पोरेशन और कुक इडन्स्ट्रीज है, जिनसे भारत ने भी खाद्यान्न खरीदे थे। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और इस बात पर सोचेगी कि यदि उपयुक्त जांच के परिणामस्वरूप कदाचारों के मामले सिद्ध हो जाते हैं तो क्या मुआवजे के लिए दावा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य सरकार भी अपने कानून में उपयुक्त संशोधन कर निरीक्षण कार्यविधि को कड़ा करने की दिशा में पग उठा रही है। संयुक्त राज्य सरकार के विचाराधीन नये कनून के दायरे पर निर्भर करते हुए इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए और पग उठाने चाहिए।

राष्ट्रीय गृह निर्माण नीति

1523. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**
श्री वसंत साठे :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय गृह निर्माण नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

छात्रों द्वारा राष्ट्रीय सेवा के लिए योजना

1524. **श्री बसंत साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों द्वारा राष्ट्रीय सेवा के लिये कोई याजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय सेवा के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उद्देश्यो, लक्ष्यों, संगठनात्मक ढांचे, राज्यवार एवं वर्ष वार लिये जाने वाले क्षेत्रो और निर्धारित कामों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस कार्य क्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथ संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना को शुरु करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब में गेहूं की उपज में अन्तर आना

1525. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के विभिन्न जिलो में गेहूं के उत्पादन में बहुत अन्तर है ; और

(ख) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के दो विशेषज्ञों ने राज्य में गेहूं की उपज में अत्यधिक अन्तर के लिए जिम्मेदार पहलुओं का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, विभिन्न जिलों में गेहूं की पैदावार में काफी अन्तर पाया गया है, इससे प्रति हैक्टर सबसे अधिक पैदावार लुधियना जिले में तथा इसके बाद जालंधर और संगरूर जिलों में हुई है और सबसे कम पैदावार रोपड़, होशियारपुर और गुरदासपुर जिलों में पायी गयी।

(ख) जी हां, एक ऐसे अध्ययन से यह पता चला है कि निम्नलिखित कुछ ऐसे कारण हैं, जो पैदावार में अन्तर के लिए उत्तरदायी हैं।

(1) सिंचाई जल की उपलब्धता,

(2) उर्वरकों का उपयोग, खासतौर से संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग,

(3) असामयिक वर्षा के कारण रतुआ जैसी बीमारियों का प्रकोप,

(4) सस्य पद्धति यानी धान के बाद गेहूं उगाना जिसके फलस्वरूप गेहूं की देर से बुआई की जाती है, और

(5) खरपतवारों का प्रकोप।

तमिलनाडु का भूमि सुधार अधिनियम

1527. श्री एम० कत्तामुत्तु :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के वर्तमान भूमि सुधार अधिनियम में अनेक त्रुटियों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) तमिलनाडु में जोत की अधिकतम सीमा संबंधी नियमों में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों से जो विषमताएं हैं वे निम्नलिखित हैं :

1. परिवार पूल से बाहर 10 स्टेण्डर्ड एकड़ स्त्रीधन भूमि रखने की अनुमति है।

2. कानून 15-2-1970 से पहले किये गये बंटवारों तथा अंतरणों की भी अनुमति प्रदान करता है ताकि भूमिधारी स्वाधीनतापूर्वक जोत की सीमा तक भूमि अपने अवश्यक पुत्रों, अवश्यक पोत्रों, अविवाहित लड़कियों तथा अविवाहित पौत्रियों के नाम में रख सके।

3. अन्य राज्यों में स्वीकार की गई दरों से अधिक दरों पर फालतू भूमि के अधिग्रहण के लिए राशि के भुगतान की व्यवस्था भी कानून में है।

4. दालचीनी के बागानों, ईंधन वाले वृक्षों, फलोधानों, तथा सुपारी के बागों के अंतर्गत भूमि और शौर्य के पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि के लिए कानून छूट प्रदान करता है।

5. कानून के अनुसार, अधिकतम सीमा गैर-सरकारी न्यासों के लाभानुभोगियों पर लागू होती है न कि गैर-सरकारी न्यासों के संस्थापकों पर। इससे भूमि के मालिक के पास अधिकतम सीमा से अधिक जमीन रखने की खामियां रह सकती हैं, जोकि इस प्रयोजन के लिये एक गैर-सरकारी न्यास बना सकता है।

राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के साथ समानुरूपता लाने के लिये कानून में संशोधन करने हेतु राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

Rural Games

1528. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn a scheme to encourage rural games, if so, outlines thereof; and

(b) funds allocated therefor in Fifth Five Year Plan and how they are proposed to be utilized?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b) The Government has been conscious of the need to broadbase games activities and encouraging these in rural areas. Coaching in games is being given to rural youth under expert coaches employed in various Regional Coaching Centres under the National Coaching Scheme. Promotion of sports and games in the rural sector is also an important part of the programmes of the Nehru Yuvak Kendras which have been provided with trained coaches for this purpose.

A nation-wide programme of rural games and sports tournaments is in operation since 1970-71 and in this connection, special coaching camps are held for rural sportsmen. The Rural Sports Tournaments at the National level are preceded by competitions at Taluka, District and State levels which are organised by the State Sports Councils with financial assistance partly from the State Government and partly from the Government of India.

Scholarships are also awarded to deserving sportsmen who show proficiency in Rural Tournaments.

To intensify efforts aimed at broadbasing of games and sports, State Governments/State Sports Councils have been asked to undertake to involve around 1500 youth in active games and sports in each Block, thus ensuring the participation of about 80 lakh young men and women by the end of the Fifth Five Year Plan Period.

The Central Government is also implementing a scheme under which financial assistance on a matching basis, is available to the State Governments/State Sports Councils for the establishment of Rural Sports Centres.

An allocation of Rs. 12·28 crore has been proposed in the Central Sector in Fifth Five Year Plan for the promotion of games and sports including the programmes mentioned above. There is a specific allocation of Rs. 40 lakha for Rural Sport Tournaments.

परीक्षा पद्धति में सुधार

1529. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षा पद्धति सुधार समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो संशोधित पद्धति के कार्यकरण पर नज़र रखने के लिए क्या वास्तविक कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। स्कूल स्तर पर बहुत से राज्यों ने माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली में पहले ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लिए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राज्यों के साथ निकट का संपर्क बनाया हुआ है और स्कूल स्तर पर परीक्षा सुधार के कार्यान्वियन में उनका आवश्यक मार्गदर्शन कर रही है। परीक्षा सुधार की योजना की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1974 में परीक्षा सुधार के विभिन्न पहलुओं पर चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का गठन किया था। आयोग ने परीक्षाओं की ग्रेडिंग प्रणाली पर 1975 में भी चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का गठन किया था। आयोग की परीक्षा सुधार कार्यान्वियन समिति द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालयों में परीक्षा सुधार की प्रगति की जांच की जा रही है।

कमला नदी पर तटबंधों के बारें में भारत-नेपाल समझौता

1530. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल दोनों में बाढ़ रोकने के लिए बिहार में जय नगर से परे नेपाल में मिरछैया तक कमला नदी पर तटबंध बढ़ाने के लिए नेपाल सरकार के साथ कोई समझौता [illegible] था ; यदि हां, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना के रूप में कमला नदी पर नेपाल में सीसापानी के निकट उस पर एक वराज बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसको अन्तिम रूप देने तथा क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) नेपाल में कमल नदी पर बाढ तटबंधों के विस्तार का एक संयुक्त सर्वेक्षण बिहार और नेपाल के इंजीनियरों के द्वारा 1967 में किया गया था। इन आंकड़ो के और बाद में महामहिम नेपाल सरकार से प्राप्त की गई संबंधित सूचना के आधार पर, बिहार सरकार के द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस प्रस्ताव पर महामहिम नेपाल सरकार से निर्माण-पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण करने एवं इस स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में समझौता करना अपेक्षित होगा।

(ख) और (ग) इस प्रकार के किसी भी कार्य के प्रस्ताव को जिसमें दोनो देशों को लाभ हो, केवल महामहिम नेपाल सरकार के साथ इस संबंध में किए गए समझौते के उपरांत हाथ में लिया जा सकता है।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजनाओं के लिए प्लान

1531. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में वागमती, लाखण्डु, खिरोई, घोन्स-वागमती, लाल बकाया आदि सहित अधवाड़ा ग्रुप की नदियों को नियंत्रित करने के लिए बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजनाओं

के लिए कोई ठोस योजनाएं बनाई गई हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उनकी वास्तविक क्रियान्विति कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) क्या कोसी और कमला नदियों के पानी से बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों के कुशेश्वर स्थान, बीरौल, घनश्यामपुर तथा अन्य खण्डों में लगभग पूरी तरह पानी भर जाता है ; यदि हां, तो तटबंध बढ़ाकर या अन्यथा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने अधवाड़ा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए 10.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस योजना के प्रस्तावित कार्यों में नदियों के वाह क्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय, रेल और सड़क पुलों के जलमार्गों में सुधार, जल-निकास कपाटों की व्यवस्था और नदी नियंत्रण कार्यों द्वारा अनुपूरित तटबंधों के निर्माण से नदियों से चैनलें निकालना शामिल है। योजना प्रारूप तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अनुसूची को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

राज्य सरकार ने अधवाड़ा ग्रुप की नदियों से सिंचाई के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। बहरहाल, बागमती नदी की बाढ़ों से क्षेत्र की सुरक्षा के पश्चात्, राज्य सरकार सिंचाई उद्देश्यों के लिए बागमती पर एक बराज के निर्माण का प्रस्ताव रखती है ।

(ख) कमला और कोसी नदियों में बाढ़ों से दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिलों के कुछ क्षेत्र प्रभावित होते हैं। पिछले काफी समय से कमला बालान पर वर्तमान तटबंध के अनुप्रवाह में सुरक्षा की व्यवस्था का प्रश्न बिहार की राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है । दाजिया से आगे 40 किलोमीटर तक कमला बालान तटबंध के विस्तार के लिए एवं फुहिया के निकट वर्तमान कारेह तटबंध के साथ उसके सम्पर्क के लिए एक स्कीम उनके विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जल-वैज्ञानिक आंकड़े अभी भी एकत्र किए जा रहे हैं। बहरहाल, कमला के दोनों किनारों पर दाजिया से नीचे 16 किलोमीटर तक की लम्बाई में तटबंधों के विस्तार के लिए 1975 में एक स्कीम तैयार की गई थी जिसका इस समय अध्ययन किया जा रहा है ।

'ओपन यूनिवर्सिटी'

1532. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक 'ओपन यूनिवर्सिटी' स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

सरदार पटेल के पत्रों की "माइक्रो-फिल्म" तैयार करना

1533. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावी पीढ़ियों के लिए सरदार पटेल के पत्रों की "माइक्रो-फिल्म" तैयार कराने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सम्बन्धित दस्तावेजों को, जो उन्हें उपलब्ध कराये गए थे, पहले ही माइक्रो-फिल्म कर लिया है ।

अनाज की फसलों के लिए काई

1534. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज की फसलों के लिये नाइट्रोजन-फ़िक्सर के रूप में नीलीहरी काईयों की उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई अध्यन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन काईयों का देश भर में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नयी दिल्ली तथा कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में फसलों की उपज बढ़ाने, मुख्यतया धान की उपज बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरक नील शैवाल की उपयोगिता पर अध्ययन किये गए हैं । इन अध्ययनों के अन्तर्गत धान की फसल के लिए नील शैवाल लाभप्रद पाया गया है । इसके द्वारा 7.5 से ऊंचे पी० एच० मान वाली मिटिटयों में प्रति मौसम प्रति हैक्टर 20–30 कि० ग्रा० नाइट्रोजन बढ़ जाती है ।

(ख) नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा धान के खेतों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए शैवालों के वृद्धिकरण के लिए एक विधि विकसित की गई है । इस उद्देश्य के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नयी दिल्ली के सूक्ष्माजीव विज्ञान विभाग द्वारा आवश्यक जानकारी और जामन कल्चर वितरित किये जा रहे हैं । इस विधि को अभी वृहत स्तर पर अपनाना शेष है ।

दिल्ली में कम कीमत वाले मकानों की प्रदर्शनी

1535. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कम कीमत वाले मकानों की प्रदर्शनी का कोई परिणाम निकला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने निम्न आय वर्ग के लिये कम कीमत वाले मकानों का नमूना (माडल) चयन करने के बारे में अन्तिम रूप से अपना इरादा बना लिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अनेक व्यक्तियों को कम कीमत वाले मकानों के बारे में विभिन्न दावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघरामैया) :(क) जी, हां। प्रदर्शनी को देखने के लिए 8 से 9 हजार तक भवन-निर्माता आए थे तथा निर्माण की लागत कम करने की नई तकनीकों, इमारती-सामान और डिजाइनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

(ख) प्रदर्शनी का उद्देश्य निम्न आय वर्गों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कम लागत के मकानों के माडलों का प्रदर्शन करना था तथा नई तकनीको, सस्ते व एवजी इमारती-सामान का प्रयोग करने और स्थान का किफायती उपयोग करने को बढ़ावा देना था। अत: निम्नतम आवासीय डिजाइन चुनने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) लोगों में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे व्यक्तियों।एजेन्सियों, जिन्होंने कम लागत के मकान तैयार करने का दावा किया था, को दिल्ली में हुई कम लागत के प्रदर्शनी मकानों की प्रदर्शनी में मकान बनाने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

Setting up of National Youth Board

***1536. Shri M. C. Daga Will** the Minister **of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether Government have evolved National Youth Policy or have set up a National Youth Board to evolve such a policy with a view to solving the problems of the youth in the country;

(b) if so, when and composition of the Board; and

(c) decisions taken so far by the Board and decisions implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) and (b) Government have formulated comprehensive programmes for students as well as non-student youth. These include National Service Scheme to provide the students opportunities for involvement in constructive developmental activities; Nehru Yuvak Kendras for involving non-student youth in nation building activities; broad basing of games and sports; expansion of non-formal education programmes; National Integration Samities and camps for inculcating the idea of oneness; N.C.C. for developing qualities of leadership and comradeship; Yuvak Mandals and Extension Training programmes for training the rural Youth in modern agricultural technology.

(c) The National Youth Board met last in December, 1970. It recommended appointment of State and Districts Youth Boards. States were requested to appoint State level Youth Boards. District level committees have been set up in connection with implementation of Nehru Yuvak Kendras programme. The National Youth Board also recommended certain matters regarding establishment of youth centres, work centres, development of play-fields, youth leadership training programmes and provision of adventure facilities. Most of these recommendations have been accepted by Government and schemes have been formulated for implementation.

Problems of Non-Student Youth

***1537. Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have not paid attention to the problems of non-student youths in the country; and

(b) if so, nature of their problems and the remedial measures envisaged in next Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Government have attempted to pay due attention to the problems of non-student youth in the country and have initiated programmes to deal with those problems. The programmes for non-student youth include : (1) Nehru Yuvak Kendras for promoting well coordinated programmes ; (2) Non-formal education for 15—25 age group ; (3) functional education, including establishment of Work Centres; and (4) Promotion of Rural Sports.

(b) Does not arise.

Financial Difficulties of Research Institutions

†1538. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether University Grants Commission have stated in its report for 1972-73 that research institutions experienced great inconvenience in their work due to financial difficulties; and

(b) if so, steps taken by Government to solve this problem ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) The Annual Report for the year 1972-73 of the University Grants Commission has pointed out that many research projects developed by the universities were impeded for want of funds and that the Commission decided to place at the disposal of each university a sum ranging from Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 for direct support to research. A similar fund has been placed at the disposal of universities by the Commission during the Fifth Plan.

Publication Work by C .H. D.

†1539. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Central Hindi Directorate has completed the work of publication of books and reference books on all subjects in Hindi for graduation level educatjon; and

(b) if so, particulars thereof and the time by which college education is likely to be imparted through Hindi Medium ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Central Hindi Directorate, the five Hindi Granth Akademies, have together made substantial progress in this direction.

(b) They have so far produced 784 books in Hindi covering different disciplines. Hindi is already a medium of education at the University level in more than 50 universities. The extent of adoption of Hindi as a medium of education varies, however, from University to University.

तमिलनाडु में खाद्यान्न की वसूली न होना

1540. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या कृषि **और** सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में धान और रागी के बाजार में मूल्य बहुत घट कर निम्नतम स्तर तक आ गये हैं; और

(ख) क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा न खरीदने के कारण कृषकों के पास भारी मात्रा में खाद्यान्न पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारत सरकार के पास विभिन्न राज्यों से मूल्यों के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि चालू विपणन मौसम के दौरान तमिलनाडु में धान और रागी के थोक मूल्य पिछले मौसम की इसी अवधि की तुलना में सामान्यतया कम चल रहे हैं; लेकिन वे निर्धारित किए गए वसूली मूल्यों से ऊंचे हैं। वसूली एजेंसियां बिक्री के लिए पेश किए गए अनाजों को खरीद रही हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाण पत्र नियम, 1976, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और रक्षा, विदेश तथा गृह मंत्रालयों की वर्ष 1976–77 के लिये विस्तृत मांगें।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाण पत्र नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 239(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 240(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10558/76]

(3) वर्ष 1976–77 के लिए निम्नलिखित मन्त्रालयों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रक्षा मन्त्रालय

(दो) विदेश मन्त्रालय

(तीन) गृह मन्त्रालय

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10559/76]

जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) जल तथा विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10560/76]

तमिलनाडु गैर सरकारी कालेज (विनियमन) अध्यादेश, 1976 तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

शिक्षा तथा समाज कल्याण और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध, में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत तमिलनाडु गैर-सरकारी कालेज (विनियमन) अध्यादेश 1976 (1976 का तमिलनाडु अध्यादेश संख्या 11) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 5 मार्च, 1976 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10561/76]

(2) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10562/76]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 59/76—सीमाशुल्क [सा० सां० नि० 256 (ङ)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—10563/76]

———

न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONTEMPT OF COURTS (AMENDMENT BILL)—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार करते हैं ।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी महाधिवक्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि न्यायालय अवमान कार्यवाही शुरू करने से पहले महा अधिवक्ता की अनुमति जरूरी होती है। अतः यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का प्रावधान क्यों किया गया है। यदि न्यायालय अवमान सम्बन्धी मामले की ओर कोई भी व्यक्ति न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस स्थिति में यह शर्त क्यों रखी गयी है कि महा अधिवक्ता को पूर्व अनुमति ली जाये। मूल अधिनियम में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की की गयी थी ।

[**श्री बसंत साठे पीठासीन हुए**]

[**Shri Vasant Sathe** *in the Chair*

मेरे विचार में महाधिवक्ता की अनुमति लेना अनावश्यक ही है। इसकी व्यवस्था 1971 में संसद ने मूल अधिनियम में की थी लेकिन इससे इस प्रकार के मामले अधिक पेचीदा हो गये हैं। 1971 के अधिनियम में इस प्रकार के अनेक प्रावधान रखे गये जो प्रासंगिक नहीं थे ।

1971 में इस विधेयक को पास किये जाने से पहले संयुक्त समिति को भेजा गया था। इस समिति में दोनों सभाओं के सदस्य थे जिन्होंने अनेक संशोधन प्रस्तुत किये थे लेकिन सरकार ने इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया। मैं मंत्री महोदय से अब भी अनुरोध करता हूं कि इन संशोधनों को स्वीकार करे ताकि मूलअधिनियम की सभी त्रुटियां दूर हो सकें। मैं अधिक न बोलते हुए यही अनुरोध करता हूं कि महा अधिवक्ता की पूर्व अनुमति सम्बन्धी प्रावधान को हटा दिया जाये। 1971 में अनेक सदस्यों ने कहा था कि अधिवक्ताओं तथा न्यायाधीशों को इस ढंग से चलना चाहिये ताकि न्यायालय की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बदव्रत बरुआ) : मैं माननीय सदस्यों को विधेयक का सामान्यतः समर्थन करने के लिये धन्यवाद देता हूं। विधेयक 1971 में पास किया गया था। इसमें व्यवस्था की गयी थी कि महाधिवक्ता की अनुमति से कोई भी व्यक्ति उच्च-न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के सामने न्यायालय अवमान सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर सकता है। इस बात का पता बाद में लगा कि दिल्ली वघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय तो है लेकिन महाधिवक्ता नहीं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार विधि अधिकारियों की नियुक्तिक रुकती है। लेकिन दिल्ली के मामले में नहीं। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य इस त्रुटि को दूर करना है ।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं सरकार ने 1971 में उन पर विचार किया था। महा अधिवक्ता की व्यवस्था इस कारण की गई थी कि निराधार शिकायतें दायर न हों जिसके

फलस्वरूप न्यायालयों का समय बर्बाद होता है। अतः ऐसा इसे नियमित करने के उद्देश्य से किया गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करते हैं। खण्डों पर कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुए।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 2, Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

———

गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
GUJARAT STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

राष्ट्रपति द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 12 मार्च, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा में व्यवस्था की गयी थी कि राज्य विधान मंडल की शक्तियों का उपयोग संसद का प्राधिकार के

अन्तर्गत किया जाये। लेकिन अनेक विधान सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करना संसद के लिये कठिन है। अतः इस विधेयक के अन्तर्गत राष्ट्रपति को गुजरात विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 51 संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन करने की व्यवस्था की गई है। मैं सभा से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बीरेन दत्त—त्रिपुरा (पश्चिम) : राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को सत्तारूढ़ दल ने इसलिये भंग किया ताकि हर राज्य में इसका शासन स्थापित किया जा सके। तामिलनाडु की विधान सभा तो भंग की गई लेकिन गुजरात की इसलिये नहीं की गयी कि वहां से यह आशा रखी जा रही है कि कुछ विपक्ष के विधायक दलबदल करके सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जायेंगे। ऐसा कांग्रेस दल के सत्ता पर बनाये रखने के ही उद्देश्य से किया गया था। आपने अपनी सरकार बनाये रखने के उद्देश्य से त्रिपुरा के विधायकों को क्यों नजरबन्दी में रखा है। गुजरात तथा तामिलनाडु के बारे में प्रधान मंत्री ने जो भाषण दिये हैं उससे सिद्ध होता है कि वे जनता मोर्चे की सरकारों में दिलचस्पी नहीं रखतीं। इस स्थिति में भारत में विपक्ष की सरकारों का क्या भविष्य है? प्रजातंत्रीय भावना से संवैधानिक तरीकों द्वारा चुनाव लड़ने का क्या भविष्य है? ये सब वाद प्रजातंत्र के भविष्य के लिये सुखद नहीं है। अतः मैं यही मांग करूंगा कि गुजरात में चुनाव शीघ्र कराये जायें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मेरे विचार में सरकार तथा राष्ट्रपति को कोई कानून बनाने से पहले समिति का परामर्श लेना चाहिये अन्यथा सलाहकार समिति का गठन कोई अर्थ नहीं रखता। इस मामले में मेरे विचार में समिति को कुछ शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये। यदि राष्ट्रपति ही कोई कानून बनाता है तो समिति कोई की आवश्यकता नहीं। समिति के गठन का उद्देश्य यही होता है कि कानून बनाने सम्बन्धी मामलों में इसका भी परामर्श लिया जाये।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल एक ओर तो गुजरात के जनता मोर्चे के क्रान्तिकारी संगठद और लोकतांत्रिक नहीं मानता था और दूसरी ओर अब यह दल जनता मोर्चे की सरकार के पतन पर आंसू बहा रहा है। यह अच्छा ही हुआ कि गुजरात सरकार का पतन हो गया है—(व्यवधान) और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सिद्धान्त-हीन गठबन्धन, कार्यक्रम-विहीन संगठन, जो कि जन-विरोधी गतिविधियां करते हैं देश में पनप नहीं सकते। यह मोर्चा भूपतियों के लाभ के कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा था और इसीलिये इसका पतन हुआ। इस सरकार के पतन का गुजरात राज्य में स्वागत हुआ है।

मुझे आशा है कि सरकार इन प्रस्तावों पर विचार करेगी।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : श्रीमन् इस समय आवश्यकता इस बात पर विचार करने की है कि गुजरात में यह प्रयोग असफल क्यों हुआ। जो कुछ वहां हुआ वह अत्यन्त खेदजनक है क्योंकि मैं स्वयं किसी चुनी हुई सरकार के पतन से खुश नहीं होता जबकि गुजरात में एक के बाद दूसरी सरकारों का पतन हुआ है। अतः विचारणीय बात यह है कि ऐसा क्यों होता है और अब क्यों हुआ।

सभा को यह याद ही होगा कि जब चिमनभाई पटेल सरकार का तख्ता उलटने के प्रयास हो रहे थे उस समय हमारे विपक्षी साथी बड़े खुश हो रहे थे। उस समय उन्हें यह भी सोचना चाहिये

था कि यदि आज अव्यवस्था की स्थिति को बढ़ावा दिया जायेगा तो भविष्य में भी उसका प्रभाव देश की राजनैतिक स्थिति पर पड़ सकता है। उस समय उस राज्य में जो वातावरण पैदा किया गया था, सरकार को गिराने के लिए जो हथकण्डे अपनाये गये थे, विधान सभा को भंग कराने के लिये जो दवाब डाला गया था वह देश के राजनैतिक वातावरण का एक दुखद इतिहास है। इस कार्य में अन्तर्ग्रस्त लोगों को अब अपने भीतर झांक कर विचार करना चाहिए कि विधान सभा को भंग करने तथा विधायकों को त्यागपत्र देने को बाध्य करने के उनके हथकण्डे क्या न्यायोचित थे। मेरे विचार से तो ऐसे कृत्यों की भर्त्सना की जानी चाहिये और हमेशा के लिये यह निर्णय कर लिया जाना चाहिये कि जो सरकार अपनी घोषित नीतियों और कार्यक्रमों के विपरीत कार्य करे उसके विरुद्ध कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाये।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि श्री मोरारजी देसाई गुजरात में चुनाव कराने के लिये भूख हड़ताल का तरीका अपना कर बड़ी जटिल परिस्थिति पैदा कर दी थी और हम सभी को उस स्वाधीनता सेनानी की जान बचाने के लिये सरकार से चुनाव कराने की अपील करनी पड़ी थी और फिर चुनाव हुए। यद्यपि चुनाव के लिये जून का महीना सर्वथा अनुपयुक्त था तो भी मानवीय आधार पर और एक विशिष्ट मामला समझ कर सरकार ने यह अपील स्वीकार कर ली थी। परन्तु भूख हड़ताल करके चुनाव कराने का तरीका गांधीवादी, लोकतांत्रिक अथवा संसदीय नहीं है। श्री मोरारजी देसाई की जान बचाने के उद्देश्य से चुनाव कराये गये परन्तु परिणाम यह निकला कि जनता मोर्चे के नाम में अकस्मात ही सभी प्रकार के तत्व एक जुट हो गये और यह मोर्चा वस्तुतः कांग्रेस की स्थिति कमजोर करने के लिये दक्षिण पंथियों और प्रतिक्रियावादियों का एक गठबन्धन मात्र था। मार्क्सवादी साम्यवादी, यद्यपि इस मोर्चा में शामिल नही थे तो भी इस मोर्चे के कांग्रेस विरोधी स्वरूप के कारण वे खुश थे और अब उसके पतन पर उन्हें खेद हो रहा है।

श्री चन्द्रप्पन का यह कहना सही है कि मोर्चे का पतन उसकी भीतरी फूट के कारण हुआ है। ऐसा होना अवश्यम्भावी भी था क्योंकि जो कुछ जनता मोर्चे कर रहा था वह देश के वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल नहीं था।

वहां मंत्रीपरिषद के त्यागपत्र के बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और वहां की सरकार का पतन उसके सदस्यों में फूट और दलबदल के कारण हुआ। अतः अब यह देखने की भी ज़रूरत है कि दलबदल की प्रवृत्ति को किस सीमा तक छूट दी जानी चाहिये। जब तक दल-बदल की प्रवृत्ति रहेगी स्वस्थ संसदीय गतिविधियों नहीं हो सकेगी। दलबदलुओं को देश की राज-नीति में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये. . . . (व्यवधान) कांग्रेस में दलबदलुओं के लिये कोई स्थान नहीं हैं, हम उन्हें अपने दल में शामिल नहीं करेंगे हम संगठन कांग्रेस के सदस्यों को ले लेंगे परन्तु जनसंघ के सदस्यों को नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : उनका कहना है कि केवल भगोड़ों को ही वापस लिया जायेगा।

श्री हरि किशोर सिंह : एक समस्या यह भी है कि केन्द्र और राज्य के बीच सम्बन्ध कैसे हों और जब कोई राज्य अपने घोषित राष्ट्रीय उद्देश्यों और नीतियों से विमुख हो तो केन्द्र क्या करे।

आपात स्थिति की घोषिणा के बाद ऐसा लगा जैसे गुजरात में देश भर के सभी राजनैतिक कदाचारी आकर एकत्रित हो गये। अब यदि कोई राज्य सरकार ऐसे अवांछनीय और समाज-विरोधी तत्वों को संरक्षण देती है तो केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिये? क्या उसे चुपचाप तमाशा देखते रहना चाहिये? इस बात पर सभा को विचार करना चाहिये। मैं पटेल सरकार

[श्री हरि किशोर सिंह]

के दोषों और त्रुटियों का ज़िक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि विधान सभा में अपने अल्प मत को देखते ही अपना त्यागपत्र देने के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं अन्यथा वह भी सभा को स्थगित कर सकते थे। मुझे आशा है कि भविष्य में वह केवल कांग्रेस का विरोध करने अथवा उससे घृणा के प्रतीक स्वरूप अवसरवादी तत्वों के साथ जनता मोर्चा जैसा गठबन्धन बनाने हेतु अपने महान नेताओं का अनुसरण नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : इस विधेयक के पारित होने के तुरन्त बाद ही लोक सभा तथा राज्य सभा-दोनों सभाओं की एक प्रवर सलाहकार समिति गठित की जानी है। मैं सरकार तथा उक्त समिति के लिये कुछ सुझाव पेश कर रहा हूं।

गुजरात में राष्ट्रपति शासन के दौरान आतंक और भय का वातावरण है जनता मोर्चे के कुछ सदस्यों को धमकी दी जा रही है कि यदि वे इस मोर्चे से अलग नहीं होंगे तो उन्हें आंसुका अथवा भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इस प्रकार का वातावरण समाप्त किया जाये और सरकार को ऐसे तत्वों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

राष्ट्रपति शासन के पश्चात गुजरात में बड़ी भारी संख्या में कर्मचारियों की स्थानान्तरण किया जा रहा है। उसे रोका जाना चाहिये।

तीसरे, आंसुका अथवा भारत रक्षा नियमों के अधीन बन्दी बनाये गये राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं तथा विधायकों को तुरन्त रिहा किया जाये। गुजरात राज्य में अब कोई हिन्सात्मक अथवा अन्य ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है। मंत्री महोदय सभा को बताये कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन के बाद से वहां कितने राजनैतिक व्यक्ति बन्दी बनाये गये हैं ?

सड़कों और पुलों के लिये चल रहे निर्माण-कार्य की गति तेज़ की जानी चाहिये ताकि परिवहन सुविधायें बनी रहें।

उपरोक्त कार्य तुरन्त ही किये जाने चाहिए।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्रीमन्, चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं।

पहले वक्ता श्री बीरेन दत्त ने पूछा था कि तमिलनाडु विधान सभा क्यों भंग की गई तथा गुजरात विधान सभा को क्यों जीवित रखा गया। उनके मतानुसार हमने ऐसा इसलिये किया था कि गुजरात में कुछ लोग दल बदल कर कांग्रेस में आ मिलें और हम वहां सरकार बनालें।

परन्तु यह सच नहीं है। उपरोक्त दोनों राज्यों में स्थिति परस्पर भिन्न है। तमिलनाडु विधान सभा गत पांच वर्ष पूर्व गठित हुई थी और अब इसे वैसे भी शीघ्र ही समाप्त होना ही था। वैसे इसको भंग करने का कारण यह था कि तत्कालीन तमिलनाडु सरकार-द्रमुक सरकार-द्वारा राज्य में कानून विरोधी और अव्यवस्था की स्थिति पैदा करने के लिये अभियान चलाया जा रहा था। वे लोग जनता के ज़ज़बातों को भड़का रहे थे और इस प्रकार सारे राज्य में अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहे थे जिसे बाद में नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता। हमें उस बारे

में बराबर जानकारी मिलती रही थी और हम यदि कार्यवाही करने में विलंब कर देते तो तमिलनाडु में बहुत बुरी तथा हिन्सापूर्ण स्थिति पैदा हो जाती । इसीलिये हमने उचित समय पर कार्यवाही की । इस कार्यवाही का समर्थन वहां की जनता ने उस समय प्रकट किया जबकि प्रधान मंत्री ने इस राज्य का दौरा किया था । आज भी वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रशंसा हो रही है ।

गुजरात सरकार– तथाकथित जनता मोर्चा सरकार-का पत्तन तो स्वतः ही हुआ है, उसमें हमने कुछ नहीं किया । वस्तुतः जिसे जनता मोर्चा कहा जाता है वह जनता मोर्चा न होकर प्रतिक्रियावादी और फासिस्ट लोगों का एक गठबन्धन था ।

श्री के० एस० चावड़ा : नहीं । यह ग़लत है (व्यवधान) ऐसे कुछ लोग आपके पक्ष में हैं । मुझे देखिये मैं प्रतिक्रियावादी नहीं हूं । . . . (व्यवधान)

श्री एफ० एच० मोहसिन : : तमिलनाडु की सरकार तो 9 वर्ष तक चली परन्तु गुजरात सरकार तो केवल 9 माह तक ही चल पाई । बल्कि मुझे तो यह आश्चर्य है कि यह सरकार 9 मास भी कैसे खींच गई क्योंकि यह तो ऐसे विभिन्न विचारधारा वाले दलों का गठबन्धन था जिनके बीच कोई भी बात समान नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समान सिद्धान्त नहीं है । क्या ऐसे तथा-कथित 'प्रगतिवादी तत्व" अधिक समय तक टिक सकते थे ? जिनमें जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे तत्व भी मौजूद हों ? उनमें परस्पर हर बात पर विचार-भिन्नता थी ।जहां केवल एक मत उनका समान था कि कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए उन सबका समान उद्देश्य केवल यही एक था । बस इसी बात पर उनके बीच गठबन्धन हो गया था । जबकि मैं आपको यह बतादूं कि यदि हम सरकार बनाना चाहते तो अवश्य ही बना लेते परन्तु हमें अपनी नीतियों का बलिदान करना किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं था । जब चिमनभाई पटेल सत्तारूढ़ थे तब आपने उनके ऊपर इतने अधिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे परन्तु फिर सत्ता पाने के लिये आप लोगों ने उसे भागकर गले लगा लिया । इसके पीछे क्या सिद्धान्त अथवा विचारधारा निहित थी । यदि हम उनसे मिलना चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे परन्तु हमें इसके लिये उतावलापन नहीं था ।

अतः जनता मोर्चे में इतने अन्तर्निहित विरोधी तत्व होने से इसका पतन होना ही था । य ' तो यह है कि यह इतने भी कैसे टिका रह गया ।

उन लोगों को 20 आर्थिक सूत्री कार्यक्रम लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है । अथब हमारा विश्वास इन चीजों में बहुत ही दृढ़ है । हम इस राज्य के आर्थिक विकास में विश्वास रखते है । लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति हमारी गहरी आस्था है । मगर वह सरकार अपने ही दोषों के कारण स्वयं ही पतन को प्राप्त हुई । मुख्य मंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया और वहां अब राष्ट्रपति शासन लागू है ।

श्री के० एस० चावड़ा के इस आरोप का मैं दृढ़ता से खण्डन करता हूं कि वहां गुजरात विधायकों को कोई धमकी दी जा रही है ।.यह सरासर ग़लत है । यदि कोई गिरफ्तारी हुई है तो उसका कारण उनके विरुद्ध अव्यवस्था फैलाने या हिन्सात्मक कार्य करने का आरोप होगा । राजनैतिक दृष्टिकोण के लिये किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है ।

सभापति महोदय : अभी अभी श्री चावड़ा ने कहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र के एक सदस्य को कहा गया कि यदि वह दल बदल कर आये तो उसे मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जायेगा ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : हम किसी को भी मंत्री परिषद में शामिल करने का प्रलोभन नहीं देते हैं ; ना ही किसी को कोई धमकी देते हैं, और न ही हमें वहां सरकार बनाने की कोई जल्दी है मैं इन आरोपों का दृढ़ता से खण्डन करता हूं । हम नहीं चाहते कि कोई दल बदल करे । सरकार द्वारा तैयार दल बदल विरोधी विधेयक सभा के सम्मुख है । प्रवर समिति उस पर विचार कर रही है । हम स्वयं चाहते है कि दलबदल की प्रवृत्ति न रहे । परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने विगत विचारधारा में परिवर्तन करता है और अपने पूर्व कृत्यों पर पछताकर नई विचारधारा अपना लेता है तो हम उसे अपने यहां शामिल कर सकते हैं और इसे दलबदल नहीं कहा जा सकता ।

अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में मुझे यह कहना है कि वस्तुतः इतने बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण सयुक्त मोर्चा सरकार ने ही किये थे 500 सब इन्सपैक्टरों का स्थानान्तरण कर दिया गया था ; अब तो उन्हें वापस उनके स्थानों पर भेजा जा रहा है ।

श्री चन्द्रप्पन चाहते थे कि सलाहकार समितियों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जायें । परन्तु इनका स्वरूप एक दिन में तो नहीं बदला जा सकता । सामान्यतः इन समितियों के सम्मुख विधान रखे जाते हैं परन्तु यदि स्थिति असामान्य हो तो फिर अध्यादेश जैसे उपाय करने पड़ते ह । इतने सारे अध्यादेश जारी किये गये हैं वे सभी तत्कालिक स्वरूप के थे । बम्बई मोटर गाड़ी कर विधेयक, गुजरात द्वितीय संशोधन विधेयक आदि आदि ऐसे ही विधेयक थे जो 1-4-76 से अधिनियम बन गये । जैसी आपात स्थिति इस समय है उसमें सभी विधेयकों को सलाहकार समिति के सम्मुख पेश करना संभव नहीं हो पाता । फिर सलाहकार समिति का स्वरूप भी नहीं बदला जा सकता । कुछ भी हो, यदि राष्ट्रपति अपने प्रत्यायोजित प्राधिकार से किसी अधिनियम को पारित करता है तो सभा को सदैव यह अधिकार रहता है कि वह सभा में एक प्रस्ताव द्वारा उसमें संशोधन कर सके । इससे संसद की शक्ति समाप्त तो नहीं हो जाती । विधेयक के खण्ड 3 में व्यवस्था है कि एक निश्चित अवधि तक कोई भी सदस्य संशोधन प्रस्ताव पेश कर सकता है इससे स्पष्ट है कि संसदीय नियंत्रण बना रहता है ।

अतः मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक को स्वीकार कर ले ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :]

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : इस पर कोई भी संशोधन नहीं पेश किया गया है। मैं खण्डों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3 तथा 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) संशोधन विधेयक

KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य की विधान सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने और केरल की विधान सभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये"।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

जब केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1975 द्वारा केरल विधान सभा की कालावधि को छः मास के लिये बढ़ाया गया था तब राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 और 25 जून, 1975 को जारी की गई दो उद्घोषणायें लागू थीं। लोक सभा एवम् तमिलनाडु विधान सभा के आम चुनाव जो कि फरवरी-मार्च, 1976 में होने थे एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिये गये थे। तब से अब स्थिति बदल चुकी है। लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा चुका है, तमिलनाडु विधान सभा भंग की जा चुकी है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू है और उपरोक्त दोनों उद्घोषणायें भी लागू हैं। इन परिस्थितियों में केरल विधान सभा की समाप्ति की अवधि जो कि 21 अप्रैल, 1976 को पूरी होती है के भीतर वहां आम चुनाव कराना सुविधाजनक नहीं है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस सभा की कालावधि को 22 अप्रैल, 1976 से आगे छः मास तक के लिये बढ़ा दिया जाये। इस विधेयक का उद्देश्य यही है।

मैं सिफ़ारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि केरल की विधान सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने और केरल की विधान सभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : केरल विधान सभा की कालावधि बढ़ाने का कारण यह बताया गया है कि क्योंकि तमिलनाडु विधान सभा भंग की जा चुकी है अतः केरल विधान सभा की कालावधि बढ़ाई जानी चाहिये । तमिलनाडु विधान सभा का भंग होना स्वयं में ही लोकतंत्र का अन्त हो जाना था । एक मूर्खता तो उन्होंने यह की । क्या वह एक मास और प्रतीक्षा करके वहां चुनाव नहीं करा सकते थे ताकि लोगों की इच्छा का पता लगाया जा सकता ? उन्होंने ऐसा नहीं किया और विधान सभा भंग कर दी । मंत्री महोदय का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है । कब मिली और वह जानकारी क्या है ? क्या उक्त जानकारी कई वर्ष पूर्व मिली थी या अभी कई दिन पहले मिली है ?

क्या केन्द्र सरकार वहां एक मास तक कानून और व्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकती थी ? अब क्या यह कहना न्यायसंगत है कि क्योंकि तमिलनाडु विधान सभा भंग की जा चुकी है अतः केरल विधान सभा की कालावधि बढ़ा दी जाये । यह क्या तर्क है ।

फिर केरल विधान सभा की कालावधि पहली बार नहीं बढ़ाई जा रही है । बार-बार इसमें वृद्धि की जा रही है । उसे बढ़ाते ही रहेगी क्यों कि आपात स्थिति लागू है और इस आपात स्थिति की अवधि भी निरन्तर बढ़ती ही रहेगी । केरल विधान सभा की अवधि अब दूसरी बार बढ़ाई जा रही है । आपात स्थिति अक्तूबर में समाप्त नहीं होगी और इसलिये पुनः तीसरी बार इस विधान सभा की कालावधि बढ़ाई जायेगी । किसको पता है कि मार्च के बाद आपातस्थिति नहीं बढ़ाई जायेगी । यदि यह विचार है तो फिर आप राज्य विधान मण्डल और संसद को क्यों बना कर रखे हुए हैं । आप चुनाव क्यों नहीं कराते । लोकतंत्र का अर्थ यह है कि कालावधि समाप्त होने पर हमें जनमत जानना चाहिये कि क्या वे उसी सरकार को चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं । अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि केरल विधान सभा के तुरन्त चुनाव कराये जायें ।

सत्तारूढ़ दल के नेता कहते हैं कि विपक्षी दल लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं और इसलिये लोकतंत्र को बचाने के लिये आपात-स्थिति की घोषणा की गई । किन्तु आपता-स्थिति के दौरान ही केरल में पता चल गया है कि लोकतंत्र को समाप्त करने पर कौन तुला हुआ है । जिस तरह से केरल में 'आंसुका' प्रेस सेंसरशिप, सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने सम्बन्धी कानून के विभिन्न उपबन्धों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे पता चलता है कि सरकार के ऐसे हथकंडों के शिकार मुख्यतः वामपंथी और साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल सहित सभी लोकतांत्रिक दल हैं ।

वर्तमान विधान सभा की बढ़ाई हुई 6 महीने की अवधि, जो अब समाप्त होने वाली थी, के दौरान वामपंथी और लोकतांत्रिक दलों का दमन किया गया । साथ ही श्रमिक वर्ग के संगठनों को समाप्त किया गया । प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं द्वारा किये गये ये वादे सर्वथा गलत

हैं कि आपातस्थिति का उपयोग दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्वों और एकाधिकार शक्तियों के विरुद्ध किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि आपात-स्थति का उपयोग एकाधिकारियों तथा बड़े-बड़े जमींदारों की सहायता के लिये किया जा रहा है।

विधेयक का वि ोध करते हुए हम मांग करते हैं कि तत्काल चुनाव कराये जायें और विरोधी दलों तथा अखबारों को केरल में ही नहीं अपितु केन्द्र में भी सत्तारुढ़ दल की आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिये।

जहां तक पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों का सम्बन्ध है, ऐसे कई मामले हैं जिनमें पुलिस द्वारा पीटे जाने पर लोगों की मृत्यु हो गई है। उदाहरण के लिये 30-1-1976 को कोकनू आप्पू का 23 वर्षीय पुत्र कानन निर्दयता से पीटा गया। उस समय वह कोटिकुलम बाजार से आ रहा था। इस तरह निर्दयता से पीटे जाने से वह जैसे ही घर पहुंचा उसकी मृत्यु हो गई। 5-2-76 को पुनः गोपालन नामक एक जौहरी पौओर में गिरफ्तार किया गया और अगले दिन स्थानीय लोगों को पता चला कि वह मर गया है। पुलिस ने उसके सम्बन्धियों को उसका मृत शरीर भी नहीं लेने दिया और उसके शव को मेडिकल कालेज अस्पताल ले गये। इसके बाद इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सुना गया।

सत्तारुढ़ दल उन सहकारी समितियों पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा कर रहा है, जहां विरोधी दलों का प्रभुत्व है। जिन सहकारी समितियों की कार्य अवधि समाप्त हो गई है उनके बारे में सरकार कानून और व्यवस्था के नाम पर यह कह रही है कि चुनाव नहीं कराये जा सकते और वहां प्रशासनिक निकाय स्थापित किये जा रहे हैं और उनमें विरोधी दलों के सदस्य नहीं रखे जा रहे हैं। वहां इसी तरह का काम हो रहा है।

7 वर्ष पूर्व केरल दिनेश बीड़ी सहकारी समिति की स्थापना से वहां प्राइमरी समितियां और निदेशक मंडल गठित नहीं किये गये हैं। सरकार द्वारा मनोनीत वही मंडल अब भी कार्य कर रहा है। चुनाव की मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की है। ऐसी स्थिति कब तक चलती रहेगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि कोई आज केरल जाये और वहां के लोगों से पूछे कि वर्तमान सरकार और उसके पिछले पांच वर्षों के शासन के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि दुश्मन भी इस बात को स्वीकार करेगा कि इस सरकार ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। यह राज्य का दुर्भाग्य रहा है कि 1969 तक वहां कोई स्थिर सरकार नहीं रही। आज केरल में ऐसी सरकार है जो पांच वर्षों तक रह सकती है और वर्तमान आपात-स्थिति के कारण यह अधिक अवधि तक रह सकती है।

हमें केरल में सभी प्रकार की सरकारों का अनुभव है जैसे कांग्रेस, कांग्रेस-सोशलिस्ट सरकार, कांग्रेस मुस्लिम लीग सरकार तथा अन्य प्रकार की सरकारें संयुक्त साम्यवादी दल और साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार आज वहां संयुक्त मोर्चा सरकार है जिसमें कांग्रेस, सी० पी० एल०, मुस्मिल लीग तथा अन्य दल हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल जिसे 1967 में वहां भारी बहुमत मिला था लोगों को दिये गये वचनों को पूरा करने में बुरी तरह असफल रहा।

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

दूसरी ओर वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार का कई उपलब्धियों की श्रेय प्राप्त है। उन्होंने पदच्युत साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि सुधार कानूनों को तो लागू किया ही साथ ही उन्होंने बिना मुआवजा दिये बड़े-बड़े भूस्वामियों से फालतू भूमि ले ली है और उस भूमि को सहकारी समितियों तथा भूमिहीन निर्धन लोगों में बाटा है।

श्री ए० के० गोपालन द्वारा सहकारी समिति के बारे में कुछ कहना दुःख की बात है। उस समिति के चलाने वाले लोगों ने लाखों रुपये का गबन किया है। उन्होंने गबन करने वाले के नाम का उल्लेख किया है।

श्री ए० के० गोपालन : मेरे पास जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति है। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि श्री नीलकण्ठ ने किया है। मेरे पास एक प्रति है। मैं उसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : : हमें हर्ष है कि आज केरल में राजनीतिक स्थिरता है। वहां पर सरकार कई प्रकार के कल्याणकारी उपाय आरम्भ कर रही है। यह बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। सरकार ने कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजूरी और भूमि सुधार जैसे कई प्रगतिशील उपाय लागू किये हैं। इसे लोगों का विश्वास प्राप्त है। आपात-स्थिति के कारण इसकी कालावधि का विस्तार करना होगा।

श्री ए० के० गोपालन : मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखने के लिये एक विशेष प्रक्रिया है। यदि आप चाहते हैं तो इसे या तो मुझे सौंप दे या टेबल आफिस में दे दें। परन्तु इसे तब तक सभा पटल पर रखा नहीं समझा जायेगा जब तक अध्यक्ष महोदय इस बारे में विशिष्ट रूप से अनुमति न दें।

श्री ए० के० गोपालन : में इसे आप को देता हूं।*

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : कहा गया है कि यह विधान देश में लोकतंत्र की हत्या करने के लिये लागू किया जा रहा है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 172 में यह उपबन्ध किया गया है कि जब आपात-स्थिति की उदघोषणा लागू हो तो संसद लोक सभा और राज्य विधान सभा की कालावधि बढ़ा सकती है। अतः यह किया गया है और हम केरल विधान सभा की कालावधि बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक लायें हैं। यद्यपि संविधान में एक समय में एक बार ही कालावधि बढ़ाये जाने का उपबन्ध है, हमें प्रत्येक बात को ध्यान में रखना होता है। किन्तु चूंकि लोक सभा की कालावधि भी बढ़ाई गई है अतः यह महसूस किया गया है कि केरल विधान सभा की अवधि भी 6 महीने के लिये बढ़ा दी जाये। अतः कालावधि में 6 महीने की अवधि का विस्तार किया गया है ताकि यदि इस अवधि के दौरान आपात-स्थिति समाप्त कर दी जाती है तो वहां तुरन्त चुनाव कराये जा सकें। अतः यह सब कुछ लोकतंत्री प्रणाली के कार्यकरण को रोकने के लिये नहीं किया गया।

---

* अध्यक्ष महोदय द्वारा तदनन्तर आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण दस्तावेज को सभा पटल पर रखा नहीं माना गया।

The Speaker subsequently not having accorded the necessary permission the document was not treated as laid down on the Table.

तमिलनाडु का मामला दूसरा है और वहां की विधान सभा भिन्न कारणों से भंग की गई थी। केरल की स्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। तमिलनाडु में तो वहां की सरकार पर आपात स्थिति से भी काफ़ी समय पहले से ऐसे अनेक आरोप लगाये जा रहे थे कि वह सरकार पृथकतावादी शक्तियों को प्रोत्साहित कर रही है। और फ़िर सरकार ने वहां की विधान सभा को भंग करने का निर्णय कर लिया। जबकि केरल में काफ़ी स्थायी प्रशासन रहा है और अच्छा काम कर रहा है। इस समय आपात स्थिति लागू है और प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार बार-बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि आपात स्थिति क्यों लागू की गई इस का उद्देश्य फ़ासिज्मवादी और लोकतंत्र विरोधी शक्तियों को नियंत्रित करना था। श्री गोपालन का यह आरोप गलत है कि आपात स्थिति में वामपंथी तथा लोकतांत्रिक दलों को दबाया जा रहा है। इसका उद्देश्य तो तस्करों, समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाना था और साथ ही फासिष्टवादी तथा लोकतंत्र विरोधी दलों को नियंत्रित करना था जो कि देश में आतंक फ़ैलाने का प्रयत्न कर रहे थे **(व्यवधान)** उन्हें अनुशासित करना जरूरी था। सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि यह एक अस्थायी कदम हैं और अब तो वे लोग जो देश के दुश्मन हैं, कटु आलोचक हैं तथा एकाधिकार स्वामित्व के अधीन चल रहे विश्व के समाचार-पत्र जो हमारी हर प्रकार कटु आलोचना करते रहे हैं कह रहे हैं कि आपात स्थिति के बाद से भारत के लोग खुश हैं; तस्कर लोग नहीं रहे, काला बाजार करने वाले नहीं रहे, और हर व्यक्ति अब काम करने लगा है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और मुझे प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कर्मचारी वर्ग भी बहुत खुश है। अब मुद्रा स्फ़ीति भी रुक गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विषय से हट कर बहुत बोला जा रहा है। विचारार्थ विषय आपात स्थिति नहीं वरन केरल संबंधी यह विधेयक है।

श्री वेदव्रत बरुआ : माननीय सदस्य श्री गोपालन ने हर बात आपात स्थिति के संदर्भ में कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो केवल केरल में हुई घटनाओं का जिक्र किया था आपात स्थिति के बारे में कुछ नहीं। श्री चन्द्रप्पन ने भी आपात स्थिति का जिक्र नहीं किया। मैंने इस लिए आप को टोका है क्योंकि आपने अपने भाषण का आरम्भ ऐसा ही असंगत बातों से किया था।

श्री वेदव्रत बरुआ : श्री गोपालन ने कहा था कि तमिलनाडू के बारे में हमारा निर्णय मूर्खतापूर्ण था तथा वहां हमने लोकतंत्र की हत्या की है। मेरा विचार है कि उनकी बातों को उत्तर दिया जा चुका है। श्री चन्द्रप्पन ने उनके प्रश्न का पर्याप्त रूप में उत्तर दे दिया है।

केरल सरकार की उस राज्य में आज भी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपात स्थिति से पहले भी यह सरकार विधान सभा में एक मत से जीत गई थी क्योंकि सरकार और उसके नेता का वहां सम्मान है।

अब सरकार को अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना है और ये नीतियां केवल केरल में ही नहीं, बल्कि समचे देश में क्रियान्वित की जानी है।

इसके साथ ही मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का पुनः धन्यवाद करता और आशा करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मत्ति से पास कर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की विधान सभा की कालावधि का उपबन्ध करने और केरल की विधान सभा (कालावधि-विस्तार) अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डवार विचार करते हुए, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बन"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2 clause 1 the Enaching Formula and,the title ware addedto the Bill

श्री वेदव्रत बरुआ : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री ए० के० गोपालन : मेरा प्रश्न यह था कि कालावधि में वृद्धि करने की बजाये वहां नये चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर वह दे चुके हैं कि वहां की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : उनका कहना है कि क्योंकि वहां स्थायी सरकार है इसलिये चुनाव की आवश्यकता नहीं। तो फिर संसद के चुनाव क्यों होते रहे हैं जब कि वहां 1952 से केन्द्र में स्थायी सरकार रही है ? क्या किसी राज्य में सरकार का स्थायी वहां होना चुनाव न कराने की अर्हता है ?

फ़िर यदि वहां अच्छी सरकार है तो फिर वह चुनाव के माध्यम से लोगों के सामने आने से क्यों डरती है ? यदि लोग इस सरकार के प्रति अपना समर्थन प्रकट कर देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी ।

अतः मेरा अनुरोध है कि वहां चुनाव कराये जायें अन्यथा इसका सही अर्थ होगा कि वह सरकार लोगों के सम्मुख आने से डरती है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : हमारा दल चुनावो से डरता नहीं है। हमने कहा है कि कालावधि में वृद्धि आपात स्थिति के कारण की गई है । आपात स्थिति के कारण भी सभा में अनेक बार स्पष्ट किये जा चुके हैं । और यह भी स्पष्ट है कि आपात स्थिति से लोगों को कितना लाभ पहुंचा है ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : यह विधेयक 24 दिसम्बर, 1973 को पुरः स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में विभिन्न संगठनो तथा व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली विदेशी अभिदायों तथा अतिथ्यों को सुनियमित करना । इस समय उन पर विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक के प्रावधानों के अतिरिक्त कोई प्रतिबंध नहीं है । वर्तमान कानून के अन्तर्गत विदेशी धन प्राप्त करने वाले न तो उक्त धन के लिये लेखे प्रस्तुत करने को बाध्य हैं और न हीं उन्हें किसी भी विशिष्ट स्थिति में विदेशी धन प्राप्त करने से रोका जा सकता है । यह देखते हुए कि इस विदेशी धन के द्वारा विदेशी एजन्सियां हमारे देश के संगठनों और व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती हैं उन पर दबाव डाल सकती हैं; और इस विदेशी धन की स्वीकृति और उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार यह विधेयक संसद के समक्ष लाई थी ताकि हमारे संसदीय संस्थानों, राजनैतिक संगठनों, शैक्षिक और स्वयंसेवी संस्थाओं एवमं व्यक्तियों को, प्रभुसत्त लोकतांत्रिक गणतंत्र के अवमानो के अनुरूप कार्य करने में, किसी भी दबाव से बचाया जा सके ।

इस विधेयक को रज्य सभा में 19 फ़रवरी, 1974 को एक प्रस्ताव द्वारा तथा लोक सभा में 25 मार्च, 1974 को एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था । श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता वाली इस संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन इस सभा को 6 जनवरी, 1976 को पेश किया था ।

इस विधेयक में तीन प्रकार के प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है । पहला--विदेशी अभिदाय अथवा आतथ्य प्राप्ति पर पूर्ण निषेध; दूसरा केन्द्र की पूर्वानुमति से उन्हें स्वीकार किया जाना, तथा तीसरा, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर केन्द्र सरकार को तत्संबंधी लेखे पेश करने का कानूनी दायित्व । इस प्रकार विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वालों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं । पहली श्रेणी में संगठन तथा व्यक्ति आते हैं जिन्हें काफी प्रभावोन्मुख समझा जाता है तथा जिनमें चुनाव के लिये उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, विधान मंडलों के सदस्य राजनैतिक दल, व्यंग्य चित्रकार; सम्पादक, पत्र-पत्रिकाओं के मालिक, मुद्रक तथा प्रकाशक और पंजीकृत समाचार-पत्र शामिल हैं।

इनके लिये विदेशी अभिदाय प्राप्त करना पूर्णतया निषिद्ध किया गया है। दूसरी श्रेणी में, ऐसे संगठन हैं जो प्रत्यक्षतः स्वयं तो राजनैतिक दल नहीं हैं परन्तु उन का स्वरूप और गतिविधिआं ऐसी हो सकती हैं जो कि राजनैतिक दलों के लिये सहायक हो। विधेयक के अनुसार ऐसे संगठन केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति बिना ऐसे विदेशी अभिदाय स्वीकार न कर सकेंगे। तीसरी श्रेणी में ऐसे संगठन और संस्थायें आती हैं जिनका स्वरूप निश्चित रूप में सांस्कृतिक, शैक्षिक धार्मिक अथवा सामाजिक है। उन्हें एक नियमित अवधि के भीतर अपने विदेशी अभिदाय का हिसाब-किताब सरकार को देना होगा और यह बताना होगा किस प्रकार और किन-किन मदों पर उक्त धन खर्च हुआ। यदि केन्द्र सरकार को यह महसूस हुआ कि उक्त धन का उपयोग भारत की अखण्डता, सार्वजनिक हितों अथवा किसी विधान मंडल के चुनावों की निष्पक्षता के विरुद्ध, या किसी मित्र देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा किसी धार्मिक वर्णवादी, भाषायी अथवा क्षेत्रीय दल, जातियो अथवा समुदायों के विरुद्ध उपयोग किया जाना है तो सरकार ने उसके लिये इस विधेयक में दण्ड की भी व्यवस्था की है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक 1973, या संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रूप में, विचार किया जाये।

मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि संसदीय संस्थाओं, राजनीतिक संगमों और अकादमिक तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्यशील विभिन्न व्यक्तियों का सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य का स्वीकार या उपयोग किया जाना विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि संसदीय संस्थाओ, राजनीतिक संगमों और अकादमिक तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों तथा राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्यशील विभिन्न व्यक्तियों का सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ व्यक्तियों या सगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य का स्वीकार या उपयोग किया जाना विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास-किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : भारत में विदेशी धन के प्रभाव से चिन्तित होकर वर्ष 1973 में यह विधेयक पेश किया गया था। आज इस पर चर्चा करने के समय तक अनेक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन हो चुके हैं। विशेषकर अमरीका की बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अन्य देशों को आर्थिक सहायता, पूंजी निवेश तथा अन्य माध्यमों से, अमरीकी सरकार के समर्थन से, विभिन्न देशों के लोकतंत्र और उनकी प्रभुसत्ता पर आघात करने और उनकी सरकारों पर-तरह तरह की नीति संबंधी दबाव डालने के षड़यंत्रों का भण्डाफ़ोड़ हो चुका है।

इन तथ्यों से सारे विश्व अवगत है और इससे एक चौंका देने वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिये विदेशी धन की भूमिका के प्रति दोनों ही सभाओं के सदस्यों ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है। परन्तु सारे रूप में यह विधेयक तैयार किया गया है वह हमारे राजनैतिक जीवन को प्रभावित करने, सरकारी अधिकारियों की खरीदना होने, सरकार की नीतियों को अपने स्वार्थानुसार बदलने हेतु दबाव डालने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

यद्यपि इस विधेयक की पुरः स्थापना के समय से हमारी मांग रही है कि हमें विदेशी धन के आगमन और उसके दुरुपयोग संबंधी तथ्यो का विवरण दिया जाये और यह भी बताया जाये कि किस किस रूप में कहां कहां इसका प्रभाव पड़ा है; परन्तु हमारी मद मांग पूरी नहीं की गई। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक हित में यह बताना ठीक नहीं होगा हालांकि उसने कई मामलों में जांच भी की जा रही है। अतः विचार करते समय हमारे सामने कोई तथ्य मौजूद नहीं है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि किन-किन धार्मिक अथवा राजनैतिक संगठनों ने विदेशी पैसे का विशेषकर अमरीकी धन का उपयोग किया होगा। पता नहीं सरकार इन तथ्यो को क्यों छिपाना चाहती है इससे सरकार की केवल निर्बलता ही जाहिर होती है।

हमें पता चला है कि विदेशी धन सरकार के विभिन्न विभागों में भी घुस आया है। लोक लेखा समिति के एक प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र है कि यहां तक अमरीकी रक्षा विभाग ने भी मच्छरों के प्रजनन सम्बन्धी अनुसंधान कार्य की ओट में किस प्रकार यहां के अधिकारियों से सभी प्रकार के आंकड़े प्राप्त कर लिये। हमारे देश में विदेशी धन का घुस आना अत्यन्त गम्भीर और खतरनाक बात है। विधेयक पुरःस्थापित करते समय सरकार ने विदेशी धन के हमारे विभिन्न संगठनों पर तथा व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की थी और यह बताया था कि सारे देश में इस पर गहरी चिन्ता व्याप्त है। और इसलिये इस धन की प्राप्ति को निषिद्ध, नियंत्रित तथा सुनियोजित किया जाना चाहिये। परन्तु सरकार ने अपनी चिन्ता के प्रमाण में ठोस तथ्य सभा को नहीं बताये और वर्ष 1973 से अब तक तो न जाने कितना और विदेशी धन हमारे देश में घुस चुका होगा और न जाने उसने कहां-कहां और किस-किस को प्रभावित किया होगा। और अब यह विधेयक भी इस तरह का है। यह विदेशी धन को रोकने की बजाये उस धन को नियमित करने की शक्ति रखता है। इसके अन्तर्गत नौकरशाही अर्थात् सरकारी अधिकारियों को ही इस पर अंकुश रखने के अधिकार दिये गये हैं उन प्रतिनिधि शक्तियों को विश्वास में नहीं लिया गया है जो वास्तव में ही इस धन पर रोक लगाना चाहती हैं। इस सम्बन्ध में संसद में सभी दलों के प्रतिनिधियों से युक्त एक आयोग बनाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है और न ही किसी सलाहकार निकाय का सुझाव माना गया है। केवल सरकारी अधिकारियों को समूचे प्राधिकार दिये गये जो स्वयं भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं। कितनी अधिक मात्रा में अमरीकी बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी धन दिया जा रहा है यह बात लोकहीड काण्ड से ही स्वतः स्पष्ट हो जाती है। उसमें एक व्यक्ति को 70 लाख डालर दिये गये। अमरीकी कम्पनियो के साथ विशेष रियायत करने के लिये इटली के राजनैतिक नेताओं और यहां तक कि वहां के मंत्रियों को भी भारी घूस दी गई। इस प्रकार ही विभिन्न देशों के सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, समाचार पत्रों, सांस्कृतिक संगठनों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिये भारी मात्रा

में विदेशी धन का उपयोग किया जाता है । और साथ ही इसका विस्तार भी बहुत ही व्यापक है । अपने देश की प्रभुसत्ता और अखंडता चाहने वाला कोई भी व्यक्ति इससे अत्यन्त ही चिन्तित होगा परन्तु यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये बिल्कुल अपर्याप्त है ।

इस विधेयक की क्रियान्विति के लिये जो राशि रखी गई है वह भी सर्वथा अपर्याप्त है । इसके अन्तर्गत, विधेयक के प्रावधानों की क्रियान्विति पर निगाह रखने हेतु दो या तीन अधिकारियों के केवल एक छोटे से सैल बनाने की व्यवस्था है जब कि यह विदेशी धन चारों दिशाओं से हर क्षेत्र में घुसता जा रहा है । सरकार इस कार्य पर केवल 80,000 रुपये वार्षिक व्यय करना चाहती है । इससे क्या काम होगा । इससे स्पष्ट है कि सरकार इस पर रोक के लिये गम्भीरता से काम नहीं करना चाहती है । वस्तुतः सत्तारूढ़ दल स्वयं बहुराष्ट्रीय निगम से प्यार करता है .... संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक दिल्ली में हो रही है और उसने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये भारत में भारी पूंजी निवेश हेतु सभी द्वार खोल दिये हैं । ऊपर से यह कहना कि हम विदेशी धन पर अंकुश करना चाहते हैं । क्या यह दोगली नीति नहीं है ? फिर धारा 8 के अधीन सामान्य व्यापार के नाम में इन सभी बहुराष्ट्रीय निगमों को मुक्त रखा गया है । धारा 8 को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि जो विदेशी तत्व हमारे लोकतंत्र और हमारी प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाना चाहते हैं उन्हें ही इस विधेयक के बन्धन से मुक्त रखा जा रहा है ।

बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अमरीकी धन की घुस पैठ पर आज अनेक देशों में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । इस खतरे का अध्ययन करने के लिये अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाये गये हैं । एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी पूंजी अल्प विकसित देशों में घुसती चली जा रही है । भारत, मैक्सिको, अर्जेन्टायना, ब्राज़ील और स्पेन जैसे अर्ध-औद्योगिक देशों में उत्पादन क्षेत्र में निजी पूंजी का 60 प्रतिशत निवेश विदेशी है । भारत तो पहले ही अमरीकी और गैर-सरकारी पूंजी निवेश का लक्ष्य बन चुका है । दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग तथा उप-समितियों की स्थापना तो इसमें और भी अधिक सहायक सिद्ध होगी ।

इस प्रकार ये निगम सरकार की नीतियों पर अपना आर्थिक शिकंजा कसेंगे । इसी कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था, प्रभुसत्ता और लोकतंत्र को खतरा बढ़ता जा रहा है । सरकार इसकी पूरी गुंजाइश पैदा करती जा रही है । विभिन्न सरकारी विभागों और प्रशासन को इसके भीषण प्रभाव की ओर अग्रसर किया जा रहा है ।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्वयं यह मानती है कि वर्ष 1967 के चुनाव में तथा इसके बाद के भी चुनावों में विदेशी धन का प्रभाव रहा था । परन्तु सरकार ने तत्सम्बन्धी ठोस तथ्य नहीं बताये ।

अतः यह विधेयक अपेक्षित रूप में प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा ।

मैं ऐसे अनेक संगठनों के नाम दे सकता हूं जो विदेशी शक्तियों की एजेन्सियों के रूप में काम कर रहे हैं । एक गुप्त नोट (बैक ग्राउन्ड नोट) के अनुसार जो संगठन भारत में राजनैतिक और सामाजिक संस्थाओं को रकम दे रहे हैं उनमें एशिया फाऊंडेशन फोर्ड फाऊंडेशन राकफ़ेलर फाऊंडेशन, यू० एस०आई०एस०, युसेड, यू०एस०ई०एफ०आई०, अमरीकेंद्रल जांच ब्यूरो (एफ़०बी० आई०) और अमरीकी सरकार के अनेक अन्य विभागों की एजेन्सियां शामिल हैं । पी०एल०

480 के अधीन धन का उपयोग भी अमरीकी राजनैतिक तत्व भारत में राजनैतिक गतिविधियां को प्रभावित कर रहा है । भारत में जो संस्थान अमरीकी गुप्तचर एजेन्सी से धन ले रहे हैं उनमें कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम, इन्टरनेशनल यूथ सैन्टर, दिल्ली राज्य वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के नाम लिये गये हैं । इसी प्रकार एशिया फाऊंडेशन भी भारत में अनेक संस्थानों को वित्त दे रहा है जिनमें भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, गांधी अध्ययन संस्थान आदि के नाम लिये गये हैं । अनेक मिशनरी और धार्मिक संस्थायें भी विदेशों से धन प्राप्त कर रही हैं । 1956 में केरल साम्यवादी सरकार का तख्ता इसी धन की सहायता से उलटा गया था । उस समय हमारी प्रधान मंत्री—तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में किये गये आन्दोलन में भी विदेशी धन का खूब उपयोग हुआ था ।

ये कुछ तथ्य हैं और यह रोग बढ़ता ही जा रहा है । फुलब्राइन समिति ने रहस्योद्घाटन किया है कि हिमालयान बोर्डर कन्ट्रीज प्रोजेक्ट, जिसे कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय ने प्रायोजित किया था वास्तव में सी०आई०ए० की एक परयोजना है जिसे अमरीकी रक्षा विभाग ने प्रायोजित किया है ।

दूतावासों द्वारा हजारों डालर धर्मार्थ सहायता कार्यों के लिये वितरित किये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : : आप विधेयक की कमियां बतायें ।

श्री समर मुखर्जी : इन उपायों में जन सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा सभी संगठनों में सतर्कता बरती जानी चाहिए । सन्देहास्पद मामलों में खातों की जांच सरकार द्वारा विशेष रूप से गृह मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए ।

इस विधेयक द्वारा संस्थाओं को अनुमति लेने तथा जानकारी देने के निदेश दिये गये हैं । संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, पत्रकारों, निगमों के कर्मचारियों, द्वारा तथा कुछ तरह की संस्थाओं द्वारा धन लिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । परन्तु मात्र प्रतिबन्ध से काम नहीं बनेगा । यह लोग कई प्रकार के ढंग अपनाते हैं । गृह मंत्रालय तथ्य छिपाने की चेष्टा करता है ।

हमें भय है कि इस विधेयक से नौकरशाही को शक्ति मिलेगी तथा शासक दल को धन लेने की खुली छूट मिल जायेगी ।

देश में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एकता समितियां अथवा संगठन हैं । इन संस्थाओं के धन से दमन और शोषण के विरुद्ध कर्मचारी वर्ग के संगठनों को बल मिलेगा । इसे बन्द न किया जाये । ऐसी आशंका है कि नौकरशाही इसमें हस्तक्षेप करेगी तथा एकता के प्रयत्नों को रोकेगी । इसलिये हम इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते यद्यपि विधेयक का उद्देश्य समर्थन करने योग्य है ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । इसके द्वारा विदेशी धन लाने पर रोक लगाई गई है तथा सरकार से अनुमति लेकर कुछ धन लाने की अनुमति दी गई है । श्री समर मुखर्जी ने कहा है कि एकता के लिये आने वाले धन को न रोका जाये । यदि एकता कार्य वास्तविक हैं तथा सरकार से इस बारे में पूर्वानुमति ली जाती है तो सरकार कभी भी एकता के प्रयत्नों में बाधा नहीं बनेगी । पहले काफी धन ऐसा आता था जिसकी रिजर्व बैंक को

भी सूचना नहीं होती थी । इस प्रक्रिया द्वारा हमारे लोकतन्त्र को समाप्त करने के उद्देश्य से आने वाले विदेशी धन पर रोक लगेगी व्यक्तिगत रूप से 1000 रुपये तक कोई रोक नहीं है कि बहुराष्ट्रीय संगठन देश में आतंक मचाये हुए हैं ।

विदेशों में हमारे अधिकांश लोग निष्ठावान हैं । इस वर्ष के बजट में विदेशों से बहुत से रुपए के भारत लाने की अनुमति दी गई है । विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत आकर धन लगाने की स्तन्त्रता दी गई है ।

हाल ही में श्री जार्ज फर्नान्डीज को विदेशों से हड़ताल चलाने के लिये बहुत सा धन प्राप्त हुआ था । गृह मंत्रालय द्वारा तथ्य छिपाने की बात कही गई है । मैं स्वयं अनुभव करती हूं कि गृह मंत्रालय को समिति के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखने चाहिए जिनसे सार्वजनिक हितों को हानि पहुंच सकती हो ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पर्याप्त नहीं है परन्तु फिर भी इस विधेयक से राजनीतिक दलों अथवा अन्य संगठनों द्वारा किये जा रहे प्रचार पर बड़ी सीमा तक अंकुश लग जायेगा । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तिल्लीचेरी) : इस विधेयक के उद्देश्यों को समर्थन देना कठिन नहीं है । प्रवर समिति के महत्व पूर्ण सदस्यों ने अपनी साक्ष्य उस कानून की सरकार द्वारा क्रियान्वित पर सन्देह व्यक्त किया है ।

जब तक बहुराष्ट्रीय कठनाइयां विद्यमान है तथा सरकार उनका सहयोग चाहती रहेगी तब तक हमारे लोकतन्त्र को छिन्न-भिन्न करने की सम्भावना बनी रहेगी । विधेयक तैयार करने वालों ने इस तथ्य पर कम ध्यान दिया है ।

हमारे लोकतंत्र का विनाश करने वाली शक्तियां रिजर्व बैंक अथवा सरकार की अनुमति से कार्य नहीं करेंगी अपितु अन्य माध्यमों से अपना कार्य करेंगी ।

प्रश्न यह है कि इस विधेयक से हमें किस प्रकार से मदद मिलेगी । वह तो हमें केवल सतर्क रहने से ही मिल सकती है । गृह मंत्रालय की सर्तकता से नहीं जनता की सर्तकता से सहायता मिल सकती है । लोगों में देश भक्ति की भावना भरी जाये जिस से वे साम्राज्यवाद की प्रत्येक चुनौती का सामना करने की तैयार रहेंगे ।

यह विद्यमान राष्ट्र विरोधी दलों और साम्राज्यवाद के एजेंटो की गतिविधियों पर रोक लगाने वाला होना चाहिये ; किन्तु खण्ड 4 में अनेक प्रकार के लोगों जैसे प्रत्याशियों संवाद दाताओं, सरकारी कर्मचारियों, विधान मंडल सदस्यों, राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों पर प्रतिबन्ध लगाना है ।

जब वे विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हैं तो सी० आई० ए० और के०जी०बी० को एक साथ रखते हैं । सी० आई० ए० साम्राज्यवादी शक्तियों की एजेंसी है तथा जिन देशों की पद्धतियों को वे पसन्द नहीं करते उन्हें तोड़ने-फ़ोड़ने की चेष्टा करते हैं । सोवियत संघ इस प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करता ।

उदाहरणार्थ जब देश में जे० पी० के आन्दोलन से खतरा पैदा हुआ तब कांग्रेस तथा साम्यवादी पार्टियों ने फ़ासिस्ट विरोधी शक्तियों को आमन्त्रित किया। उन शक्तियों ने कहा कि जो बात भारत में घटी वह बहुत खतरनाक थी। बंगला देश के संकट के समय जब इस देश को अलग-थलग रखा जा रहा था तब भी समाजवादी शक्तियों ने ही हमारा साथ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यही कहना चाहते हैं कि जहां सरकार चाहे अनुमति दे सके ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मित्रों और शत्रुओं के बीच में भेद किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में इस पर कोई रोक नहीं है।

श्री एफ़० एच० मोहसिन : हम एक राजनीतिक दल तथा दूसरे राजनीतिक दल में भेद नहीं कर सकते।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं आपकी कानूनी कठिनाई को समझता हूं।

श्री एफ़० एच० मोहसिन : यह कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : परन्तु क्या आप कांग्रेस तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक ही स्तर पर रखेंगे? इस प्रकार के विचारों वाले लोगों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं पर पूर्ण रोक लगी हुई है। ऐसे मामलों में अनुमति का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सत्कार देने और स्वीकार करने का है।

विधेयक के खण्ड 2 में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को छूट दी गई है। विश्व बैंक अमरीकी हितों में अन्य देशों के मामले में हस्तक्षेप करता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : विश्व बैंक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अमरीका विश्व बैंक को धन देता है तथा अपनी नीति चलाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या आप चाहते हैं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों पर रोक लगा दी जाये ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विधेयक में ऐसे संगठनों को छूट नहीं दी जानी चाहिए। बहु-राष्ट्रीय संगठन दोहरी नीति अपनाते हैं। विधेयक वैसे अच्छा है। प्रवर समिति में भी मंशा व्यक्त की गई थी कि अधिकारीतन्त्र इसका दुरुपयोग करेगा। विधेयक के खण्ड 10 और 14 प्रायः पुराने ही हैं। श्री मोहसिन तो केवल हस्ताक्षर करेंगे और इसका संचालन अधिकारीतन्त्र करेगा। जब हमने आशंका व्यक्त की कि शासक दल इसका दुरुपयोग करेगा तब श्री मोहसिन ने कहा कि कल को विरोधी पक्ष भी शासक दल बन सकता है। सरकार ने कहा है कि उच्च अधिकारी ही तलाशी लेंगे। जब विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया था तो कहा गया था कि अधिकारी लोग इसे संचालित नहीं करगे परन्तु अब यह बताया गया है कि उच्च अधिकारी इसका संचालन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका अभिप्राय समझ नहीं सका।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार को भले बुरे में भेद करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे सामान्यतः सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जा सकता है। आज के मित्र कल के शत्रु हो सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अन्तर्राष्ट्रीय नीति में आज यह बात नहीं है कि आज के मित्र कल के शत्रु हों।

साम्राज्यवादी शक्तियां विकासशील देशों की दुश्मन हैं। क्या सरकार उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके उनसे प्रजातन्त्र की रक्षा करेगी ? सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से उत्पन्न खतरे को पूरी तरह नहीं भांपा है। सरकार एक ऐसा विधेयक लायी है, जिससे वह समझती है कि प्रत्येक राजनीतिक बुराई समाप्त की जा सकती है। यह असम्भव है; अन्यथा विधेयक के उद्देश्य अच्छे हैं।

श्री धरणीधर दास (मंगलदायी) : आपात स्थिति ने हमारी आंख खोल दी हैं और हमें यह पता चल गया है कि देश के शत्रु कौन हैं और मित्र कौन हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि विदेशी धन तथा विदेशी एजसियों से हमारा कितना अहित हो रहा है।

विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करते हुए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देश से उग्र दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों एवं फ़ासिस्ट शक्तियों को समाप्त करने के लिए जनमत एकत्र किया जाए।

इस विधेयक के पास करने मात्र से विदेशी धन और भारत में काम कर रही विदेशी एजसियों का खतरा समाप्त नहीं होता। गृह मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में जनता की विचारधारा को बदलना होगा ताकि हम प्रतिक्रियावादी और फ़ासिस्ट शक्तियों का सामना सफ़लता से कर सकें।

सी० आई० ए० विकासशील देशों के लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है वरन् यह शान्तिप्रिय अमरीकियों के लिए भी चिन्ता का विषय है। सी० आई० ए० के एजेन्ट अनेक संगठनों में काम कर रहे हैं। एम० आर० ए० उनमें से एक है।

आसाम में हुए आन्दोलनो के पीछे अमरीकी दूतावास के अधिकारियों की और एम० आर० ए० के नेताओं का हाथ था। प्रत्येक आन्दोलन से पहले अमरीकी दूतावास के अधिकारी और एम० आर० ए० के नेता वहां गए थे। सी० आई० ए० के एजेन्टों का पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि वे अनेक संगठनों के मार्फ़त काम करते हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आपात स्थिति के दौरान हमने उग्र दक्षिण-पंथियों को निपटने का निश्चय किया है सदन में तथा समाचार पत्रों में भी यह कहा गया है कि हमारे देश में अराजकता फ़ैलाने वाली साम्प्रदायिक संस्थाओं के पास काफ़ी धन है। इन शक्तियों पर रोक लगाना आवश्यक है। ऐसा करने से इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की रही है। अतः यह बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि इस विधेयक से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शान्ति और प्रगति के हमारे कार्यों पर रोक लगेगी। हमें उन दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का डट कर सामना करना चाहिए जिन्हें विदेशों से धन मिलता है। यही विधेयक का उद्देश्य और इस उद्देश्य की पूर्ति का रास्ता आपात स्थिति ने साफ़ कर दिया है। इसे स्पष्ट किया जा चुका है ताकि विदेशी धन हमारी प्रभुसता, समाजवाद की आर्थिक नीति को नष्ट न कर सके। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में जनमत एकत्र करे।

श्री वी० बी० नायक (कनारा) : भारतीय संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकृति दी गई थी। विधेयक पेश करने का उद्देश्य सर्वोच्च प्रजातांत्रिक गणराज्य तथा तत्सम्बन्धी मामलों

के महत्व को सुरक्षित बनाये रखना है। हमें चाहिये था कि देश में काम कर रही उन संस्थाओं और राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियों का पता लगा लें जो विदेशी धन इकट्ठा करते रहे हैं। यह कार्य गृह मंत्रालय का खुफ़िया विभाग अच्छी तरह कर सकता है। जो गया सो गया की नीति से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। यह न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। हमें दोषियों का पता लगाकर उन को दंड देना चाहिये। इससे सरकार तथा सतारुढ दल की प्रतिष्ठा बढेगी।

मैं ग्रामीण विकास स्वंयसेवी एजेन्सियों के संघ द्वारा एकत्र किये गये धन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। समाचार पत्रों में कहा गया है कि इस संघ ने 50 लाख रुपये एकत्र किये हैं। पर हो सकता है यह तथ्य न हो।

हाल में बाल योगेशवर का सनसनीखेज मामला भी प्रकाश में आया है। यह चार या पांच वर्ष में ही अत्याधिक अमीर हो गये। किशोरावस्था के बावजूद उन्होंने ऐसी महिला से विवाह किया जो उन से दस वर्ष अधिक उम्र की थी और बाद में पता चला कि यह महिला सी० आई० ए० की एजेन्ट थी। उन्होंने स्वागत समारोह आदि पर काफ़ी धन व्यय किया। यह धन कहां से आया सरकार ऐसे झूठे साधुओं, स्वामियों, गुरुओं को क्यों नहीं पकडती जो खुद तो वातानुकूलित कारों और हवाई जहाजों में घूमते हैं और देश की नकली सभ्यता को विदेशी समाज के हाथों बेच रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने सही कहा है कि हम मित्र और शत्रु को एक ही हमारे विधान के अन्तर्गत इस देश में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की विभिन्न एजेन्सियों में अन्तर करना बड़ा कठिन है। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

क्या देश में रोटरी, लाइन्स जे० सी० जैसे कई ऐसे क्लब देश के विशिष्ट वर्ग की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे ? क्या सरकार ने उन के हिसाब-किताब और कार्य कलापों की जांच की है ?

सरकार ने लोगों को डालर रुबल अथवा अन्य किसी विदेशी मुद्रा को लेने पर रोक लगा रखी है पर उन के एजेन्टों या दलालों आदि को उन्हें धन पहुंचाने से कैसे रोका जा सकता है। इसलिये इस विधान में कई कमियां है।

हम ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विदेश में बनाये गये किसी भी ऐसे निगम को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जायेगा जिस की शाखा या कार्य स्थल दो से अधिक देशों में होंगी। मैंने यह सुझाव दिया था कि हमें बहुराष्ट्रीय निगमों का पंजीकरण किया जाना चाहिये। यदि कोई निगम भारत में पंजीकृत है परन्तु दो से अधिक देशों में उस की शाखायें या कार्य-स्थल है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। इस लिये एक संशोधन भी पेश किया गया था। यह विधान एक अच्छा कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) · This is a bold step in the part of the Government. This measure is intended to check the havoc which the foreign money has played in many countries.

It is the declared policy of the Capitalist Countries to influence politicians, scholars and journalists of the developing countries by their money power so that the people of these countries can be made to subscribe their ideology. Government of developing country must ollow them. They stop aid to those countries which do not do so. These rich Countries

[Shri Jagannath Mishra]

have tried to gain a foothold in these countries also by giving large sums of money to various organisations. I am happy that under the dynamic leadership of Shrimati Indira Gandhi, our country's economy has reached a stage where it does not require any foreign assistance.

I am happy that this Bill will be applied to all persons and parties irrespective of their ideologies. So far as the object ives of this Bill are concerned every body has admitted that it was essential and they supported it. It must be ensured that foreign money may not play havov in our country. I feel that it should be implemented strictly.

This Bill was introduced in this House on 29th December, 1973. Later on a Joint Select Committee went through it. It has now been presented before the House as has been reported by the joint select committee. So there is not much scope for criticising this Bill.

Multi-national Corporations have been allowed to function under this Bill. I would suggest that Government should set up a machinery by which the misuse of foreign money by these corporations can be checked.

Officials have been vested with vide powers under this Bill. Only officials of the rank of Secretary or Joint Secretary should be empowered to sanction acceptance of foreign money or to give permission to go abroad.

Persons taking foreign assistance are divided into three categories under this Bill. Firstly, there are persons, who are not authorised to accept foreign money. Secondly, there are persons who can receive foreign money on giving prior intimation. Thirdly, there are persons who are not required to give prior intimation but are required to furnish details in regard to the manner in which they spend the foreign money.

Regarding hospitality under cluse 8(e) of the Bill it has been provided that one can receive upto Rs. 8,000/- without sanction.

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में कहा गया है कि आप अपने रिश्तेदार से 8,000 रुपये तक की राशि विदेश से ले सकते हैं, विदेश में आथित्य स्वीकार नहीं कर सकते।

Shri Jagannath Mishra : Under the provisions of this Bill the trade unions will not be allowed to receive foreign money. This is a welcome feature because we do not want strokes; we want industrial peace. Foreign money should not be allowed to disturb the industrial peace of this country.

[**श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए**
SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair.*]

It is feared that money will be received for good cause but will be misused. It has been provided in clause 6 of the Bill that all things can be seized. There is need to be very cautious.

Thirdly, it is apprehended that the literature and books are received free of cost but their agents sell them at higher price and thus misuse the money. The hon. Minister should look into this genuine complaint.

Certain conspirators received money from abroad in some sensitive parts of the country such as Nagaland, Mizoram etc. It is our duty to stop it.

C.I.A. agents are not only spreading unrest in the country, but spend money for committing murders. They have formed their monopoly. We cannot overlook the activities of C.I.A. We should keep our eyes on its activities so that it may not be able to do any misdeeds.

This Bill has been brought for a noble purpose. Therefore, I support it.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : यह विधेयक बिल्कुल ठीक समय पर लाया गया है। देश में विदेशी धन पर नियंत्रण करने के लिये यह विधेयक लाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत विदेशी प्रभुत्व के प्रभाव में जकड़ा हुआ है और विदेशी धन देश में आ रहा है। इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि पिछले 27 वर्षों में कितने हजार डालर हमारे देश में आये। उन्होंने हर उस राजनीतिक व्यक्ति को भ्रष्ट बनाया है जिसने अमरीका या रूस की

ओर देखा है। ये देश विदेशी दलों, संसदीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों के प्रोफ़ेसरों, विद्यार्थियों और कुशाग्र बुद्धि वाले उन विद्यार्थियों को भी भ्रष्ट बना रहे हैं जो किसी न किसी किस्म की छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं।

आजकल कई गुरुओं और सन्तों का प्रादुर्भाव हो गया है। सरकार को उनके क्रियाकलापों की जांच करनी चाहिये। आर्थिक और राहत संगठनों के माध्यम से अमरीकी धन को देश में नहीं आने देना चाहिये। इसी प्रकार विदेशी विद्वानों और प्रोफेसरों को भी इस देश में जो कुछ उन्हें अच्छा लगा है, इस बारे में उपदेश देने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। उन्हें इस देशकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिये।

बहुराष्ट्रीय निगम अपनी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से कई देशों में काम कर रहे हैं। सरकार को उनकी गतिविधियों पर निगाह रखनी चाहिये।

कई अधिकारी विदेशी धन को देश में आने की अनुमति देने के लिये जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कई मामलों में जांच की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट भारत सरकार के पास है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक के नाम पर वास्तविक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, मैत्री संगठनों और राजनीतिक दलों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जायेगा।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I am happy that after long and persistent demand from all sections of the House that foreign money should not be allowed to pollute the atmosphere of this country, Government have brought forward this measure. Before coming to this House this Bill has gone to the Select Committee which has made certain changes and has improved the Bill considerably.

It has been said that multinational corporations have been left out from the purview of this Bill. It is correct. India cannot afford to isolate itself from all countries of the world. Moreover the real mischief is done by the foreign embassies. Nobody knows how much money they pass on to their agents for dubious purposes. But under the present system it is very difficult to put a check on it.

The main objective of the Bill is that foreign money should not be allowed to pollute the political life of our county. Henceforth foreign funds will not be allowed to enter the country without the permission of the Government and those parties or individuals who receive such funds will be required to furnish details as to how these funds have been spent and they will also have to maintain proper accouns for these funds.

Many trade unions have been receiving funds from abroad. Many strikes in the past have been organised from the funds receied from foreign countries. This can never be termed as patriotic. In fact this is the reason that our trade union movement and our labour movement have always depended on politicians as their leaders. Most of these leaders receive huge funds from abroad, and spend this amount on their personal use. The needs of labour are ignored and their interests rare not taken care of. I, therefore, hope that the political life of this country will not be allowed to be polluted after the enactment of this measure.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I congratulate the Minister for bringing forward this long over-due measure. These foreign agencies have created a great crisis in our social life. Government should further collect detailed information in regard to these institutions which are affiliated to an organisation known as AVORD—Association of Voluntary Organisation for Rural Development. An explicit law should be enacted to prohibit any Voluntary Organistion from receiving directly any foreign money. It is understood that Several Government Officials are in collusion with the aforesaid Organisation. No institution

4008 L.S.—8

[Shri Shashi Bhushan]

should be accorded permission to receive foreign money. Similarly no trade union movement should be allowed to be affiliated with any foreign organisation. It is not known as to why the aforesaid organisation's office in our country has not been closed so far.

These elements have direct connections with the Maoists who are enemies of China as well as the neighbouring States. No Trade Union or voluntary organisation should be allowed to receive money from foreign sources. Voluntary organisations should have no affiliation with the foreign agencies. I do not know why they have been allowed to function uptil now.

श्री बी० भ्रार० शुक्ल (बहराइच) : यह विधेयक समयानुकूल है जिसका स्वागत किया जाना चाहिये । यह विदेशी अभिदाय की विभिन्न श्रेणियों जैसे राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला अभिदाय, चुनाव के लिए नामांकित उम्मीदवार को अभिदाय, सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक दलों अथवा संघों और उनके व्यक्तियों को छात्रवृत्तियों के रूप में दिये जाने वाले अभिदाय के सम्बन्ध में है ।

वर्ष 1967 से संसद के भीतर और बाहर इस बात पर चिता व्यक्त की जा रही है कि विदेशी मुद्रा देश के लिए गम्भीर समस्या पैदा कर रही है । कुछ हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को उलटने और अपने लिए राजनीतिक आधार तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । एक सार्वभौम देश के नागरिक को किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । देश में सब कुछ केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिये । इस संदर्भ में विधेयक के उपबन्ध में कहा गया है कि कुछ वर्ग के मामले में विदेशी अभिदाय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विशेषकर कार्मिक संघ हमारे देश के अपने सहयोगी तथा भाई बंदी वाले कार्मिक सघों की सहायता करते हैं और अधिकांश रूप से इन देशों के श्रमिक वर्ग इन संगठनों का समर्थन करते हैं । यदि इस सम्बन्ध में विदेशी अभिदाय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा तो ऐसे कार्मिक संघों की गतिविधियां रुक जायेंगी । परन्तु इस देश में विदेशी अभिदाय के बिना भी कार्मिक संघों की गतिविधियों ईमानदारी और उचित रूप से जारी रखी जा सकती हैं ।

यह भी कहा गया है कि नौकरशाही इस अधिनियम के कार्यान्वियन में रुकावट डालेगी । पर मंत्री महोदय विभागाध्यक्ष भी होते हैं जिनमें अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । मंत्री महोदय सदन के प्रति जबावदेह हैं । तो इस प्रकार नौकरशाही को नियंत्रित किया जा सकता है ।

यह भी बात आयी कि कोई भी नागरिक 8,000 रुपये तक की राशि विदेश स्रोत से प्राप्त कर सकता है । इसके लिए उसे सरकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं । इस व्यवस्था द्वारा अधिनियम के कार्यान्वियन में बचाव का रास्ता छोड़ा गया है । परन्तु यह राशि उस स्थिति में बिना अनुमति लिये प्राप्त की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति अपने भारत निवासी संबंधी को उपहार के रूप में भेजता है । यदि उपहार का मूल्य 8,000 रुपये से ऊपर नहीं है, तो सरकार से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं ।

बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में चिता व्यक्त की गई है । कहा गया है कि ये निगम तबाही मचा रहे हैं और विश्व भर में जो सरकार उन्हें पसंद नहीं होती उसे वे डिगाने का प्रयत्न करते

हैं। मैं आलोचकों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 'विदेशी स्रोत' के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय निगम भी आते हैं। अतः सभी पूर्वोपाय किये गये हैं। अतः इस बिधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशों में जाने वाले शिष्टमण्डल के सदस्यों को भली भांति चुना जाना चाहिये। सदस्य ऐसे हों तो पूर्ण देशभक्त हों।

Shri M.C. Daga (Pali) : I congratulate the Joint Committee for labouring so hard on this Bill. Some countries are very close to each other so far as their cultures are concerned but it is apprehended that due to restrictions imposed by the Bill even the like minded countries will hesitate to give assistance with a view to avoid legal implications.

One purpose of this Bill is to present any foreign interference in our political activities through the misuse of foreign capital. You have laid down procedure in this measure in this regard. The period of limitation of six months as provided in the proviso to clause 15 is on the high side. Clause 28 says that the officer who has been appointed by the Government will act as a S.H.O. Now, how can he act when you say that no Court shall take cognizance of any offence except with the previous sanction of the Government.

Clause 11(2) prescribed a time limit of 90 days for the disposal of the application. The idea behind this provision is quite good but it will create new difficulties.

There is clear contradiction in the two clauses. These clauses should be amended.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, कई एजेंसियां ऐसी हैं जो इस उपमहाद्वीप में अपनी नीतियों और अपने विचारों का विस्तार करना चाहती हैं। उनका प्रयास है कि भारतीय राजनीतिक और अर्थ-व्यवस्था की कमजोरियों का पता लगाया जाये और उसमें अस्थिरता उत्पन्न की जाये। शिक्षा, संस्कृति, धर्म सभी माध्यमों से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। यह केवल संयोग नहीं है कि श्री डलैस के विदेश मंत्री होने के समय उनके भाई श्री एलेन डेलेस सी० आई० ए० के अध्यक्ष बने। तब से अमरीका की विदेश नीति और सी० आई० ए० की गतिविधियों में गहरा समन्वय रहा है। अमरीकी सैनिक औद्योगिक समूह से इस बात को और भी बल मिला।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि मैं यह मानता हूं कि विधेयक के उपबन्ध भारतीय राजनीति को उत्पन्न खतरे का पूरे तौर पर मुकाबला करने में समर्थ नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीकी नीति के कैसे भयावह परिणाम रहे हैं, यह सोचना महत्वपूर्ण है कि भारत में भी उसी प्रकार की उथल-पुथल पैदा न हो जाये।

विदेशी शक्तियां हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था पर कड़ी दृष्टि रख रही हैं। क्योंकि हमारी जन-संख्या निरन्तर बढ़ रही है और खाद्य उत्पादन में काफ़ी कमी है। खतरा यह है कि अनुसंधान आदि के नाम पर हमें गुमराह न किया जाये। आने वाले कई दशकों तक हमें कटकाकीर्ण मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमारे देश में केवल बड़ी शक्तियां स्वयं ही नहीं बल्कि किसी तीसरे देश के माध्यम से भी घुसपैठ कर सकती है। इसलिये केवल कानून बना कर समस्या का अंत नहीं होगा। हमें भी अत्यन्त सुदृढ़ और उच्च दर्जे की गुप्तचर व्यवस्था लागू करनी होगी।

ये विदेशी शक्तियां तो कार्यरत है ही परन्तु यदि हमने 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हुए अपने खाद्यान्न के उत्पादन की कमी पूरी कर ली तो अस्थिरता उत्पन्न करने के प्रयत्न विफल हो जायेंगे।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I support this Bill because the Government has taken the right step in the right direction. We have seen in last few years how foreign money had been playing havoc with the political, economic and social life of the country. Certain elements taking advantage of our policy of non-alignment had been accepting foreign money and had set up a number of institutions in the name of religion, education, social welfare, rural welfare, student welfare and so on. They had been collecting large sums of money and using the same for dubious purposes. All along we had been tolerating these things. We woke up only when their activities proved a grave danger to the inernal order and the freedom of the country. These institution have been collecting huge sums of money and using it for anti-national purposes. I know about a case in village Maharaj pur, distict Chhatice Pur in Madhya Pradesh. This placeis stronghold of Jan Sangh and R.S.S. There is one Matadin Chaursia a Jan Sangh worker, whowith the aid of foreign money, have helped the anti-ntional elements in their plan to subert democracy and freedom in the country. Later on, when we gave information, the C.B.I. seized some records. Some R.S.S. workers were also arrested and some arms were also recovered from them. We would like to know what the Home Ministry is doing in this matter. Government should see whether C.I.A. has hand behind anti-national activities.

This is a good Bill but I want that activities of the multi-national corporations should also be curbed. Government should exercise some vigilance over those officers whose close relations are employed in foreign embassis or who have sent their sons etc. to foreign countries for higher education. Government should also keep a watch on such persons who go to foreign countries on deputation but settle there.

A cell should be set up in Reserve Bank of India which should keep a watch on how foreign money is received in the country and by whom. If someobdy's relatives resides outside India and ends some money here, there should be proper check on that. With these words, I support the Bill.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : विधेयक का समर्थन करते समय मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक बहुत पहले पेश किया जाना चाहिए था ।

विधेयक का उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी धन तथा इसका भारतीय समाज पर पड़नें वाले प्रभाव को रोकना है ।

कई संगठन विदेशी धन की सहायता से हमारी राजनीतिक गतिविधियो में रुकावटें डाल रहे हैं । ये संगठन धर्म के नाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं । मेरा सुझाव है कि धर्म तथा धार्मिक कार्यों का विनियम इस मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए । दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही है परन्तु सरकार इनको रोक नहीं सकी है । इन गतिविधियो में बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल हैं । रोटेरी क्लब, लाइन्स क्लब भी ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं । इन क्लबों में बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी वहां जाते हैं । पता चला है कि मंत्रालय ने इनको वहां जाने से मना कर दिया है । पर इतना पर्याप्त नहीं है । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ।

बड़ौदा में हाल में हुए डोलोमाइट मामले में राजनीतिक व्यक्तियों का हाथ है । ये लोग आपात स्थिति से लाभ उठा रहे हैं । कुछ अधिकारी और राजनीतिक एजेन्ट इन गतिविधियों में सहयोग दे रहे हैं । मंत्रालय को स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए और इन संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए ।

लाकहीड षडयन्त्र एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है परन्तु इसमें भारत का भी हाथ है । अमरीकी एजेन्सियां सारे विकासशील देशों में काम कर रही हैं । ये लोग मठों, गुरुद्वारों, साधु-सन्यासियो के रूप में कार्य कर रहे हैं । बम्बई में बाल ठाकरे अपनी गतिविधियों से मराठी तथा गैर-मराठी लोगों की भावनाओ को ठेस पहुंचा रहा है । कर्नाटक में भी कुछ व्यक्ति ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं वे लोगो के बीच जातिवाद का प्रचार कर रहे हैं । सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

यह सराहनीय है कि भारत गुट-निरपेक्षता की नीति में विश्वास रखता है। हम प्रत्येक देश, राष्ट्र तथा दार्शनिक सिद्धान्तों का सम्मान करते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि किसी भी देश को हमारे संविधान तथा राजनीतिक सिद्धान्तों में रोड़ा अटकाने का अधिकार है। अमरीका वियतनाम में असफलता मिलने के बाद मध्य-पूर्व में अपनी गतिविधियां चला रहा है। अमरीकी एजेन्सियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां चला रहा है। जब तक इन नौकरशाहों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इन नौकरशाहों को सरकार के कार्यक्रम और नीतियों से कोई सरोकार नहीं है। प्रधान मंत्री ने 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश को अखंड एकता के सूत्र में बाधना चाहते हैं और इसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। जब तक हम इस बारे में जनमत नहीं इकट्ठा करते तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

सरकारी विभागों में घुसे जासूसों से भी भारी खतरा बना हुआ है। मद्रास सी० आई० ए० गतिविधियों का केन्द्र है। जब तक हम नौकरशाह प्रणाली, गरीबी को समाप्त नहीं करते और संसाधनों को नहीं जुटाते तब तक इन गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : There can be no two opinions abcut the objects of the Bill. The object of Bill is very clear. There is no doubt that subversive activities are going on at large scale in India. Activities of C.I.A. have been increasing at an alarming rate. Several times we have called the attention of the Governmet towards the subversive activities of Anand Margis. A number of officers are also followers of this sect. But Government have not paid any attention towards this. Similarly, Acharaya Rajnish has written a bcck against the theory of socialism. I am unable to understand how the Government allow publication of such books. An other institution named Praja Pati Brahm Kumari is also engaged in misinterpretation of Vedas and Upnishadas, Government should enquire about the hand behind these institutions. Is the C.I.A. financing them ? The Government must exercise extreme vigilence against the activities of these dangerous organisations.

We should fight against the forces of American Imperialism in the interest of our country. We should make our country economically stronger and self dependent. American Imperialists have not accepted the propose of non-aligned countries. In economic maters also, American Imperialism has posed a threat to the developing countries. If we are patriots in the real sense, we should make efforts to strengthen our economy.

We have achieved development through the coorperation of Socialist countries. We should, however, distinguish between our friends and foes. The modern world is facing two problems *i.e.* opposition of capitalism and uniting the forces opposing Capitalism. The organisations like Jan Sangh and R.S.S. talking so loudly about patriotism know nothing about the changing atmosphere of the world. We should encourage the tradition of Congress party and develop cordial relations with the socialist countries.

It should be our national obligation to protect the interest of the working class. We should utilise the emergency for eradicating the impact of imperiolist ideology which has spread in the educational institutions. This Bill should not create obstacles for institutions and organisations that follow Government policies, rules and regultions.

This Bill is hot clear about the issue of multi-national corporations. There should be some provision about the use of thier funds.

It will be better if committees formed at the level of villages, panchayats, Blocs; districts and States which should keep watch on the use of foreign money or foreign aid in whatever form it comes.

In addition, a Review Committee should also be formed to see that the provisions of this law are being implemented or not.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : यह प्रसन्नता की बात है कि सदन में इस विधेयक का बहुमत से स्वागत किया गया है। विरोधी दलों के सदस्यों ने भी कुछ आपत्तियों के बावजूद विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि देश में विभिन्न स्त्रोतों, जैसे सी० आई० ए० के माध्यम से कितना धन प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार 1968 में 24 करोड़ रुपये, 1969 में 22.30 करोड़ रुपये, 1970 में 23.84 करोड़ रुपये, 1971 में 23.22 करोड़ रुपये और 1972 में 31.5 करोड़ पये प्राप्त हुये। यह आंकड़े हमने रिज़र्व बैंक के रिकार्ड से लिये हैं। रिजर्व बैंक 10,000 रुपये से अधिक की राशि जो विदेशों से प्राप्त होती है। उसके आंकड़े रखता है। लेकिन मिशनरियों तथा धार्मिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं को विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ, इस बारे में समेकित आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह संगठन रिकार्ड रखने के लिये किसी कानून द्वारा बाध्य नहीं थे। अतः इस विधेयक का उद्देश्य प्राप्त हुए विदेशी धन के स्त्रोतों का पता लगाना तथा उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इस बात का पता लगाना है।

बाहरी देशों से भारत में भेजे जाने वाले धन पर तीन प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गये हैं। पहले वर्ग में वहुत महत्वपूर्ण वर्ग के व्यक्ति जैसे विधान मंडल, राजनैतिक दलों के सदस्य और पदाधिकारी पंजीकृत समाचार पत्रों के संवाददाता, स्तम्भ लेखक, कार्टूनिस्ट मालिक संपादक, 'मुद्रक और प्रकाशक आते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और लोगों का जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। अतः इन लोगों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध था। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो राजनैतिक दलों के नहीं हैं लेकिन उनके संगठन राजनैतिक किस्म के हैं और ये संगठन केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति द्वारा विदेशी धन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे वर्ग में सांस्कृतिक संगठन आते हैं जिनका सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम है। इन संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नही, किन्तु धन प्राप्ति पर उन्हें सूचना देनी पड़ती है।

श्री बी० वी० नायक : कृपया हमें इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री दें ताकि हम इसे पूर्णतः समझ सकें।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं दे दूंगा। यह विधेयक विदेशी सहायता पर पूर्णतः प्रतिबन्ध नहीं लगाता। कई ऐसे कार्मिक संघ हैं जो राजनैतिक दलों से सम्बद्ध नहीं हैं। उन्होंने स्वंय को स्वतंत्र रखा हुआ है। वे तीसरे वर्ग से अन्तर्गत आते हैं। अतः हम ऐसे सभी संगठनों जो कि आर्थिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा विदेशों से धन प्राप्ति पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते। हम यह चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिये यह धन प्राप्त किया गया हैं, उसी पर यह व्यय किया जाए और इस धन को राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिज्ञों या खड 4 में उल्लिखित व्यक्तियों के उद्देश्यो के लिये व्यय न किया जाये।

श्री बी० वी० नायक : यह किस श्रेणी के अन्तर्गत आता है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आयेगा। ऐसा भी कहा गया है कि हो सकता है कि हमारे राजनैतिज्ञ स्वयं इस धन को प्राप्त न करें और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह धन देश में मंगाए और बाद में फ़िर यह विदेशी धन उन व्यक्तियों के द्वारा इन्हीं लोगों के हाथों सौंप दिया जाये। इसके लिये भी खण्ड 4 के उपखण्ड 2 में व्यवस्था की गई है हमने यह स्पष्ट उल्लेख

किया है कि किसी भी भारतवासी अथवा विदेशों में रह रहे, भारतीय नागरिक को किसी किस्म की विदेशी पूंजी प्राप्त करने अथवा उपखंड में उल्लिखित किसी स्रोत की ओर से विदेशी स्रोतों से मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है ।

इसके अतिरिक्त यदि कोई बहुराष्ट्रीय निगम किसी राजनैतिक दल अथवा राजनीतिज्ञों को धन देकर हमारी राजनीतिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कराने तथा देश की एकता और प्रभुता के लिये खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो निश्चय ही हम इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या किसी अन्य देश में भी ऐसा हुआ है ? क्या उन्होंने इसके लिये कोई कानून बनाये हैं ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं किसी अन्य देश के बारे में कुछ नहीं जानता ।

सभापति महोदय : : यह बात प्रासंगिक नहीं है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : : कहा गया है कि वित्तीय ज्ञापन में इस विधेयक के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु 80,000 रुपये की राशि रखी गई है जो कि पर्याप्त नहीं है । विधेयक में इस बात की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि इस विधेयक के में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिनके कानून बन जाने पर उनके लिए भारत की समेकित निधि में से प्रत्यक्ष व्यय किया जाएगा ।

विधेयक के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु एक सेल की स्थापना करना आवश्यक है और जिसके लिए व्यय किए जाने की सम्भावना है । 80,000 रुपये व्यय करने का अनुमान है और यह व्यय केवल उस सेल के खर्चों को पूरा करने के लिए हैं जो आवेदन प्राप्त करेगा और उन्हें निपटायेगा ।

विधेयक के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि विदेशी अभिदाय नकद धन के रूप में नहीं अपितु पुस्तकें इत्यादि के रूप में भी हो सकता है ।

कार्मिक संघ भाईचारे के उद्देश्य से विदेशों से धन प्राप्त करते हैं । उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा । उन्हें धन प्राप्ति के उपरान्त सरकार को सूचना देनी होगी । यदि कार्मिक संघ राजनैतिक नहीं है तो सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं लेकिन यदि वह राजनीतिक है तो पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है ।

विदेशी आतिथ्य सत्कार के बारे में भी चर्चा की गई है कि लोगों को गोष्ठियों के लिये विदेशों को जाना पड़ता है और उन्हें इस उद्देश्य हेतु विदेशों से धन प्राप्त होता है । विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि यदि यह धन किसी राजनैतिज्ञ अथवा राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त किया जाना है तो उसे इसके लिये सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी । यदि ऐसा आकस्मिक हुआ हो, तो ऐसा आतिथ्य इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में चर्चा की है और यह कहा गया है कि इन्हें भी इस खंड के अन्तर्गत लाया जाये । विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा गया है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं और इन संगठनों द्वारा भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि कुछ संस्थाएं विदेशों से प्राप्त तथा खर्च की गई पूजी की लेखा परीक्षा नहीं करवाते। खंड 14 में इसहेतु उचित व्यवस्था की गयी है।

Shri Shashi Bhushan : No reply to my questions about stopping of foreign aid to social organisations and about organisations like AVARD, has been given by the hon. Ministers.

श्री एफ० एच० मोहसिन : जब तक कोई संदेह न हो, उस समय तक हम इनके कामों में बाधा नहीं डालते।

यदि कोई सरकारी अधिकारी राजनीतिक आन्दोलन अथवा राष्ट्रविरोधी आन्दोलन में भाग लेता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। हम इस विधेयक के पारित होने से पहले भी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो कि राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक आन्दोलनों में भाग लेते हैं, कार्यवाही कर सकते थे पर तब सरकारी कर्मचारियों पर इन सामाजिक किस्म के शैक्षणिक और आर्थिक संगठनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

Shri K. M. Madhukar : Has the government received any information from the officials inquiring into Anand Marg in Bihar and what action has been taken subsequently?

श्री एफ० एच० मोहसिन : आप पृथक से प्रश्न पूछ सकते है। सार्वजनिक सतर्कता के बारे में व्यक्त श्री धरनी धर दास तथा अन्य सदस्यों के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस बारे में सदस्यों एवं आम जनता से सहयोग चाहता हूं। ऐसा न समझें कि सरकार सतर्क नहीं है। अमरीकी प्रेस ने सी० आई० ए० के बारे में हाल में बहुत से तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है।

श्री धरनी धर दास : हमारे पास जन सहयोग के लिए मशीनरी होनी चाहिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमारे पास पहले से सतर्कता की मशीनरी है।

ऐसे विधेयक के अभाव में धार्मिक तथा राजनीतिक पार्टियों को विदेशों से धन मिलता रहा। यह विधेयक विदेशों से आने वाले धन पर रोक लगाने में काफी हद तक सफल होगा। मैं समझता हूं कि वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों ने विधेयक का समर्थन हीं किया है। सुझाये गये संशोधनों पर खण्डवार चर्चा के समय विचार किया जायेगा।

सभापति महोदय : हो सकता है वे इन्हें न रखें।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि वे संशोधन नही रखते तो इसका अर्थ है कि मेरे उतर से सस्पष्ट हैं।

मैं विधेयक विचार के लिये पेश करता हूं।

Mr. Chairman : The question is, "that the Bill to regulate the acceptance and utilisation of foreign contribution or foreign hospitality by certain persons or associations, with a view to ensuring that parliamentary institutions, political associations and academic and other voluntary organisations as well as individuals working in the important areas of national life may

function in a manner consistent with the values of a sovereign democratic republic, and for matters connected therewith to incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 8 और 9 प्रस्तुत करता हूं।

पहला 'उम्मीदवारों की परिभाषा' के बारे में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष आदि के पद महत्वपूर्ण हैं। उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में दिये गये स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। बंगला देश में शेख मुजीब की हत्या तक विश्व बैंक कोई आर्थिक सहायता नहीं देता था। यह परोक्ष रूप से हस्तक्षेप है।

श्री बी० वी० नायक : क्या आप जानकारी का आधार बतायेंगे ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विश्व बैंक ने स्वतः कहा था "जब तक आप अपनी नीति नहीं बदलते तब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के और भी अभिकरण हैं। इन दो को ही क्यों छूट दी गई है। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका निर्वाचन में विश्वास नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की परिभाषा यह है कि जो पार्टी निर्वाचन के लिये निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत हैं तथा जिन्हें निर्वाचन चिन्ह मिला हुआ है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : संशोधन संख्या 7 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा के अध्यक्ष आदि को भी सम्मिलित किया जाये। उन सब को परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : छः महीने तक उन्हें संसद सदस्य होने की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह सही नहीं है। संसद् सदस्य न होते हुए कोई अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं बन सकता।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यदि विदेशी सहायता लेते हैं तो इस विधेयक के अन्तर्गत आयेंगे। राजनीतिक दल की ओर से विदेशी सहायता लेने वाले व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बंगला देश को सहायता के मामले में हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि भारत पर किसी का भी दबाव नहीं है। जो पार्टियां निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत नहीं हैं उनकी सूची सरकार समय समय पर प्रकाशित करती रहेगी।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं वापस ले लेता परन्तु मंत्री महोदय का उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। **(व्यवधान)**

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की दो ऐजेंसियों का उल्लेख किया है, अन्यों का नहीं।

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): यदि मंत्री महोदय स्पष्टीकरण देगें तो वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री एफ० एच० मोहसिन : किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऐजेंसी का उल्लेख किया गया है। कल को नई ऐजेंसियां स्थापित हो सकती हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7, 8 और 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 7, 8 & 9 were put and negatived

Mr. Chairman : The question is "That clause 2 stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो सभी गैर-सरकारी निगम इस में सम्मिलित हो जायेंगे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं आप अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करते।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

Mr. Chairman : Has the hon. member leave of the House to withdraw his amendment ?

Hon. Members : Yes.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 10 was by leave withdrawn

Mr. Chairman : The question is "That clause 4 may stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5, 6 तथा 7 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5, 6 and 7 were added to the Bill.

खण्ड 8

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : बहुत से सम्बन्धी विदेशों में कार्यरत है । 8000 रुपये रखने से मासिक 700 रुपये बठते है जोकि ज्यादा नहीं हैं ।

Mr. Chairman : Do you press your amendment ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं इसे वापस लेना चाहता हूं ।

Mr. Chairman : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Hon. Members: Yes.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment was by leave withdrawn

Mr. Chairman : The question is "that clause 8 stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9 तथा 10 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 9 and 10 were added to the Bill

खण्ड **II**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की व्यवस्था काफी पहले से की जाती है । अतएव अनुमति के लिये काफी समय मिल जायेगा ।

Mr. Chairman: Does the hon. Member Press his amendment ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

Mr. Chairman: Has the hon. Member leave of the House withdrawn his amendment ?

Hon. Members: Yes.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was by leave withdrawn.

Mr. Chairman : The question is "That clause 11 stand part of the Bill".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is "that clauses 12 and 13 stand part of the Bill".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 12 and 13 were added to the Bill

खण्ड 14

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह इस लिये है कि यदि सरकार के पास लिखित प्रमाण हो कि कोई राजनीतिक पार्टी अधिनियम का उल्लंघन कर रही है । यदि हमें सदस्यों से अथवा जनता से सूचना मिलती है तो यह सन्देह के लिये पर्याप्त होगा । उस के आधार पर खातों का निरीक्षण किया जा सकता है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यदि सन्देह का कोई कारण न हो तो सम्बद्ध पक्ष को परेशानी होगी ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : कारण लिखित रूप में बताने होंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

Mr. Chairman: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Hon. Members: Yes,

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was by leave withdrawn.

Mr. Chairman : The question is :

"That Clause to stands Part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 14 विधेयक में जोड दिया गया

Clause was added to the Bill

Mr. Chairman : There are no amendments to clauses 15 to 20.

The questions
"That Clauses 15, 16, 17, 18, 19, 20 stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15,16,17,18,19,20 विधेक में जोड़ दिये गये।

Clauses 15, 16, 17, 18' 19 20 wereadded to the Bill

नया खण्ड 20–ए

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं। यह एक महत्व पूर्ण विधेयक है। अतएव हम चाहते हैं कि किसी को अनुचित रूप से तंग न किया जाय यह बात नहीं है कि कानून की क्रियान्वति में कोई अडचन पैदा की जा रही है। हमने पुनरीक्षण समिति का सुझाव दिया था जिस के समक्ष जनता अपनी शिकायते रख सके। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय सुझाव की उपयुक्तता को देखते करते हुए इसे स्वीकार करेंगे।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं माननीय सदस्य का ध्यान खण्ड 19 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें की गई व्यवस्था के होते हुए प्रस्तावित समिति की आवश्यकता नहीं है। इह के निर्णय के लिये न्यायालय बेहतर माध्यम है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे सन्तोष नहीं हुआ। एक सामान्य व्यक्ति के लिय न्यायालय जाना कठिन है।

मैं अपने संशोधन का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 12 was put ond negatived

Mr Chairman : The question is : "That clauses 21 to 32 part 2 of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 से 32 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 21 to 32 were added to the Bill.

Mr. Chairman : The question is :

"That Clause 1, the Fnacting Formula and the Title stand part of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Mr. Chairman : The question is :

"That the Bill be passed."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adophted.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 30 मार्च 1976/10 चैत्र 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday March 30, 1976/Chaitra 10, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि०—एल०एस०III—1008 एल०एस०डी०—2-8-76—200